पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः **13650** /अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : **18/03/2014**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 01 से 05 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।**

03. **वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : आय–व्यय पत्रक संलग्न।

04. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** (पृ.क्र.06 से 17 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

05. **भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 18 से 22 तक)

06. **जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 23 से 25 तक)

07. **अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।**

टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

08. **तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई के परीक्षा केन्द्र के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

टीप : मानसेवी सचिव, इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स, भिलाई लोकल सेंटर, इंजीनियर्स भवन, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर, भिलाई ने पत्र दिनांक 07.03.2014 के द्वारा, न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई को परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के संबंध में सूचित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित केन्द्र को निरस्त करते हुए इस केन्द्र में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए, केन्द्र क्र. 430 साई महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई जि.–दुर्ग को केन्द्र बनाया है, (संशोधित आदेश संलग्न)।

09. **वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

टीप : वार्षिक परीक्षा 2014 में परीक्षा के उपरांत लिखित उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन हेतु .. 08 नोडल केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई बनाया गया है, जिसे निम्नानुसार राशि अग्रिम प्रदान किया गया है –

1. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी।
2. शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर।
3. शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर।
4. शासकीय दू.ब. महिला महाविद्यालय, रायपुर।
5. शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव।
6. शासकीय काकतीया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर।
7. शासकीय विलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर।
8. केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई, गोपनीय विभाग, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।

प्रत्येक नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को, मूल्यांकनकर्ताओं को नगद पारिश्रमिक भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम किस्त के रूप में रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र) प्रदान किया है। इस प्रकार कुल 08 नोडल केन्द्रों को कुल रूपये 80,00,000/– (रूपये अस्सी लाख मात्र) अग्रिम प्रदान किया गया है।

कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

10. **श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचार करना।** (पृष्ठ क्र. 26 से 34 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

11. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः **13651**/अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : **18/03/2014**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 13476/अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक : 25/02/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.02.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. ए.के. गुप्ता – सदस्य
3. प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल – सदस्य
4. प्रो. सी.एल. पटेल – सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा – सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा – सदस्य
7. प्रो. अंजनी कुमार शुक्ल – सदस्य
8. डॉ. एम.आई. मेमन – सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
10. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 9,24,550.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रुपए 9,24,550.00 (रुपए नौ लाख चौबीस हजार पांच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

05. सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रू. 6,58,660.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तरपुस्तिका का मुद्रण का शेष देयक राशि रुपए 6,58,660.00 (रुपए छह लाख अठावन हजार छह सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।**

07. वाहन चालकों को मोबाईल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ–2013–02–00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश कमांक 275/एफ–2013–02–00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत किया गया।**

08. नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. रॉबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु स्वीकृत राशि रू. 208055=00 का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. राबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु प्रस्तावित देय राशि रुपए 208055.00 (रुपए दो लाख आठ हजार पचपन मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

09. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख–रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश जारी के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय केम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख–रखाव हेतु मेसर्स, Key Computers Nagpur को DPC/CPC की अनुशंसा अनुसार एक वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग, नेटवर्क सही नहीं चलने पर रिकार्ड संधारित करेंगे और उनके द्वारा सूचना देने पर संबंधित संस्थान की राशि में कटौती करके भुगतान की जावेगी। इसकी जानकारी अनुबंध में भी शामिल किया जाय।**

10. भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला–दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **भिलाई मैत्री महाविद्यालय रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया।**

पूरक सूची :

01. विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

03. मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000/– (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार) भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।

निर्णय : मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम की प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000.00 (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यिालयों द्वारा पूर्व अग्रिम का हिसाब जमा नहीं किया है, उन से 15 दिवस के अंदर हिसाब जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे। इसी प्रकार जिन शासकीय महाविद्यालयों ने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है, उसके संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखते हुए इसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को दी जावे।

04. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्य डिपाजिट के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने हेतु लोक निर्माण विभाग को कुल लागत राशि का 33% भुगतान किया जावे।

05. डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन, कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि 7,64,270.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : डॉ. इंदु अनंत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि रुपए 7,64,270.00 (रुपए सात लाख चौसठ हजार दो सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रू. 2589627/– के भुगतान करने पर विचार करना।

निर्णय : 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के कयार्थ अग्रिम चंदा राशि रुपए 25,89,627.00 (रुपए पच्चीस लाख नवासी हजार छह सौ सत्ताईस मात्र) के भुगतान करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

07. विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर्स की राशि रुपए 26,73,636.00 (रुपए छब्बीस लाख तिहत्तर हजार छह सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक राशि रुपए 76,64,800.00 (रुपए छिहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

09. कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में विचार करना।

निर्णय : कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के फलस्वरूप इसी निरंतरता में अंतिम रूप से एक वर्ष के लिए धारणाधिकार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

10. अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 के अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।

11. वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त 33 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायी करण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2004–09 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरणों में समस्त पहलुओं पर परीक्षण कर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही किया जावे।

12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना" संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा योजना संबंधी प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बीमा कंपनियों से benefit के संबंध में जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्यवाही किया जावे।

13. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **के.डी. रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. रेखा जाधव के नाम का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. **विश्वविद्यालय परिसर में पुरूष छात्रावास के निर्माण के लिए पावर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना, द्वारा मौखिक सहमति के उपरान्त उन्हें विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र कमांक 148/कु.स./2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 एवं पत्र कमांक 155/कु.स./2014 दिनांक 14 फरवरी, 2014 के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि संबंधित संस्थान ने छात्रावास का नाम "पावर ग्रिड" रखना चाहता है एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में पढ़ने वाल पावर ग्रिड के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**
2. **वर्ष 2014 के परीक्षा के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**
3. **विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से तीन पालियों में 120 केन्द्रों पर संचालित होने की जानकारी दी गई। वार्षिक परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मई तक संपन्न होगी।**
4. **विश्वविद्यालय परिसर में जलस्तर की वृद्धि के लिए तालाब निर्माण किया जावे।**
5. **कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ. अमिता सहगल एवं डॉ. सी.एल. पटेल का कार्यपरिषद की ओर से कुलसचिव जी ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद सदस्य डॉ. दीपक कारकून एवं डॉ. अरविंद गिरोलकर को कार्यपरिषद सदस्य के रुप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 13477/अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक : 25/02/2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र.13600 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2014 रायपुर, दिनांक: 07/03/2014

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 28.02..2014 मध्यान्ह 12.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. गुप्ता	–	सदस्य
3.	प्रो. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
4	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
5.	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	–	सदस्य
6.	प्रो. भगवंत सिंह	–	सदस्य
7.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
8.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
9.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की ओर से नवनियुक्त संकायाध्यक्ष एवं सदस्य प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	सेंट थॉमस महाविद्यालय, रूआबांधा, भिलाई, जिला–दुर्ग	बी.एस–सी. -III Industrial Chemistry	30	2013–14	**निरीक्षण तिथि– 21.01.2014** महाविद्यालय में आधारभूत संरचना पर्याप्त है। नियमित शिक्षक है। प्रयोगशाला भी पर्याप्त है। पुस्तकें भी छात्रों हेतु पर्याप्त है। तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।	**निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।** **संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2	ए.व्ही.एस. प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना, धमतरी रोड, रायपुर	**1. B.Sc.-III (Biotechnology)** 2. B.Com. - **III** 3. B.B.A. - **III** 4. B.C.A. - **III**	**50** 60 40 60	2013–14	निरीक्षण तिथि –06.01.2014 शर्तें – 1. बी.एस.सी. I,II,III के लिये केवल एक प्रयोगशाला रसायन विज्ञान एक जैवप्रौद्योगिकी एवं एक वनस्पति शास्त्र की है, जिसमें अधिकतम 25 छात्र प्रयोग कर सकते हैं। 2. बी.एस–सी. I,II,III बी.बी.ए. एवं बीकाम. की सैद्धांतिक कक्षाओं के लिये पर्याप्त कक्ष है। 3. सभी कक्षाओं के लिये पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। छात्र संख्या एवं कक्षाओं के अनुसार पुस्तकों की आवश्यकता है। शिक्षकों की नियुक्ति धारा–28 के तहत नहीं है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। **संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।** **परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 31 मई, 2014 तक पूर्ण करें।**
3	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी, जिला–धमतरी	**B.A.-II-** History **B.Com. -II**	60 50	2013–14	**निरीक्षण तिथि – 20.12.2013** महाविद्यालय को बी.ए. द्वितीय वर्ष में इतिहास विषय तथा बी.काम. द्वितीय वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु पात्रता प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने की आवश्यकता है। शर्तें – 1. महाविद्यालय की स्वयं का भवन निर्माण किया जाय। 2. इतिहास एवं कामर्स के संबंधित कक्षाओं की पुस्तकों 5–5 हजार की क्रय की जाय। संबंधित विषयों में नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाय।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। इस संबंध में संचालनालय उच्च शिक्षा को भी जानकारी दी जाए।** **नियमित शिक्षकों की नियुक्ति एक वर्ष के अंदर किया जावे।** **महाविद्यालय का भवन एक वर्ष के अंदर निर्मित किया जावे।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
4	दिशा लॉ कालेज, बलौदाबाजार मार्ग, मंदिर हसौद, जिला--रायपुर	1. बी.ए.एल. एल.बी. इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच वर्षीय) 2. एल.एल. बी. (तीन वर्षीय)	120 60	2014–15	निरीक्षण तिथि – 12.02. 2014 **शर्तें –** **1.** अधोसंरचना संतोषजनक है। पाठ्यक्रम संचालन हेतु पात्रता है। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त करने। **2.** पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर के परिनियमों एवं नियमों का पालन करने। **3.** परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने। **4.** वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करने। के शर्तों की पूर्ति के शर्त पर सत्र 2014–15 से निम्नानुसार कक्षाएं / पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है। 1. बी.ए.एल.एल.बी. इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच वर्षीय)– सीट संख्या 120 2. एल.एल. बी. (तीन वर्षीय)– सीट संख्या 120	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर बी.ए. एल.एल.बी. इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम) में 120 एवं एल.एल.बी. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) में 60 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।** **बी.सी.आई. से मान्यता मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जावे।**
5	पं. देवीप्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय, गंडई, जिला– राजनांदगांव	B.Sc. -II - FC, Maths, Chemistry, Physics	50	2013–14	**निरीक्षण तिथि – 24.01. 2014** **शर्तें –** All infrastructures and facilities (i.e. faculties, labs, PC and books) required are available to run B.Sc.-II Courses (i.s. FC, Hindi, English, Maths, Physics & Chemistry) Kindly allow the college to run the above B.Sc.-II courses.	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**

D:shital-06/meeting/Standing Committee/

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
6	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला–रायपुर	बी.एस.सी – प्रथम वर्ष (बायो ग्रुप) सीट वृद्धि–40 (पूर्व सीट सं. – 80)	120	2012–13	**निरीक्षण तिथि–08.02.2014** **शर्तें –** महाविद्यालय का निरीक्षण 08.02.2014 को किया गया। महाविद्यालय के पास स्वयं का भवन, 16.84 एकड़ जगह एवं अधोसंरचना पर्याप्त है। क्लास रूम एवं प्रयोगशाला की संख्या पर्याप्त है। फर्नीचर एवं उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महाविद्यालय के ग्रंथागार में विज्ञान संकाय की 1500 पुस्तकें है। यू.जी. सी. मद से अतिरिक्त पुस्तकें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के 1–1 नियमित सहायक प्राध्यापक है। रसायन शास्त्र में जनभागीदारी से1 सहायक प्राध्यापक संविदा में नियुक्त है। प्राचार्य भी रसायनशास्त्र विषय के हैं।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**
7	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद	**B.Com. -II** **B.A. -II** **B.Sc. -II**	60 60 60	2013–14	**निरीक्षण तिथि– 23.02.2014** **शर्तें –** विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 12765 / अका. / 2013 रायपुर दिनांक 4. 12.2013 के अनुसार शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद में B.A. II (60) सीट, आ.पा., भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन, B.Com. II (60) सीट आ.पा., व्यवसाय प्रबंध व लेखांकन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, B.Sc. II (60) आ.पा., रसायनशास्त्र, वनस्पति व जन्तु विज्ञान विज्ञान के लिए आज दिनांक 23.02.2014 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। भवन निर्माण एक वर्ष के अंदर किया जावे। निरीक्षण समिति की अनुशंसा से संचालनालय उच्च शिक्षा को भी अवगत करा दी जाए।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					1. शासकीय महाविद्यालय का स्वयं का भवन नहीं है महाविद्यालय पूर्व माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन में लगता है। लेकिन शासन के द्वारा 15 एकड़ जमीन दी गई है। दस्तावेज संलग्न है। 2. अध्यापक के लिए 4 कमरे एवं 2 हाल हैं जो वर्तमान में पर्याप्त है। 3. महाविद्यालय में अभी प्रभारी प्राचार्य है। महाविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 09 है, जिसमें 02 नियमित तथा 07 अतिथि व्याख्याता है। 4. खेल मैदान अभी नहीं है। 5. बी.एस.सी. के लिए प्रयोगशाला है, जिसे विकसित किये जाने की आवश्यकता है। 6. ग्रंथागार है।पुस्तकों की संख्या 1893 है। अतः छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 7. अध्यापन कार्य हेतु नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने और आवश्यकता है।	
8	श्री सांई कालेज, प्लाट नं. –286 / 1, 286 / 2, 291, देउरझाल, नंदनी, जिला–दुर्ग	**B.Ed**	100	2014–15	**निरीक्षण तिथि– 21.02.2014** **शर्तें –** We inspected Shri Sai College, Plot No. 286/1, 286/2, 291, Deorghal, Nandaini, Durg on 21-02-2014 at 10.30 AM College has applied fro running B.Ed. Course with 100 Seats. Our observation are as follows :	**एन.सी.टी.ई.के निर्देशानुसार समयावधि में स्टाफ प्रोफाईल प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दी जाए तथा स्टाफ प्रोफाईल प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर सत्यापित करते हुए एन.सी.टी.ई. को अग्रेषित किया जाए। एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त होने पर निरीक्षण समिति द्वारा दर्शायी गई शर्तों की पूर्ति करने पश्चात् पुनः प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					1. The College has its own land of 2.06 Hct. 19117.2 Sq.ft. 2. The Built up area of the building of the said college is 241190.83 Sq.ft. 3. The building is satisfactory for running B.Ed. Course with 100 student. 4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are available. There are separate common rooms for boys and girls. 5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activitity room. 6. Safe drinking water facility is availbale. Separate toilets for boys. girls and staff, are also availbale. 7. One Principal and 9 teaachers were physically present. We talked then separately. The have shown their willingness to render their services to the istitute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temporary principal has already been made.	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					8. The library of the college has 3006 books and 5 Journals 2 periodicals besided. 9. There is a separate music room in the college. On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.	
9	रवि शंकर ग्लोबल एजुकेशन कालेज, प्लाट नं. –131/9–10 –1, ग्राम–धनेली, पोस्ट–माना, तह.–धरसीवां, जिला–रायपुर (छ0ग0)	**B.Ed**	**100**	2014–15	निरीक्षण तिथि– 03.02.2014 शर्तें – We inspected Ravishankar Global Education College, Dhaneli, Raipur on 03-02-2014 at 10:30 AM The College has applied for running B.Ed. Course with 100 seats. Our observation are as follows : 1. The College has its own land of 1.00 hectare. 2. The built up area of the building of the said college is 24190.83 Sq.feet. 3. There are one big hall and all total 31 rooms in the college premises. 4. One Science Lab, one psychology lab, one E.T. Lab, one craft room, one computer room with 25 systems with internet connection are availbale. There are separate common rooms for boys and girls. 5. There are arrangement of Indoor and outdoor games in the college beside one activity room.	**एन.सी.टी.ई.के निर्देशानुसार समयावधि में स्टाफ प्रोफाईल प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दी जाए तथा स्टाफ प्रोफाईल प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर सत्यापित करते हुए एन.सी.टी.ई. को अग्रेषित किया जाए। एन.सी.टी.ई. से अनुमति प्राप्त होने पर निरीक्षण समिति द्वारा दर्शायी गई शर्तों की पूर्ति करने पश्चात् पुनः प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
				5	6. Safe drinking water facility is available. Separate toilets for boys. girls and staff, are also available. 7. One Principal and 9 teachers were physically present. We talked then separately. They have shown their willingness to render their sercices to the institute, if recognized. Their affidavits are enclosed in the file. Six non-teaching staffs are also available. The appointment of a temprary principal has already been made. 8. The library of the college has 3117 books and 11 Journals 2 periodicals and 5 news papers. 9. There is a separate music room in the college. On the strength of the above observations the institution is eligible for affiliation.	

03. पूर्व संचालित मनसा कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.– 1451/1, कोहका रोड, पोस्ट–जामुल, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को सत्र 2014–15 से बी.एड. अतिरिक्त 100 सीट की अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : मनसा कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–1451/1, कोहका रोड, पोस्ट–जामुल, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को सत्र 2014–15 से बी.एड् 100 सीट वृद्धि (अतिरिक्त 100 सीट) हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2013 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के Recognisation Order No. WRC /APP1461/191st /B.Ed.(Addl.)/ 2013/109598 dated 30.10.13 के परिपालन में बी.एड्. पाठ्यक्रम में 100 सीट वृद्धि हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

1. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 31 मई, 2014 तक पूर्ण करें।
2. ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
3. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जावे।

04. शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, भाटापारा की सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर बी.ए.एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में 60 सीट के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई। बी.सी.आई. की मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जावे।

05. जय हिन्द महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद, जिला–महासमुंद के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6311/2877/2013/38–2 दिनांक 11.12.2014 के द्वारा जय हिन्द महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर में अध्ययन–अध्यापन हेतु स्थानांतरण करने के लिए दी गई सशर्त, अनुशंसा मान्य किया गया।

06. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई नगर, जिला–दुर्ग के स्थान परिवर्तन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश पृ. क्रमांक 6391/2875/2013/38–2 दिनांक 19.12.2013 के द्वारा श्री शंकराचार्य महाविद्यालय को स्वयं के भवन, नवीन परिसर जो कि ग्राम जुनवानी, भिलाई, जिला–दुर्ग में स्थित है के स्थानांतरण करने सशर्त, अनुशंसा मान्य किया गया।

07. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर" स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : शासन के आदेशानुसार "सत्य नारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका–नेवरा, जिला–रायपुर" नवीन नामकरण किये जाने का अनुमोदन किया गया।

08. विनियम–90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विनियम–90 Endowment Fund (डॉ. शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक) के संशोधन Outstanding academic activities and curricular/Social activities के आधार पर, निर्णय कर प्रदान किया जावेगा, का अनुमोदन किया गया।

09. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 153 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.ए. छत्तीसगढ़ी में पुरूष छात्र को स्वर्ण पदक प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव एवं इसके लिए प्रस्तावित विनियम क्रमांक 153 का अनुमोदन किया गया।

10. एम.ए. छत्तीसगढ़ी में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 154 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.ए. छत्तीसगढ़ी में महिला छात्रा को स्वर्ण पदक प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव एवं इसके लिए प्रस्तावित विनियम क्रमांक 154 का अनुमोदन किया गया।

11. अध्ययन मंडलों द्वारा सत्र 2014–15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतू की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अध्ययन मंडलों द्वारा सत्र 2014–15 के लिए पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के अनुमोदन किया गया।

12. विज्ञान संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की संयुक्त बैठक दिनांक 10.02.2014 के अनुशंसा का अनुमोदन करना।

(i) एम.ए. मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में जो छात्र विज्ञान संकाय के विषयों को उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित प्रवेश प्राप्त करेगा, उसे एम.एस.सी. मनोविज्ञान की उपाधि प्रदान करने, अध्ययन मण्डल की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। (प्रस्ताव परिनियम 10 एवं अध्यादेश 170 में समावेश के संबंध में कार्यपरिषद् एवं समन्वय समिति के समक्ष रखा जाना है।)

निर्णय : डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, को पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया।

(ii) गणित अध्ययन मण्डल की अनुशंसा के आधार पर एम.एस.सी. गणित के लिये बी.ई. के स्नातक छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

निर्णय : एम.एस.सी. गणित के लिये बी.ई. के छात्रों को एम.एस.सी. गणित में प्रवेश हेतु – बी.ई. के पाठ्यक्रम एवं बी.एस.सी. गणित के पाठ्यक्रम का पुनः परीक्षण कर तथा समतुल्यता निर्धारण हेतु संबंधित अध्ययन मण्डल एवं संकाय में प्रस्तुत किया जावे।

13. सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

14. सत्र 2012–13 एवं 2013–14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :–

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
	2012–13
01	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, जिला–रायपुर
02	शासकीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव
03	शासकीय स्व. विरेन्द्र बहादूर सिंह महाविद्यालय, सराईपाली, जिला–महासमुंद
	2013–14
01.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली, भिलाई, जिला–दुर्ग
02.	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा
03.	शासकीय महाविद्यालय, मोहला, जिला–राजनांदगांव

निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2012–13 एवं सत्र 2013–14 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

15. विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में रेगुलेशन 149 में आवश्यक संशोधन किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अध्ययन शालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में क्रेडिट बेस सिस्टम लागू किये जाने के संबंध में रेगुलेशन 149 में आवश्यक संशोधन के लिए प्रो. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अध्ययनशाला को पुनः परीक्षण करने हेतु अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01 : वर्ष 2000–2002 में संचालित एम.सी.एम. पाठ्यक्रम को एम.एस.सी. (आई.टी.) के समतुल्यता प्रदान करना।

निर्णय : संबंधित अध्ययन मण्डल एवं संकाय में प्रस्तुत किया जावे।

02 : विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव का स्ववित्तीय आधार पर संचालित करने के शर्त पर, अनुमोदन किया गया।

03. शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया के स्थान पर "स्वर्गीय ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग" किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पृ. क्रमांक 2727/231/व्ही.आई.पी./2006 दिनांक 13.09.2006 पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र पृ. क्रमांक 2727/231/व्ही.आई.पी./2006 दिनांक 13.09.2006 के आदेशानुसार शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया के स्थान पर "स्वर्गीय ठाकुर महाराज सिंह शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग (वर्तमान में जिला–बेमेतरा)" का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 13601/अका./वि.प.स्थायी समिति/**2014** रायपुर, दिनांक 07/**03/2014**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 286 /अका./2014 रायपुर, दिनांक: 06/05/2014

प्रति,

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ आचार्यों (प्राध्यापकों) की वरिष्ठता सूची प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों में शासकीय महाविद्यालयों के आचार्यों की आवश्यकता होती है। अतः शासकीय महाविद्यालयों के आचार्यों की वरिष्ठता सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।

भवदीय,

उप कुलसचिव (अका.)

D:/ shi 08/tikaram08/662

विभागीय टीप

विषय :– **भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीप : भौतिकी एवं खगोल भौतिको अध्ययनशाला में 10.01.2014 को विभागीय अपलेखन समिति एवं केन्द्रीय अपलेखन समिति की 25.02.2014 की बैठक आयोजित की गई जिसमें भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध अनुपयोगी सामाग्रियों जिसकी कुल कीमत रू. 19,66,137=00 है, के अपलेखन करने की अनुशंसा केन्द्रीय अपलेखन समिति द्वारा की गई है। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

*****

S.O.S in Physics & Astrophysics

S.No	Name of Items (Condemn)	Make	Model / Sr. No.	Value	Year	Page	Value after payment
01	Slide Projector "manual"	Elempa	E 300	550.00	1974	M/60	40/ Nil
02	Slide Projector "manual"	Elempa	E 300	846.00	1979	M/62	40/ Nil
03	Overhead Projector	Eduscope	HP 530	4854.00	1979	M/62	10/ Nil
04	Speaker	Philips	-	800.00	1983	M63	10/ Nil
05	Speaker	Photopho	-	1250.00	1984	M345	10/ Nil
06	Speaker	Photopho	-	1250.00	1984	M345	10/ Nil
07	Calar Mike	Ahuja	-	270.00	1987	M/296	5/ Nil
08	Calar Mike	Ahuja	-	270.00	1987	M/296	5/ Nil
09	Mike with Stand	-	-	400.00	1983	M/63	10/ Nil
10	16mm film roll(9 boxes)	-	-	16588.00	1983	M/304	- Nil
11	Thermocouple Gauge/ Transf.	Hindhivac	119189	3802.00	1990	m/63	3/ Nil
12	Projector Screen "Portable"	Educ.sc.	-	695.00	1979	M/61	- Nil
13	Screen "Portable" wall type	Educ.sc.	52x70	110.00	1974	M/61	- Nil
14	Screen	-	-	110.00	1974	M/61	- Nil
15	Linear tray/ accs.	CEL	-	240.00	1983	M/63	2/ Nil
16	Rotary tray	CEL	-	280.00	1983	M/63	2/ Nil
17	Scientific Calculator(6 Nos)	Uptron	LC/30 A	3150.00	1987	M/171	5/ Nil
18	Dial Gauge	Baker	C-16/ C-02	660.00	1976	M/46	3/ Nil
19	Coolar body+fan (6 Nos)	-	-	12878.00	1984	m/27	100/ Nil
20	Fresnel lens for projector	Edus.	-	2887.00	1985	m/317	- Nil
21	Laser Printer	Wipro	WEP-1600	7560.00	2007	M/250	20/-
22	Sprinkler (3 Nos)	Jaldhara	128191	1650.00	1989	R136	5/ Nil
23	PentiumIII + UPS+ Printer	Celeron	Cannon	28337.00	2004	M242	20/ Nil
24	DVD writer fitted Computer	Combo	Sumsung	6290.00	2005	R148	- Nil
25	C.V.T 1kva (2 Nos)	Suvik	Svr6010	16419.00	1988	M106	50/ Nil
26	Computer 386SX with access.	WIPRO	WSM	106529.00	1990	M217	30/ Nil
27	Mobil Ins. Cart (Trolly)	-	502	690.00	1972	M/68	5/ Nil
28	---do---	-	502	690.00	1972	M/68	5/ Nil
29	---do---	-	501	870.00	1972	M/68	5/ Nil
30	SVGA Colour monitor 14"	-	-	11800.00	1997	M219	10/ Nil
31	Pentium 166 mmX	Titen	Leo	58190.00	1998	M232	15/ Nil
32	Dot matrix printer	Wipro	EX 200	10800.00	1998	M232	10/ Nil
33	Terminals (Keyboard + VDU)	-	-	20900.00	1998	M233	5/ Nil
34	---do---	-	-	19800.00	1998	M233	5/ Nil
35	Laser Printer	HP	6L Gold	22932.00	2000	M236	10/ Nil
36	Fax Modem	D-link	IMSR	2450.00	2000	R103	- Nil
37	CD writer (fitted on 31)	HP	9140	18312.00	2000	M236	- Nil
38	Hard disc drive (fitted on 45)	Segate	SCSJ	13780.00	1998	M234	- Nil
39	Pentium-4	Compaq	5030	36350.00	2004	M241	10/ Nil
40	U.P.S. 1kva	Avomake	ISO9001	6975.00	2004	M246	30/ Nil
41	U.P.S. 2kva with battery troly	Champion	-	54500.00	2004	M247	30/ Nil
42	Battery 48 AH 12 volt (2nos)	Exide	4N4	8518.00	2004	M246	- Nil
43	UPS 1kva	Transline	-	41393.00	1997	M455	20/ Nil
44	Modem	Cheqenne	-	8200.00	1998	M455	- Nil
45	Pentium III	Titen	166mmx	52500.00	1998	M456	10/ Nil
46	Hard disc drive (fitted on 33)	Segate	-	7000.00	1998	M456	- Nil
			TOTAL	6,15,215.00			800/-

Professor & Head
S.O.S. in Physics & Astrophysics,
Pt. Ravishankar Shukla University.

47	Inkjet Printer	Canon	-	7500.00	1998	M456	5/ Nil
48	Fan-wall mounting	Khaitan	16' Sona	1420.00	2000	M457	10/ Nil
49	Battery 12v	Exide	-	9301.00	2000	M457	- Nil
50	UPS .5 kva	Champion	LT model	8736.00	2000	M457	10/ Nil
51	[redacted] chulha	Marut(2)	-	292.00	1973	M140	20/ Nil
52	Immersion Thermostate	E&E	Gdr6718/U-10	8840.00	1975	M245	- Nil
53	Transistor Power Supply	-	612-221/222	2800.00	1972	M/35	10/ Nil
54	Distillation unit (SB)	Tempo	TP058	887.00	1975	M182	- Nil
55	Water Bath	TI-245(06)	373	870.00	1973	M128	5/ Nil
56	Single pan balance	Kroy	K-100	2912.00	1983	M327	- Nil
57	Neutral density filter	Jainlaser	NDF 50	4216.00	1998	R116	- Nil
58	Neutral density filter	Jainlaser	NDF 80	4088.00	1998	R 116	- Nil
59	Neutral density filter	Jainlaser	NDF 20	3323.00	2000	R 116	- Nil
60	Neutral density filter	Jainlaser	NDF 10	3403.00	2000	R 116	- Nil
61	SUN computer (DST)	SUN	-	248498.00	1995	M451	5/ Nil
62	Expansion box/laser printer	Wipro	EPL5200	109700.00	1995	M452	5/ Nil
63	Voltage Stabilizer 5kva	-	4061368	3070.00	1995	M452	5/ Nil
64	Sarc station+ access.(CSIR)	SUN	-	204589.00	1996	M453	- Nil
65	Imaging camera with access	Santa	ST6CCD	122896.00	1995	M453	- Nil
66	LX 800-200CPS colour DMP	Wipro	80 Colum	8460.00	1996	M454	- Nil
67	Printer 1210	HP	My37hd	6000.00	2003	M458	5/ Nil
68	DVD writer (Fitted on 26)	Compaq	-	17500.00	2003	M459	5/ Nil
69	Ceolostsate	Udaipur	-	6628.00	1989	m236	- Nil
70	Comparator	Elfo	-	5406.00	1987	M137	10/ Nil
71	Grating	Differac.	-	59726.00	1989	M264	5/ Nil
72	Linux Open Server	-	-	5000.00	1998	M/233	- Nil
73	Projector 16mm & access.	Photophon	Superlight-II	18873.00	1984	M345	- Nil
74	Overhead Projector	Photophon	MK-III	3330.00	1985	M347	10/ Nil
75	Auto slide Projector	CEL	AP-100/1325	5000.00	1983	M63	5/ Nil
76	Auto Slide Synchronizer	CEL	SU-170/362	4500.00	1983	M63	5/ Nil
77	UPS 1KVA	Champion	12 volt	45501.00	2003	M458	5/ Nil
78	Rotary vacuum pump	Hindhivac	30 LT	1705.00	1974	M135	50/ Nil
79	Rotary vacuum pump	Hindhivac	209	2265.00	1975	M135	20/ Nil
80	VTVM	Sympson	321-I-41506	1995.00	1979	M254	5/ Nil
81	Rheostat	Tosniwal	-	2148.00	1975	M195	2/ Nil
82	Vacuum pump with access	Hindhivac	VS-6	96208.00	1990	M136	50/ Nil
83	Vacuum pump with access	Hindhivac	VS-4	13259.00	1987	M136	50/ Nil
84	Gear box	Aimail	SLF-8/74049	3596.00	1975	M176	- Nil
85	Transistor Tester	Systronic	911/259	3137.00	1979	M/285	- Nil
86	Digital panel meter	Agrawal	030105	1250.00	2003	R/124	- Nil
87	Stabilized power supply	Systronic	621/107	945.00	1972	M/35	5/ Nil
88	AC Mill voltmeter (VTVM)	Sympson	717-1/50828	1695.00	1979	m/78	- Nil
89	---do---	--do--	717-1/50829	1695.00	1979	m/78	- Nil
90	---do---	--do--	717-1/50830	1695.00	1979	m/78	- Nil
91	Sine Square Oscillator	Sympson	516-1/6031	2000.00	1979	M/225	5/ Nil
92	Oscilloscope	Scientific	HM307/885549	6890.00	1988	M/32	5/ Nil
93	IC Regulated Power Supply	E & E	15-0-15	1770.00	1982	M/38	5/ Nil
94	AF Output meter	Unitech	PM 5	1280.00	1985	M/111	- Nil
95	Electronic training Board	Omega	ETB-76/13884	1550.00	1984	m/294	- Nil
			TOTAL	**16,93,563.00**			

10/7/14

Professor & Head,
S.O.S. in Physics & Astrophysics,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR. (C.G.) 492010

	Digital Universal Counter	Agronic	AG-83/40106	6800.00	1984	M/204	Nil
97	Multi meter	Motwane	8xMK III	1224.00	1974	M/16	Nil
98	---do---	---do---	" 1010571	1910.00	1972	M/15	Nil
99	---do---	---do----	" 0690573	1224.00	1974	M/16	Nil
100	Oscilloscope dual trace	Scientific	HM-312/44256	10500.00	1984	m/50	Nil
101	Oscilloscope dual trace	Scientific	HM-605/38112	34585.00	1988	M/32	Nil
102	Ultrasonic Interferometer	Belen	U1-751	4410.00	1976	m/34	Nil
103	Ultrasonic Interferometer	Mittal	MX3	19635.00	1989	m/34	Nil
104	24 Port Switch	D-link	-	4680.00	2005	R/85	Nil
105	8 Port Switch	----do----	-	2000.00	2007	R/99	800/-
106	FRESNEC LENSE	Photophone	-	1100.00	1996	R/53	Nil
107	Mag. Stirrer/Jimi Relay	-	-	7060.00	2000	R/57	Nil
108	CD Writer.(fitted on computer)	Sums/Sony	-	2995.00	2007	R/94/95	~~1200~~/-
109	Cooler Pump 05 Pc.	-	-	2808.00	1997	R/132	Nil
110	Mouse	-	-	1470.00	2007	R/98	-588/-
111	Mouse	-	-	3800.00	2002	R/82	Nil
112	Analog Computer	Darbari	DP 10	6451.00	1978	M/218	Nil
113	Stabilized power supply	Systronics	621/110	945.00	1972	M/35	Nil
114	Transistor power supply	---do---	613/85-612/507	2905.00	1979	M/36	Nil
115	-----do-----	----do----	612/222	2800.00	1972	M/35	Nil
116	Oscilloscope	----do----	515D/091	5100.00	1972	M/35	Nil
117	IC Regulated power supply 2no	E & E	15-0-15	1770.00	1982	M/38	Nil
118	Oscilloscope	Scientific	HM307/35SIII	6760.00	1985	M/31	Nil
119	Audio Oscillator 2no.	Radart	2126/1568-156	5200.00	1983	M/25	Nil
120	Stabilized power supply 2no	Unitech	8258/40-30	2250.00	1983	m/71	Nil
121	Twin trans. power supply	Systronics	614D/119	3433.00	1979	M/36	Nil
122	Servo Stabilizer	Nelco	210105/ Tan 2010	1715.00	1979	M/36	Nil
123	He-ne Laser	M. Griot	----------	15880.00	1989	m/262	Nil
124	Jack Pantograph	----------	----------	748.00	1975	M/180	Nil
125	Analyzer	NSI	----------	560.00	1972	M/116	Nil
126	Polarizer	OSAW	----------	600.00	1979	M/116	Nil
127	Prism with box (8 nos)	----------	----------	1865.00	1992	R/126	Nil
128	Glass beljar +needle valve	----------	----------	4214.00	1985	m/165	Nil
129	RF Universal bridge & accs.	Wanker	B602/350 etc.	5101.00	1986	M/400	Nil
130	Magnetic Stirrer	Remi	854/261	625.00	1975	M/166	Nil
131	Vibrat.conds.Elec-Meter /meas. head	ECIL	EA 814	13604.00	1975	M/165	Nil
132	Economy Stirrer	REMI	854/519	386.00	1975	M/166	Nil
133	Glass beljar	----------	----------	550.00	1978	m/165	Nil
134	Dimmerstate 15 amp	---------	T974/7522	597.00	1975	M/50	Nil
135	----do-----	----------	T974/2323	597.00	1975	M/50	Nil
136	Rotatry Vacuum Pump	----------	GL/71, 150/131	1575.00	1973	M/135	Nil
137	Incubator	Tempo	T-908/860	855.00	1973	M/128	Nil
138	Nanometer	SE	NM-122/30	2972.00	1985	M/95	Nil
139	Electronic Exp. system	ASHAHI	ASA-1	2759.00	1985	m/81	Nil
140	Microprocessor	Dynalog	Dyna-85	13842.00	1997	M/133	Nil
141	Pirani penning gauge	LMD	VC/726B	3713.00	1979	m/285	Nil
142	Vacuum pump with motor	Vico	VL-12/105mm	26414.00	1975	M/138	Nil
143	Synchronous motor	Adapt	764776, 753208	1123.00	1976	M/184	Nil
144	Microscope metallurgical/Camera)	Asco	AS-8038/8025	3406.00	1978	m/132	Nil
145	A.C. Voltmeter	AE	CVL-250/T-180/693	1715.00	1978	m/32	Nil
			TOTAL	**19,42,794.00**			

Professor & Head
S.O.S. in Physics & Astrophysics,
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C.G.) 492010

146	Temperature control unit	Tempo	TI 195/1375	200.00	1975	M/129	Nil
147	Portable potentiometer 2no.	Toshniwal	1108/PL 52 N/1107 401/PL 52/112	9360.00	1983	M/82	Nil
148	Remi motor with accessories	Remi	TD 13366	850.00	1983	m/82	Nil
149	Anti vibration table	Aimail	ML-5	609.00	1975	M/178	Nil
150	Constant Voltage stabilizer	Toshniwal	1225/EE8002	1037.00	1977	M/105	Nil
151	Microscope CZ	C.Z.	-------	7462.00	1975	M/237	Nil
152	Vernier microscope	OSAW	20412	975.00	1977	M/238	Nil
153	AC millivoltmeter	Unitech	81604	2850.00	1983	m/71	Nil
	GRAND TOTAL:-			**19,66,137.00**			

10/1/14
(Dr. J.L. GANGWANI)
Deputy Registrar
Gen. Admn.
Pt. RS Univ. Raipur

(Prof. R.C. Agrawal)
SOS in Physics
Pt. R.S. Univ. Raipur

10.01.14
Professor & Head,
S.O.S. in Physics & Astrophysics,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR, (C.G.) 492010

कार्यपरिषद् – 25–03–2014

विषयः– जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीपः– जैविकी अध्ययनशाला में 25–01–2014 को विभागीय अपलेखन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध अनुपयोगी सामाग्रियों जिसका कुल लागत 1881518=46 का मूल्य है, के अपलेखन करने की अनुशंसा की गई । जिसे केन्द्रीय अपलेखन समिति द्वारा अनुशंसा की कार्यवाही की गई। प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

School Of Life Sciences
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur(C.G.)
List Of Instrument Recommended for Condemned

S.No.	Code No.	Name of the Instrument	Serial No.	Make/Model	Purchase Date	Register & Page No.	Purchase Amount	Value after Depreciation
1	C1	Cooling Centrifuge	IGRC-196	Remi/K24A	6/2/78	E0/22	21000.00	Nil
2	C2	Compound Microscope	45075	Olympus	5/10/78	E0/114	1891.50	Nil
3	C3	Compound Microscope	42438	Olympus	23/12/78	E0/116	2040.00	Nil
4	C4	Binocular Microscope	01069	Meopta/ DD-37BN	26/12/78	E0/118	9928.00	Nil
5	C5	BOD incubator	268	IEC/deluxe D/6	1/1/79	E0/126	16400.00	Nil
6	C6	Incubator	12524	Sico	8/1/79	E0/165	2730.00	Nil
7	C7(A,B, C)	Hotplate slide warming table(3nos)(190each)	--	Sci & electronics	14/2/79	E0/51	570.00	Nil
8	C8	Autoclave	--	--	9/3/79	E0/02	5562.40	Nil
9	C9	Autoclave	--	--	19/3/79	E0/02	5553.40	Nil
10	C10	Freeze(290lt)	64678	Gogrej/ N78	27/3/79	E0/153	5262.66	Nil
11	C11	Viscometric bath	--	IEC mumbai	18/3/85	E0/188	6600.00	Nil
12	C12	Freeze (Double door)	163271542	Kelvinator	17/10/87	E0/152	6235.00	Nil
13	C13	Freeze (Double door)	163271064	Kelvinator	17/10/87	E0/152	6235.00	Nil
14	C14	pH meter	--	Control dynamic	11/7/88	E0/28	6000.00	Nil
15	C15	BOD Incubator	RICI269	RemiCI10S	11/10/88	FR/10	22500.00	Nil
16	C16	Muffle furnase	377	Tempo/TI58A	19/12/88	FR/14	4345.00	Nil
17	C17	Heating Mental	294	Tempo	19/12/88	FR/14	900.00	Nil
18	C18	Single pan balance	8411	Dhona /100 ds	27/3/89	E1/10	6300.00	Nil
19	C20	Centrifuge	LJLC/3688	Remi	15/1/90	FR/15	3000.00	Nil
20	C21	Voltage stabilizer (1KVA)	601005	Deltek	8/2/90	FR/13	4680.00	Nil
21	C22	AC(1.5 ton)	Crystal	Voltas	7/02/90	FR/14	22057.50	Nil
22	C23	Printer(24pin)	--	Wipro	10/6/91	Biomass/07	34112.00	Nil
23	C24	HPLC complete set	M-2350	ISCO	10/3/92	Biomass/07	557049.00	Nil
24	C25	Single pan balance	13904	Dhona /200D	25/11/92	E1/10	6100.00	Nil
25	C26	Freeze(165lt)	18532013127	Kelvinator	27/11/92	E1/88	8475.00	Nil
26	C27	Deep freeze(85 lit)	53132000228	Kelvinator	27/11/92	E1/89	9900.00	Nil
27	C28	Freeze (165Lt)	16235	Kelvinator	27/11/92	E1/88	8475.00	Nil
28	C30(A, B)	Window AC 1ton and 2ton	W012S01/Del /95/10831& W024S0IA/D EL/95/10831	Carrier	28/9/94	DST/02	53691.00	Nil
29	C32	Voltage Stabilizer	5KVA	Sen & Pandit	1/3/95	DST/14	4000.00	Nil
30	C33	Printer	PRTRQ 25/411	TVSE	24/1/95	DST/14	23350.00	Nil
31	C34	UV-Vis Spectrophotometer , Auto sampler	364915	UNICAM	22/2/95	DST/14	490165.0	Nil

adgnple' 25.1.14 Alain Kumar Pati 17/1/14 25.1.14

S.No.		Name of the Instrument	Serial No.	Make/ Model	Purchase Date	Register & Page No.	Purchase Amount	Value after Depreciation
32	C35	Voltage Stabilizer(3KVA)	3265/0601008	Deltak	30/4/95	DST/23	3000.00	Nil
33	C37	Voltage Stabilizer	1.5KVA/26		11/12/96	UGC/1	9900.00	Nil
34	C38	Growth chamber	NKS96-I 424	Nippon	17/12/96	UGC/2	304322.0	Nil
35	C39	Spectrophotometer	GS5700B/026-572	EC of India	18/3/97	E1/24	17860.00	Nil
36	C40 (A,B)	Laser Jet Printer & Printer	6L/6578, LX800/6578	HP, Wipro	14/7/97	UGC/5	41603.00	Nil
37	C41	Constant Voltage transformer (1KVA)	7091982	Opto	20/3/98	E1/90	5200.00	Nil
38	C42	Freezer –20	V10vf100661	Voltas	20/3/98	E1/89	9990.00	Nil
39	C43	Microprocessor based conductivity meter	160/12016	EI/1601	2/1/2001	E1/228	13630.00	Nil
40	C44	Visible spectrophotometer	275	Systronics 104	2/2/2001	E1/230	21800.00	Nil
41	C45	PC Complete Set	55/132/154	HP	30/11/01	CSIR/91	60216.00	Nil
42	C46	Freeze (165lt)	INC-014204947	Whirlpool	4/3/2002	E2/70	9640.00	Nil
43	C48	pH meter	24310922	Elico/LI610	9/12/2003	E2/65	7250.00	Nil
44	C49	pH meter	1647	Elico/LI127	9/12/2003	E2/64	8500.00	Nil
45	C50	Freeze(230lt)	232GPD	LG	5/3/2004	E2/70	13500.00	1350=00
						Total-1881518=46		**1350=00**

25.1.14 25/1/14 25.1.14

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

// मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची //

विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा 2014 के लिए निम्नलिखित दो महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र घोषित किया जाता है तथा पूर्व प्रेषित अधिसूचना पृ.क्र. 534/परीक्षा/वार्षिक/केन्द्र/2013 रायपुर दि0 30.10.2013 में इसे [illegible] पढ़ा जावें :-

केन्द्र/महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	महा. कोड	केन्द्र में सम्मिलित अन्य महा. का नाम
जिला – रायपुर			
[illegible]	*(केवल स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों हेतु) के डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर		—
जिला – कबीरधाम			
609	नवीन शास0 महाविद्यालय पिपरिया, जिला–कबीरधाम		—

टीप :- * के. डी. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, अटारी, रायपुर के नियमित परीक्षार्थी पूर्ववत प्रगति महा0 चौबे कॉलोनी, रायपुर से परीक्षा देंगे, तथा विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित किये गये अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी ही के. डी. रूंगटा महाविद्यालय से परीक्षा में शामिल होंगे।

2. उपरोक्त परीक्षा केन्द्र सूची पूर्णतः अस्थायी है, जो वि.वि. के नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत संचालित होगी।
3. परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे।
4. आसंजित महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों को शैक्षणिक स्टाफ, भवन, फर्नीचर इत्यादि परीक्षा केन्द्रों के मांग पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. परीक्षा केन्द्र शुल्क केन्द्र क्र0 609 द्वारा जमा करने हेतु पत्र संलग्न है। तदनुसार महाविद्यालय केन्द्र शुल्क जमा करावें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्र. 1154/परीक्षा/वार्षिक/संशो0केंद्र/2013–14

रायपुर, दिनांक 19 /02/2014

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालयों को,
2. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/वित्त नियंत्रक/विकास/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् /अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगॉव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव(परीक्षा)

[illegible]ExamCom list 2014 p-6

प्रति,

माननीय कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ.ग.

विषय :- तक्षशिला महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र न घोषित किये जाने का निवेदन ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से आपसे यह निवेदन है कि तक्षशिला महाविद्यालय को अगर उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में चयन किया गया है तो उसे परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में चयन न कर माननीय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 दुर्ग के न्यायालय के द्वारा महाविद्यालय को सचालित समिति प्रेक्षा एजुकेशन सोसायटी का व्यवहार वाद खारिज कर दिया गया है और अब उन्हें इस वादग्रस्त संपत्ति में कालेज संचालन अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित करने का कोई अधिकार नहीं है ।

पं. रविशांकर विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में किसी प्रकार का खलल न हो इस प्रकार से संस्था अपने दायित्व के निर्वहन में आपको यह सूचित करती है कि आदेश दिनांक 06.03.2014 को अर्थात कल पारित आदेश के पश्चात् किसी प्रकार का कोई अधिकार तक्षशिला महाविद्यालय का हमारी संस्था में नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि तक्षशिला महाविद्यालय के द्वारा गुमराह करते हुए अथवा विश्वविद्यालय को अंधेरे में रखकर लंबित व्यवहार वाद एवं उनकी नाजुक स्थितियों से अवगत नहीं कराया है ।

अतएव इस पत्र के माध्यम से आपसे यह निवेदन है कि माननीय अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 दुर्ग के द्वारा पारित आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल ऐसे कदम उठावें ताकि विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य का अवरोध न हो एवं वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें ।

दुर्ग,
दिनांक–07.03.2014

भवदीय,

मानसेवी सचिव
इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स
भिलाई लोकल सेन्टर, इंजीनियर्स भवन,
इंदिरा पैलेस, सिविक सेन्टर, भिलाई
जिला – दुर्ग, छ.ग.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail : rsuexam@gmail.com

//संशोधित आदेश //

// मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची //

विश्वविद्यालयीन मुख्य परीक्षा 2014 के लिए पूर्व में अधिसूचना क्र. 534/परीक्षा/वार्षिक/केन्द्र/2013 रायपुर दि0 30.10.2013 को अधिसूचित परीक्षा केन्द्रों की सूची पर पृष्ठ 3 पर अंकित केन्द्र क्र. 427 **तक्षशिला** महाविद्यालय, इंजीनियर्स भवन, सिविक सेन्टर, भिलाई नगर, **परीक्षा केन्द्र** को तत्काल प्रभाव से **निरस्त** किया जाता है। तथा वार्षिक परीक्षा केन्द्र सूची से उक्त महाविद्यालय का नाम केन्द्र की सूची से **विलोपित** किया जाता है।

एवं उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के समस्त परीक्षार्थी अब केन्द्र क्र. 430, **साई महाविद्यालय**, सेक्टर –6 भिलाई जि0 दुर्ग परीक्षा केन्द्र से वार्षिक परीक्षा 2014 में शामिल होंगे। तथा साई महाविद्यालय सेक्टर–6 भिलाई जि0 दुर्ग परीक्षा केन्द्र के साथ **आसंजित** रहेगा।

टीपः– 1. प्राचार्य, तक्षशिला महाविद्यालय, भिलाई नगर, उपरोक्तानुसार कृपया अपने महाविद्यालय के संबंधित समस्त परीक्षार्थियों को इससे अवगत करावें।

2. प्राचार्य, तक्षशिला महाविद्यालय, भिलाई नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय के समस्त परीक्षा सामाग्री सहित संबंधित परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक इत्यादि प्राचार्य, साई महाविद्यालय, सेक्टर–6 भिलाई, जि0 दुर्ग को तत्काल सौप देवे। तथा इसकी सूचना वि0 वि0 को देवें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र. 1429 /परीक्षा/वार्षिक/संशो0केंद्र/2013–14 रायपुर, दिनांक 10 /03/2014

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालयों को इस निवेदन के साथ कि वे समस्त संबंधित परीक्षार्थियों को इससे अवगत कराते हुये संशोधित परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में शामिल करावें।
2. उ.कु.स., गोपनीय/अकादमी/वित्त नियंत्रक/विकास/समस्त कार्यसहायक (परीक्षा)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् /अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
4. संचालक, ओसवाल डाटा प्रोसेसर्स इन्दौर को इस सूचना के साथ अग्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार रोल लिस्ट में सुधार कर वि. वि. सूचित करें।
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. संपादक समस्त स्थानीय समाचार पत्र रायपुर/अमर किरण दुर्ग/सबेरा संकेत राजनांदगॉव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

वि0क0अ0(परीक्षा)

प्रति,

कुलसचिव,

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर

विषय :– श्री रूपेश कुमार शर्मा, उपयंत्री,(निलंबित) की विभागीय जॉच प्रतिवेदन प्रेषण ।

संदर्भ :– आपके आदेश कमांक 1038/सा.प्रशा./2012 रायपुर दिनांक 14.03.2012

आपके उपरोक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा उपरोक्त विभागीय जॉच सम्पन्न की जा चुकी है। विभागीय जॉच से संबंधित प्रतिवेदन एवं कार्यवाही विवरण संलग्न कर (बंद लिफाफे में) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

साथ ही विभागीय जॉच से संबंधित अन्य दस्तावेज भी संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्न :– 01 जॉच रिपोर्ट पृष्ठ कमांक 01 से 17 तक।

02 कार्यवाही विवरण पृष्ठ कमांक 01 से 20 तक।

03 संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 01 से 157

दिनांक 04/04/2013

(सी. एक्का)

जॉच अधिकारी/

सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

रायपुर, दिनांक ~~29.03.2013~~ 04/04/20,

प्रति,

श्रीमान कुलसचिव,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— श्री रूपेश शर्मा उपयंत्री निलंबित का विभागीय जांच प्रतिवेदन देने बाबत्।

महोदय,

आपने छ.ग.सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 की धारा 14 (2) के अन्तर्गत श्री रूपेश शर्मा (निलंबित) उपयंत्री के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच हेतु जांच प्राधिकारी अपने आदेश क्रमांक 1039/सा.प्र./2012 दिनांक 14.03.2012 द्वारा नियुक्त किया है। मुझे आपके कार्यालय से आरोपित कर्मचारी का आरोप पत्र आरोप का विवरण, गवाहों सूची तथा आरोप से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों की प्रतिलिपियों प्रेषित किया गया। इस प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से डॉ.जे.एल.गंगवानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है।

आरोपी श्री रूपेश शर्मा ने अपने विभागीय जांच में सहायक की नियुक्ति हेतु अनुशासिक प्राधिकारी के पास आवेदन पेश किये जाने की मौखिक जानकारी दिया गया। आरोपी ने जांच प्रारंभ होने के बाद सुनवाई के दौरान निवेदित किया कि सहायक की नियुक्ति हेतु वह एक आवेदन पत्र दिया है इस कारण निराकरण होने तक जाँच की कार्यवाही को रोका जावे। आरोपी को सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 14(8) के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा उन्हें अपने कथन के समर्थन में बचाव सहायक का नाम पदनाम का उल्लेख करते हुए आवेदन करने कहा गया, ,आरोपी ने न ही कोई दस्तावेज पेश किया है और न ही वे अनुशासिक प्राधिकारी को पेश दस्तावेज की प्रतिलिपि पेश किया। आरोपी श्री रूपेश शर्मा दिनांक 14.12.2012 को प्रथम बार उपस्थित हुआ तथा सभी नियत पेशी में उपस्थित रहने के बावजूद बचाव सहायक के संबंध में आवेदन नहीं किया गया । इस प्रकरण से संबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने अवगत कराया कि श्री शर्मा को आरोप पत्र, अभिकथन पत्र की सूची तथा संबंधित दस्तवेजों को प्रतिलिपि दिनांक 01.12.2012 को प्रदाय किया गया है। अपचारी ने आरोप पत्र से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को प्राप्त होना कथन किया। इस पर उसे आरोपो की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में जांच की कार्यवाही लिखित या मौखिक चाहने बाबत अभिकथन चाहने के संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया। इससे उसका अभिवाचन नकारात्मक माना गया, और उसने कथन किया कि दिनांक 13.12.2012 के आवेदन पत्र पर विचार करते हुए विभागीय जांच स्थगित रखा जावे। इसी तथ्य को पेशी दिनांक 14.12.2012 , 20.12.2012, 05.01.2013, एवं

23.01.2013 को भेजे गये तथ्यों को दुहराया जिस पर पूर्ववत् निर्णय दिया गया। अभियोजन गवाहों का अभिकथन दर्ज कर आरोपी से प्रतिपरीक्षण करने के लिए कहा गया, परन्तु उसने प्रतिपरीक्षण के लिए मुंह नहीं खोला। मेरे द्वारा आरोपी से आरोपों के संबंध में दिनांक 14.12.2012 के अलावा दिनांक 20.12.2012, 05.01.2013 एवं 23.01.2013 को भी जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। इस जांच में आरोपी ऐन केन प्रकारेन हमेशा बाधा उत्पन्न करता रहा फलस्वरूप अवसर समाप्त कर पेश दस्तावेजों के आधार पर आरोप क्रमांक 1 से 12 के आरोपों का प्रतिवेदन निम्नानुसार तैयार किया गया है :–

आरोप कमांक 1:–

यांत्रिकी कार्यालय के सीलबंद कक्ष को खोलने हेतु गठित पंचनामा समिति में सदस्य मनोनीत होने पर भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना कर गंभीर दुराचरण किया।

यह कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी कर्मचारी श्री रूपेश शर्मा (निलंबित) को न्यायालयीन प्रकरणों एवं छ.ग.राज्य सूचना आयोग के प्रकरण क्रमांक 908/09, श्री बी.पी.भवंर विरूद्ध पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रकरण में अभिलेख की आवश्यकता होने पर सील बंद कमरे को खोलने हेतु पंचनामा समिति में आरोपी को नामांकित किया। उसे समिति में नामांकित करने के बाद उसे समय–समय पर निम्नानुसार स्मरण कराया गया परन्तु परिणामण शून्य रहा–

क्र.	आदेश क्रमांक	दिनांक	अवहेलना	अवहेलना दिनांक
1.	टीप पत्र में	08.09.09	अवहेलना टीप अंकित है।	09.09.2009
2.	4691/सा.प्र./09	31.10.09	सीलबंद कक्ष को खोलने की अवहेलना किया	24.09.2010
3.	2740/सा.प्र./11	18.07.11	जानबूझकर अनुपस्थित रहा	20.07.2011
4.	3359/सा.प्र./10	23.07.10	जानबूझकर पालन नही किया	23.07.2010
5.	3677/सा.प्र./10	12.08.10	जानबूझकर अनुपस्थित	13.08.2010
6.	3730/सा.प्र./10	14.08.10	अवहेलना की	14.08.2010
7.	3954/सा.प्र./10	04.09.10	जानबूझकर आदेश की अवहेलना/अनुपस्थित रहा	06.09.2010
8.	4160/सा.प्र./10	20.09.10	उदण्डता पूर्वक पद में अंकित कर अवहेलना की	24.09.2010
9.	4799/सा.प्र./10	10.11.10	जानबूझकर अवहेलना	16.11.2010
10.	4992/सा.प्र./10	26.11.10	जानबूझकर अवहेलना	29.11.2010

उपरोक्त आरोप के संबंध में आरोपी श्री रूपेश शर्मा को आरोप पत्र दिया गया –जिसका जवाब नहीं दिया गया। मेरे द्वारा दिनांक 14.12.2012, 20.12.2012, 05.01.2013 एवं 23.01.2013 को प्रतिउत्तर देने के लिए मौखिक एवं लिखित उत्तर देने के संबंध में पूछा गया। उसने इस संबंध में किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया,जबकि कार्यालय को सीलबंद करने के समय आरोपी विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश पर दिनांक 13.10.2008 को सहर्ष स्वीकार कर सिविल कार्यों के एकमात्र जानकार के रूप में कार्यालय को सीलबंद करने कार्यवाही में सम्मिलित रहा। सीलबंद कार्यालय को खोलकर दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने समिति में आरोपी के असहयोग उसके अपराधिक मनोवृत्ति एवं षडयंत्रकारी होने का ज्वलंत उदाहरण है और इससे यह भी स्पष्ट है कि उसे आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है अर्थात् आरोप स्वीकारोक्ति है।

आरोपी श्री रूपेश शर्मा ने सील बंद कमरे को खोल कर न्यायालयीन कार्यवाही एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पेश करने हेतु अभिलेखों की सूची तैयार करने के लिए सहयोग नही दिया। यह उसकी उदण्डता एवं अनुशासनहीनता का भी दस्तावेजी साक्ष्य है। इस प्रकार अनुशासनहीनता का उदाहरण देकर स्वयं सिद्ध कर दिया कि वह विश्वविद्यालय की सेवा के लिए योग्य नहीं है।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप कमांक 2:–

सील बंद यांत्रिकी विभाग से महत्वपूर्ण एवं साक्ष्यों को दुराशय पूर्वक गायब कर विश्वविद्यालय प्रशासन को गुमराह कर गंभीर दुराचरण किया।

यह कि आरोपी कर्मचारी श्री रूपेश शर्मा की उपस्थिति में यांत्रिकी विभाग के प्रभारी अधिकारी श्री बी.पी.भवंर सहायक यंत्री के निलंबन दिनांक 13.10.2008 को सील बंद किया गया यांत्रिकी शाखा को खोलने की कार्यवाही की गई जिसमें आरोपी भी अभिलेख अनुसार इस कार्यवाही में दिनांक 22.11.2008 को उपस्थित था। एक सूची सामान्य प्रशासन द्वारा की गई। श्री बी.पी.भंवर (निलंबित सहायक यंत्री) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील प्रकरण 136/11 में तथा थाना सरस्वती नगर में दर्ज मामला क्रं. 245/09 में जब्त किये गये दस्तावेजों को सील बंद यांत्रिकी कार्यालय से कब निकाला गया एवं पंचनामा की छाया प्रति की मांग किया गया था। चूंकि सामान्य प्रशासन की नस्ती में श्री रूपेश द्वारा जब्त कराये गये दस्तावेजों का उल्लेख नही है। फलस्वरूप इन दस्तावेजों को सीलबंद यांत्रिकी कार्यालय से कब और किसके द्वारा निकाले गये सूचना के अधिकार अपील प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा आरोपी को पूछे जाने पर नहीं बताने के कारण जवाब प्रस्तुत नही किया जा सका और इसका उत्तरदायित्व उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा के उपर निर्धारित् किया गया और इसी कारण उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा पर रूपये 10,000/–अर्थदण्ड छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा आरोपित किया गया।

इन आरोपों से संबंधित दस्तवेजों से संबंधित आरोप पत्र एवं अभिलेख आपको मिल जाने के बाद भी आपने इसका प्रतिउत्तर नहीं दिया। प्रतिउत्तर देने हेतु मेरे द्वारा 14.12.2012, 20.12.

2012 एवं 05.01.2013 एवं 23.01.2013 को पूछा गया एवं अवसर दिया गया परंतु आपने जवाब नहीं दिया। यह रट लगाते रहे कि मेरे आवेदन दिनांक 19.12.2012 पर निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उसने आरोप का प्रतिउत्तर नहीं दिया, अतः प्रतिवेदन दिया जा रहा है।

यह निर्विवाद सत्य है कि श्री बी.पी.भंवर सहायक यंत्री के निलंबन के बाद उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा ही सिविल कार्यों के एकमात्र जानकार यांत्रिकी विभाग में थे। दिनांक 13.10.2008 को यांत्रिकी कार्यालय को सीलबंद करते समय पंचनामा में उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा की उपस्थिति दस्तावेज में अंकित है। सीलबंद कक्ष को खोले जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनेक आदेशों द्वारा उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा को विषय के एकमात्र जानकार की हैसियत से उपस्थिति हेतु निर्देशित किया था। श्री रूपेश शर्मा सीलबंद कक्ष को खोले जाने हेतु नियत तिथियों में विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश की अकारण अवहेलना करते हुए, एक सिद्ध अपराधी की तरह निरंतर भागते रहे। थाना सरस्वती नगर रायपुर में मामला क्रं. 245/09 में उनके द्वारा जब्त कराये गये मूल अभिलेखों को सीलबंद यांत्रिकी कार्यालय से कब और किसके ध्दारा निकाले गए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपचारी से जवाब चाहने पर प्रतिउत्तर नही दिया गया। इससे यह पुष्टि होता है कि यांत्रिकी कार्यालय को सीलबंद किये जाने के पूर्व ही दुराशय पूर्वक थाना सरस्वती नगर रायपुर में मामला क्रं. 245/09 में उनके द्वारा जब्त कराये गये मूल अभिलेखों के साथ–साथ प्रकरण से सुसंगत अन्य महत्वपूर्ण मूल अभिलेखों को उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा द्वारा चूँकि श्री बी.पी. भंवर सहायक यंत्री के साथ सिविल कार्य में अधिनस्त कर्मचारी थे, श्री बी.पी.भंवर को अपराधिक प्रकरण में फंसाने के लिए दुराभय पूर्वक महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गायब कर साक्ष्य को नष्ट/गायब किया है। इसी गायब नस्तीयों की खोज हेतु , संबंधित अभिलेख की मांग सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत की गई है। इस अभिलेख की मांग पूर्ण नही होने पर अपील प्रकरण में 10,000/–रूपये का अर्थदण्ड छ.ग. राज्य सूचना आयोग रायपुर ध्दारा आरोपी को किया गया है। इस प्रकार आरोपी ने विश्वविद्यालय के निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण दस्तवेजों को गायब कर अपने मालिक (नियोक्ता) के प्रति घोर विश्वासघात कर अपराधिक एवं दण्डनीय कृत्य कारित कर अपने आप को विश्वविद्यालय सेवा के लिए अयोग्य करार स्वयं को किया है और आश्चर्य जनक तरीके से भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोपी के विरूद्ध नामजद एफ.आई.आर कर अपराधिक प्रकरण दर्ज योग्य दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद अद्यतन आरोपी के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उदारता दिखाया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज को गायब कर गंभीर दुराचरण का आरोप दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है।

आरोप कमांक 3:–

आरोपी श्री रूपेश शर्मा ने ठेकेदारों द्वारा नव–निर्मित भवनों के देयक भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग को मूल्यांकन कार्य में असहयोग कर दुराचरण किया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आदेश क्रमांक 562/सा.प्र./2011 दिनांक 03.02.2011 के द्वारा निर्माणाधीन भवनों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग से कराने का आदेश देते हुए उन्हें

सहयोग देने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि वह सिविल कार्यों के प्रभारी उपयंत्री है। लोक निर्माण विभाग मैनुवल 1983 के अनुसार आरोपी उपयंत्री ही निर्माणाधीन भवनों का माप तथा समस्त दस्तावेजों को अभिरक्षा में रख करता था। आपको पत्र क्रं. 1082/सा.प्र./11 दिनांक 17.03.2010 द्वारा मूल्यांकन कर्ताओं को सहयोग करने के लिए निर्देश किया गया था परंतु इस कार्य में उदासीनता के कारण विश्वविद्यालय को गंभीर नुकसान हुआ। उसे दिनांक 06.03.2011 को स्मरण पत्र दिया गया फिर भी मूल्यांकन में सहयोग नहीं दिया फलस्वरूप कार्यपालन यंत्री ने अपने पत्र क्रं. 5954/तक/2011–12 दिनांक 03.10.2011 द्वारा विश्वविद्यालय को असहयोग का उल्लेख कर मूल्यांकन में असर्मथता दिखायी । उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा ने घोर अनुशासन हीनता की है एवं गंभीर आर्थिक क्षति कारित हुआ।

आरोपी को आरोप पत्र के संबंध में प्रतिवाद पेश करने के लिए दिनांक 14.12.2012 को, 20.12.2012 को, 05.01.2013 को, एवं 23.01.2013 को लिखित अथवा मौखिक जवाब पेश के लिए कहा गया परंतु उसने कोई प्रतिउत्तर देने के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया, इससे स्पष्ट होता है कि उसके आरोप की स्वीकारोक्ति की ओर मार्ग दिखाता है।

आरोपी कर्मचारी को विश्वविद्यालय प्रशासन का आदेश क्रं. 562/सा.प्र./2011 दिनांक 05.02.2011 की तामिली हुई थी इस कारण उसने दिनांक 19.04.2011 को एक पत्र मूल्यांकन नहीं कर सकने का पत्र लिखा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्माणाधीन भवनों का पी.डब्ल्यू.डी. से मूल्यांकन करने में आपको सहयोग देने के लिए लिखा गया परंतु विश्वविद्यालय में एकमात्र सिविल कार्य के जानकार होने के बावजूद आपने सहयोग देना तो दूर रहा मूल्यांकन कार्य से पृथक रखने के लिए दिनांक 09.05.2011 को पत्र लिखा। उसके द्वारा लिखे गये पत्र को व्यर्थ मानकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए इसके विरूद्ध कारण बताओं नोटिस दिया। उसने पत्र दिनांक 06.06.2011 का कोई उत्तर नही दिया। इस प्रकार लम्बे समय तक मूल्यांकन कार्य नहीं कराया एवं पूर्ण रूप से असहयोग कर घोर अनुशासन हीनता की है। इस प्रकार मूल्यांकन नहीं होने से ठेकेदारों को निर्माण का भुगतान नहीं हो सका फलस्वरूप निर्माण मूल्य में वृद्धि से विश्वविद्यालय का आर्थिक क्षति कारित किया, जिसका आकलन कर भू–राजस्व वसूली आरोपी के विरूद्ध किये जाने योग्य है।

अतः यह आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

आरोप कमांक 4:–

आरोपी कर्मचारी को विश्वविद्यालय प्रशासन के पत्र क्रमांक 5001/सा.प्र./2009 द्वारा निम्नांकित 14 बिन्दुओं का उल्लेख कर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी:–

1. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने बंजारी नगर से लगे बाउण्ड्रीवाल निर्माण में ठेकेदार श्री नागेश शुक्ला का ठेका स्वीकृत होने के बाद कार्यादेश में जानबूझ कर हस्ताक्षर न कर स्वेच्छाचारिता कर कदाचरण किया।

2. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने सूचना का अधिकार के अन्तर्गत श्री प्रकाश तिवारी द्वारा चाही गई जानकारी को उपलब्ध न करके नस्ती कुलसचिव जी को अग्रेषित कर, कुलपति जी तथा कुलसचिव जी के निर्देशों का पालन न कर अनुशासनहीनता की है।

3. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भवन निर्माण संबंधित 11 एम.बी. की मांग की गई तो जानकारी न देकर निलंबित प्रभारी अधिकारी श्री भंवर ही जानकारी दे सकते है की मिथ्या जानकारी दिया तथा महिला छात्रावास का एम.बी.क्र. 18/यू.ई./2009 गुम जाने की झूठी सूचना देकर स्वयं महिला छात्रावास ठेकेदार का देयक गुम हुए एम. बी. में प्रस्तुत किया गया। अर्थात् एम.बी. की जानकारी श्री भवंर (निलंबित) द्वारा दिये जाने की मिथ्या जानकारी देकर कदाचरण किया।

4. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने ट्राईबल स्टडीज़ सेन्टर बिल्डिंग निर्माण में निस्पादित अनुबंध का पालन करने पर प्राप्त विधिक नोटिस का उत्तर तैयार करने के नोटिस का उत्तर देने के निर्देश का उल्लंघन करने तथा श्री हेमचरण साहू द्वारा पत्र भेजने के उपरांत कार्यालय में जानबूझ कर पत्र प्राप्ति कर उपेक्षा कर विधिक नोटिस का जवाब तैयार न कर घोर अनुशासन हीनता प्रदर्शित किया।

5. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने श्री अनिल तिवारी द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी जानकारी को उपलब्ध न करके कुलसचिव जी के आदेश की अवहेलना की है।

6. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा को बस्तर परिसर प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन का मूल्यांकन करने हेतु आदेश दिया। उसने निर्माण नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जो यांत्रिकी जानकार नहीं है। निराकरण करने में तत्परता नहीं दिखायी एवं कार्य करने के लिए नस्ती प्राप्त करने के लिए लापरवाही कर अनुशासन हीनता दिखायी ।

7. यह कि आरोपी रूपेश शर्मा ने बस्तर विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं प्रशासनिक भवन के देयक की नस्ती को भेजा गया। उसने नस्ती को देखकर दो दिन बाद लाने हेतु तामिली कर्ता भृत्य को निर्देश देकर तथा पुनः नस्ती प्राप्त करने हेतु टालमटोल कर अनुशासन हीनता की।

8. यह कि आपके द्वारा मेसर्स निकॉन इंडिया के निर्माण देयक प्रस्तुत की गयी जिसमें एम.बी.की पृष्ठ संख्या, बिल बुक, तथा सम्पादित कार्य की राशि अंकित न करके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है।

9. यह कि आपने दिनांक 18.05.2009 से 08.06.2009 तक अवकाश का उपभोग कर पुनः दिनांक 08.06.2009 से बिना अवकाश स्वीकृत किये स्वेच्छचरिता पूर्वक अवकाश की वृद्धि की है।

10. यह कि कुलपति जी द्वारा डोम निर्माण की नस्ती के साथ कार्यपरिषद में नस्ती रखे जाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के विरूद्ध नस्ती का विधिक सलाहकार से सलाह लेने के लिए अंकित कर अनुशासन हीनता की है ।

11. यह कि भूगोल अध्ययन शाला में बारिस का पानी भरने से अध्ययन योग्य न होने की शिकायत की गयी थी। इस शिकायत का निराकरण की कार्यवाही नहीं करने के कारण

कुलपति जी स्वयं स्थल निरीक्षण कर आपको दिनांक 20.03.2009 तक दोष दूर करने का निर्देश दिये थे परन्तु दोष निवारण न कर आपने लापरवाही की पराकाष्ठा पार कर दिया।

12. यह कि आपके द्वारा संटी चावला को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पहुंच योग्य जानकारी न देने कारण मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की गयी। यह जानकारी यांत्रिकी शाखा से संबंधित होने के बावजूद जानकारी देने से इन्कार कर अनुशासन हीनता की है।

13. यह कि श्री भंवर के विभागीय जांच में यात्रिकी विभाग की समस्त नस्ती विभागीय जांच के प्रस्तुत कर्ता अधिकारी को दिये जाने का आदेश आपको हुआ था। इस पर आपके द्वारा आदेश की अवहेलना कर स्वयं जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए तथा आधी जानकारी लेकर नस्ती के पृष्ठ 12 से आगे के दस्तावेज जानबूझ कर गायब कर पेश नहीं किया गया। आपके द्वारा विभागीय जांच की नस्ती को दुराशय पूर्वक गायब किया जा कर घोर कदाचरण कर अपराधिक कृत्य किया है।

14. यह कि श्री बी.पी. भवंर के विभागीय जांच में अभियोजन साक्षी होने तथा अपना साक्ष्य होने के बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विभागीय जांच से संबंधित कार्य के दौरान उसके सामने उपस्थित हुए। इस पर कुलसचिव जी जो कि आपके नियुक्ति कर्ता अधिकारी है के विरूद्ध सार्वजनिक रूप से आपके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, इससे उन्हें पीड़ा हुई। आरोप लगाया कि कुल सचिव आरोपी कर्मचारी को बचाने का कृत्य किया। इस अमर्यादित टिप्पणी पर कुलपति जी द्वारा अपनी टिप्पणी देने हेतु 3 दिवस का समय देकर आपको निर्देश दिया परन्तु आज पर्यान्त नियोक्ता अधिकारी को मिथ्या आरोप पर टिप्पणी नहीं दी है जो एक दुराचरण है।

आरोपी ने उपरोक्त आरोपों के संबंध में अपना प्रत्युउत्तर नहीं दिया फलस्वरूप आरोप प्रमाणित होने में स्वयं मद्द किया है।

आरोपी कर्मचारी ने आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया इसलिए आरोप पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर आरोपवार तथ्य स्पष्ट किया जा रहा है:-

4(1) यह कि आरोपी कर्मचारी ने बंजारी नगर से लगा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत ठेकेदार श्री नागेश शुक्ला के कार्य आदेश में हस्ताक्षर नहीं किया। उसने कार्य आदेश में हस्ताक्षर नहीं करने के लिए किसी प्रकार का कारण नहीं बताया है। अतः वह जानबूझ कर कार्य आदेश में हस्ताक्षर नहीं करने अपनी स्वेच्छाचारी एवं कार्य के प्रति उदासिनता क परिचय दिया।

अतः यह उप आरोप स्वेच्छाचारी एवं उदासीनता का आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

4(2) यह कि आरोपी कर्मचारी से श्री प्रकाश तिवारी द्वारा सूचना के अधिकार द अन्तर्गत सूचना न देकर पहुंच योग्य जानकारी होने के बावजूद प्रशासन द्वारा जांच हेतु प्राप किये जाने संबंधी आधारहीन जानकारी देते हुए नस्ती कुलसचिव महोदय को प्रेषित किया। इ महत्वपूर्ण कार्य पर सूचना न देकर, कुलपति जी /कुलसचिव जी द्वारा समय सीमा में सूचन

देने के निर्देश के बावजूद सामान्य प्रशासन को निर्देश देने के लिए नस्ती कुलसचिव महोदय को अग्रेषित कर अनुशासनहीना का कदाचरण किया।

अतः यह उप आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

4(3) यह कि विश्वविद्यालय के निर्मित/निर्माणाधीन भवनों का एम.बी. उसे प्रस्तुत करने कहने पर आरोपी ने श्री बी.पी.भंवर द्वारा सम्पादित है की जानकारी उन्हीं से लिये जाने उल्लेख किया। जबकि लोक निर्माण लेखा नियमों के तहत समस्त एम.बी. आरोपी के स्वंय के नाम पर इशु होकर आपके द्वारा ही संधारित करने दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्टि होता है तथापि वह सिविल कार्यों के प्रभारी उपयंत्री है। लोक निर्माण विभाग मैनुवल 1983 के अनुसार उपयंत्री ही निर्माणाधीन भवनों का माप तथा समस्त दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखता है। । उसे मालूम है कि श्री भंवर निलंबित है, उसके द्वारा वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है फिर भी आरोपी द्वारा मिथ्या जानकारी देकर विश्वविद्यालय हित के विपरीत कार्य कर घोर अनुशासनहीनता का कृत्य किया तथा इससे निर्माण कार्य बंद होकर विश्वविद्यालय को गंभीर आर्थिक क्षति हुआ।

अतः यह उप आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

4(4) यह कि आरोपी ने ट्राइबल स्टडीज़ सेन्टर बिल्डिंग के निर्माण कार्य में अनुबंध की शर्त का पालन नही होने पर अधिवक्ता श्री संजय पोपटानी ने विधिक नोटिस दिया। इसका प्रतिउत्तर विश्वविद्यालय के हित में नहीं देते हुये अधिवक्ता/ठेकेदार को रूपये 30,40,000/– क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रस्तावित किया। यह कार्य नोटिस दाता से मिल कर विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति पहुंचाने का साजिश एवं षडयंत्र है। उसके कार्य से एवं कार्य की महता को देखते हुए कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता एवं प्रभारी अधिकारी श्री रूपेश शर्मा को दिनांक 31.03.2009 को 4.00 बजे समय नियत कर समय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस पर आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकरण पर लापरवाही पूर्वक उपस्थित नही हुए। इस पर जारी स्पष्टीकरण का जवाब पेश नहीं कर अनुशासनहीनता का कार्य किया है।

अतः यह उप आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

4(5) यह कि आरोपी ने श्री अनिल तिवारी द्वारा सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना मांगने पर चाही गई जानकारी उपलब्ध न करते हुए "नस्ती उपलब्ध न होने की जानकारी देते हुए नस्ती के अभाव में जानकारी दिया जाना संभव नही है।" टीप देकर नस्ती कुलसचिव जी को अंकित किया। इस पर सूचना प्रशासन कक्ष से सूचना प्राप्त कर समय सीमा में सूचना देने के लिए निर्देश दिया। इस निर्देश की अवहेलना कर नस्ती में टीप दिया कि "नस्ती प्रशासन में है, की जानकारी दी है।" इस प्रकार निर्देश की अवहेलना कर अनुशासनहीनता की है। यह तथ्य आरोपी ने स्वयमेव दस्तावेजो के माध्यम से प्रमाणित किया है।

यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(6) यह कि आरोपी को बस्तर परिसर के प्रशासनिक एवं आकादमिक भवन निर्माण का मूल्यांकन करने का निर्देश कुलसचिव जी ने दिया। इस निर्देश का पालन न करते हुए बिना मूल्याकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, "नस्ती प्रशासन में जमा होने की टीप के साथ प्रशासन को नस्ती संलग्न करने की अनुमति प्रदाय करने की टीप दी।" आरोपी एक तकनीकी कार्य का जानकार एवं प्रभारी अधिकारी होने के बावजूद गैर तकनीकी विभाग को नस्ती भेजना अपने कर्तव्य एवं दायित्व की जानबुझकर अवहेलना किया है। इस प्रकार कार्य का मूल्यांकन न करके अनुशासनहीनता की है। इसे स्वयं आरोपी ने नस्ती पर विपरीत टीप अंकित कर आरोप को प्रमाणित किया इस प्रकार उसने कारण बताओं सूचना दिनांक 25.11.2009 का उत्तर जानबूझकर नही दिया है।

यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(7) यह कि आरोपी को बस्तर विश्वविद्यालय में प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के देयक को प्रस्तुतीकरण हेतु मूल नस्ती के साथ संलग्न कर प्रशासन विभाग से भेजा गया। इस नस्ती को देखकर उसने भृत्य को दो दिवस बाद लाने के लिए कहा/इसके बाद नस्ती उसे भेजी गयी परंतु जानबूझ कर नस्ती प्राप्त करने के लिए कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस अनुपस्थित एवं असथंता के संबंध में किसी प्रकार का उत्तर दिनांक 25.11.2009 को पत्र प्राप्त का उत्तर नही दिया। इस प्रकार कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित कर अनुशासनहीनता की है।

यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(8) यह कि आरोपी ने मे.निकॉन इंडिया के देयक को प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति से संबंधित निर्माण का एम.बी.में बिना पृष्ठ अंकित किये, बिना बिल बुक संलग्न किये मेजरमेन्ट के साथ निष्पादित राशि का कार्य को अंकित नहीं किया। इस प्रकार अपने कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित किया। इस आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिनांक 25.11.2009 को प्राप्त कर कोई उत्तर न देकर लापरवाही एवं उदासीना को स्वयं प्रमाणित किया है।

अतः यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(9) यह कि आरोपी को दिनांक 18.05.2009 से 06.06.2009 तक अर्जित अवकाश की मांग पर अवकाश स्वीकृत किया गया। इस स्वीकृत अवकाश का उपभोग कर दिनांक 08.06.2009 को कार्य में उपस्थित होना था परंतु इसी दिनांक 08.06.2009 को अवकाश वृद्धि का आवेदन–पत्र पेश कर एवं अवकाश वृद्धि की स्वीकृति के बिना अवकाश का उपयोग कर स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित किया। इस संबंध में स्पष्टीकरण लेने का पत्र दिनांक 25.11.2009 को प्राप्त कर कोई उत्तर न देकर स्वेच्छाचारिता को स्वयं प्रमाणित किया है।

यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(10) यह कि आरोपी को कुलपति जी ने भौतिकी विभाग के डोम निर्माण की पूरी जानकारी के साथ कार्यपरिषद में नस्ती रखने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न कर इस प्रकरण में विधिक सलाह लेने नस्ती कुलसचिव जी को अंकित किया। इस आदेश की अवहेलना के लिए स्पष्टीकरण मांगने का पत्र दिनांक 25.11.2009 को प्राप्त होने के बाद भी उत्तर नहीं दिया। फलस्वरूप कुलपति जी के आदेश की अवहेलना कर अनुशासनहीता प्रमाणित हुआ।

यह उप आरोप प्रमाणित हुआ।

4(11) यह कि आपने भूगोल अध्यायन शाला में बरसात का पानी भरने के कारण अध्ययन कार्य में बाधा होने की शिकायत का निराकरण नहीं किया जबकि वह यांत्रिकी विभाग के सिविल विभाग का प्रमुख है। इस विभाग का छत मरम्मत नहीं होने की शिकायत कुलपति जी को मिलने पर उसने एवं कुलसचिव जी के साथ दिनांक 18.08.2009 को स्थल निरीक्षण किया और दोष निवारण हेतु नस्ती 415 दिनांक 20.08.2009 को भेजा परंतु उसने लापरवाही कर कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति विमुखता प्रदर्शित किया। इस संबंध में दिनांक 25.11.2009 को स्पष्टीकरण देने संबंधित पत्र तामिल किया गया। इसका उत्तर न देकर अपनी लापरवाही की पराकाष्ठा पार की इससे घोर कदाचरण प्रमाणित हुआ।

अतः यह उप आरोप प्रमाणित है।

4(12) यह कि आरोपी ने श्री संटी चावला के द्वारा सूचना के अधिकरण के अन्तर्गत सूचना की मांग की थी। इस कार्य में उसने भारी लापरवाही का कार्य किया। उसे संबंधित जानकारी पहुंच योग्य होने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं किया एवं जानकारी प्रशासन विभाग में होने का टीप देकर नियम का पालन नहीं किया। इस पर प्रथम अपील हुई जिसमें निःशुल्क सूचना देने के आदेश का भी पालन नहीं किया फलस्वरूप मुख्य सूचना आयुक्त के यहां अपील हुई। इसकी सूचना प्राप्त होने पर उदण्डता पूर्वक प्यून बुक में "नस्ती प्रशासन के अभिरक्षा में है। अतः पक्ष प्रशासन को दिया जावे, मूलतः वापस" उदण्डता पूर्वक अंकित किया। उसने विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का कार्य किया। इस तथ्य पर स्पष्टीकरण मांगे जाने का पत्र दिनांक 25.11.2009 को तामिल किया गया। इसका प्रतिउत्तर न देने के कारण उसकी उदासीनता एवं अनुशासनहीनता प्रमाणित हुआ।

~~अतः यह उप आरोप प्रमाणित हुआ।~~

4(13) यह कि आरोपी कर्मचारी ने इस आरोप से संबंधित तथ्य के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिनांक 25.11.2009 को एक कारण बताओं नोटिस दिया था। इसकी तामिली होने के बाद उसने जवाब पेश नहीं किया अतः आरोप स्वीकारोक्ति है। आरोपी ने श्री बी.पी.भवंर निलंबित सहायक यंत्री के विरूद्ध संस्थित आरोप में दस्तावेजों की आवश्यकता प्रस्तुत कर्ता अधिकारी को हुई तो आरोपी ने कुलपति जी के निर्देश की अवहेलना कर स्वयं जानकारी लेकर विभागीय जांच अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस प्रकार की कार्यवाही में आरोपी ने

केन्द्रीय मूल्यांकन नस्ती के पृष्ठ कं.12 से आगे को पेश नहीं किया। इस प्रकार आरोपी ने जानबुझ कर सही तथ्यों को छुपाया। आरोपी द्वारा अधूरी दस्तावेज पेश करने पर जवाबदारी तय करने के कुलपति जी के निर्देश पर पत्र दिनांक 19.08.2009 को जारी किया गया। आरोपी ने जानबूझकर प्रत्युत्तर नहीं दिया। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी ने जानबूझ कर केन्द्रीय मूल्यांकन भवन की नस्ती के शेष भाग को गायब किया। इस प्रकार नस्ती के पृष्ठों को गायब कर तथ्यों को छुपा कर घोर अनुशासनहीनता की है।

अतः यह उप आरोप स्वयं प्रमाणित है।

4(14) यह कि आरोपी ने श्री बी.पी.भवंर निलंबित इंजिनियर के विभागीय जांच में प्रस्तुत कर्ता अधिकारी के समक्ष स्वयं का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत स्वयः उपस्थित हुआ। कुलसचिव जी ने उसके समक्ष उपस्थिति पर आपत्ति किया क्योंकि उसकी उपस्थिति से जांच प्रभावित न हो। आरोपी ने अपचारी कर्मचारी (अर्थात् श्री भंवर) को बचाने की कोशिश का अनर्गल टिप्पणी कर कुलसचिव जी जो कि उनके नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी है, के उपर झूठा लाछंन लगाया। उसमें कुलपति जी को किये गये शिकायत पर कुलपति जी द्वारा कुलसचिव जी को अपनी टिप्पणी देने का निर्देश किया। इस पर आरोपी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से घटना के संबंध में बिन्दुवार जानकारी देने हेतु दिनांक 19.08.2009 को लिखते हुए 3 दिवस में चाही गई। आपने बिन्दुवार घटना क्रम की जानकारी नहीं दी है। इस से स्पष्ट है कि आरोपी का उद्देश्य मिथ्या आरोप लगाकर कुलसचिव जी को जो नियोक्ता है उनके विरूद्ध टिप्पणी कर घोर कदाचारण किया है। इस संबंध में दिये गये कारण बताओं नोटिस दिनांक 25.11.2009 का जवाब नहीं देने से यह आरोप प्रमाणित हुआ है। वह अपने नियोक्ता पर अनर्गल आरोप लगा कर गुण्डागर्दी करते हुए स्वयं को विश्वविद्यालय सेवा के लिए अयोग्य प्रमाणित किया है।

यह उप आरोप प्रमाणित है।

<u>आरोप कमांक 5:–</u>

आरोपी कर्मचारी का विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र क्रं. 5001/स.प्र./2009 दिनांक 25.11.2009 को जारी पत्र का जवाब नहीं देने के कारण क्रं. 2705/स.प्र./2010 दिनांक 25.05.2010 पर कारण बताओं एवं अपने पत्र 43 दिनांक 21.05.2010 के संबंध में 3 दिवस में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, का पत्र प्राप्त करने के बाद जान बुझ कर जवाब न देकर कदाचरण एवं अनुशासन हीनता की है ।

आरोपी कर्मचारी को आरोप आदि एवं उसमें संलग्न दस्तावेजों के मिलने के बाद उसका प्रति उत्तर नहीं दिया जो उसकी आरोपों की स्वीकारोक्ति को दर्शित करता है।

आरोपी कर्मचारी को पत्र क्रं. 5001/स.प्र./2009 दिनांक 25.11.2009 एवं स्मरण पत्र क्रं. 27–05/सा.प्र./2010 दिनांक 28.05.2010 पत्र की तामिली होने के बाद जानबूझ कर जवाब नहीं दिया। इस प्रकार जहां मांगी गयी स्पष्टीकरण के तथ्यों को स्वीकार किया वहीं पर प्राप्त स्मरण पत्र का भी जवाब नहीं दिया। यह वारिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का पालन न करके कदा चरण किया एवं अनुशासन हीनता को दिखाया है ।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप कमांक 6:—

श्री रूपेश शर्मा, उपयंत्री सिविल को विश्व विद्यालय द्वारा परीक्षा विभाग में लगे महिला एवं पुरूष प्रसाधन को तोड़कर कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था। इस निर्माण के लिए हुए तोड़ फोड़ को पूर्ण करने के लिए रूपये 9700.00 का चेक दिया गया। उसे भेजे गये चेक के लिफाफे के पृष्ठ भाग में स्वेच्छा पूर्वक टीप कर वापस लौटा कर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है ।

परीक्षा विभाग में कम्प्यूटर कक्ष निर्माण हेतु पुरूष एवं महिला प्रसाधन को तोड़कर कक्ष निर्माण हेतु अरोपी कर्मचारी को अधिकृत किया था। इसे तोड़कर निर्माण कार्य लंबित होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा 9700.00 का चेक श्री रूपेश के लिए भेजा गया। इस राशि का चेक क्रं. 448049 दिनांक 22.04.11 को एक लिफाफे में रख कर सुरक्षित भेजा गया। उस चेक को अग्राह्य कर लिफाफे के पृष्ठ भाग में दिनांक 28.04.11 को अस्वीकृत करने संबंधी टीप "मैंने उक्त कार्य के लिए अग्रिम की मांग नहीं की थी, चुंकि पूर्व में मेरे द्वारा लिए गये अग्रिम की कटौती कार्यपरिषद की निर्णयानुसार वित्त विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः जारी चेक निरस्त किया जाए।" इस टीप पद में आरोपी ध्दारा कुलपति जी को आदेशातेमक टिप्पणी का बोध होता है तथा आदेशों का उल्लंघन है, होना पाया गया एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया गया । विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना की निरंतर प्रकृत्ति परिलक्षित होती है।

आरोपी कर्मचारी ने उपरोक्त अरोप के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया जो उसकी स्वीकृति को प्रदर्शित करता है।

आरोपी कर्मचारी ने कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत धन राशि 9700.00 का चेक को लेने के लिए अस्वीकृत किया एवं भेजे गये लिफाफे में ही अस्वीकृत के तथ्य को अंकित कर लिखित में अवगत कराया है। यह अग्राह्य उसकी अनुशासन हीनता को प्रदर्शित करता है क्योंकि विश्वविद्यालय ने ही कम्प्यूटर कक्ष निर्माण के लिए धनादेश क्रमांक 448049 भेजा गया था। कुलपति जी के टीप के संबंध में किसी प्रकार का खण्डन नही करना उसकी स्वीकारोक्ती को दिखाया है।

अतः उच्चधिकारियों के आदेश को निरंतर अवेहलना करना उसकी प्रकृति का आरोप प्रमाणित है।

आरोप कमांक 7:—

श्री रूपेश शर्मा, प्रभारी अधिकारी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया कि न्यायालय में लम्बित भू अर्जन प्रकरण कमांक/50/08, 51/08,53/08, 55/08, 58/08 तथा 59/08 में श्री प्रदीप शर्मा लैब टेक्नीशीयन को प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता राजेश पाण्डेय को नियुक्त किया गया। उसने इस प्रकरण के समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश की अवहेलना कर स्वेच्छाचारिता एवं विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारीयों के निर्देशों की अवहेलना की है।

आरोपी कर्मचारी को आरोप की जानकारी होने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अतः आरोप स्वीकार होना इंगित करता है ।

आरोपी को पेश आरोप पत्र एवं संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रकरण कमांक 50/08 मंगल कुमार अग्रवाल, 51/2008 व परसराम, 53/2008 हरख राम व परसराम, 55/2008 चोकरराम, 8/2008 टिकेन्द्र सिंह, 29/2008 श्रीमति कृष्णा देवी सभी ने विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य में प्रतिरक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा लैब टैक्नीशीयन को नियुक्त किया गया था। उसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन प्रकरणों से सम्बंधित समस्त दस्तावेजों को प्रभारी अधिकारी (प्रदीप शर्मा) को उपलब्ध कराने के लिये श्री रूपेश शर्मा को दिनांक 28.04.2011 को पत्र लिखा गया। इस पर आरोपी ने बिना जांच पड़ताल किये तथ्यों के विपरीत पत्र में अंकित किया कि "उपरोक्त प्रकरण से सम्बंधित कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है" तथा वापस किया। इस प्रकार पत्र में ही टीप अंकित करना उसकी उदण्डता को दिखाता है। यह अभिलेख विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना है। इसी अभिलेख में कुलपति जी ने दिनांक 31.05.2011 को आरोपी के कृत्य को अनुशासनहीनता का टीप उल्लेख किया है।

यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप कमांक 8:–

प्रकरण कमांक 4/2009 डॉ. हर्षवर्धन तिवारी विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्लं विश्वविद्यालय रायपुर के प्रकरण में आरोपी श्री रूपेश शर्मा ने श्री तिवारी प्रतिवादी/अपीलार्थी से मिलकर उसे सहयोग कर विश्वविद्यालय/नियोक्ता के विरूद्ध निष्ठा नहीं दिखाई अर्थात गद्दारी किया।

आरोपी कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायालय में मूल प्रकरण के आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिये विश्वविद्यालय ने आदेश कमांक/1439/स.प्र./10 दिनांक 07.07.2010 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया तथा विश्वविद्यालय के हित रक्षण करने का आदेश दिया। उसने प्रति अपीलार्थी श्री तिवारी से मिलकर उसकी सहायता के लिये उसकी जमीन की रजिस्ट्री दस्तावेज की सत्यप्रति प्राप्त करने हेतु गलत तरीके से अर्थात अपने अधिकारी को विश्वास में नं लेकर उसे (श्री तिवारी को) उपलब्ध कराया है। प्रभारी अधिकारी की हैसियत से कब्जे के दस्तावेज को अपील तैयार करने अधिवक्ता को उपलब्ध ही नही कराया। उसने अपील पेश करने में सहायता न देकर विश्वविद्यालय के विरोधी पक्षकार श्री हर्षवर्धन को सहयोग कर विश्वविद्यालय से गंभीर दूराचरण किया है। इस कृत्य के लिये प्रति उत्तर की मांग की गई परंतु उसका कोई उत्तर नहीं दिया एवं नियोक्ता (अपने मालिक) का कार्य नहीं कर गद्दारी की है।

~~इस आरोप के सम्बंध में कर्मचारी ने किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया और न हीं~~ विरोध के दस्तावेज पेश किये।

आरोपी कर्मचारी ने आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का किसी प्रकार का खण्डन नहीं कर जवाब पेश नहीं किया। उसके कारण बताओं पत्र दिनांक 22.07.2011 से यह स्पष्ट झलकता है. कि उसने प्रतिवादी/प्रति उत्तरवादी श्री हर्षवर्धन तिवारी को प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से मदद किया। यह कृत्य अपने नियोक्ता/मालिक के विरूद्ध घोर विश्वासघात एवं गद्दारी है। उसे प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर समस्त दस्तावेज (प्रकरण से सम्बंधित) उपलब्ध करा दिया गया

था। उसने विश्वविद्यालय अभियंता श्री ए.के.शर्मा से मिलकर अपील मेमो सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया एवं अपील अवधि जानबूझकर बाधित किया। उसने विश्वविद्यालय के आदेश की अवहेलना की और प्रति अपीलार्थी से मिलकर गंभीर दुराचरण किया यानि मालिक के विरूद्ध गद्दारी की है।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप कमांक 9 :–

आरोपी कर्मचारी को विश्वविधालय प्रशासन द्वारा सिविल मेंन्टेनेन्स के संबंधित कार्य करने एवं नस्ती कुलपति जी एवं कुलसचिव जी को पेश करने के लिये पत्र कं/3750/सा.प्र./ दिनांक 14.08.2010 को आदेश दिया। इसी अनुक्रमांक श्री बी.पी. भंवर के कक्ष के सीलबंद ताला को खोलकर पंचनामा करके नस्तीयों को सूचीबद्ध करने का आदेश किया। इस हेतु श्री रस्तोगी उपयंत्री विद्युत को भी दायित्व सौंपने कर समय और तिथि निर्धारित किया गया। सिविल कार्य की नस्ती प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.09.2010 के 11 बजे समय निर्धारित की गई। आरोपी सिविल यंत्री है एवं इस अनुभाग का प्रभारी अधिकारी रहा परंतु वह इस कार्य को करने के लिये रूचि नहीं दिखाई और नियत समय एवं स्थान पर अनुपस्थित रहा। सिविल कार्य से सम्बंधी सूची अनुसार नस्ती प्राप्त करने के बजाये नस्ती में ही उदण्डता अंकन कर नस्ती प्रशासन को अंकित किया। यह कार्य उसकी अनुशासनहीनता है एवं उदण्डता को दिखाता है।

इस आरोप के सम्बंध में आरोपी ने आरोप का मौखिक एवं लिखित अभिलेख संहित खण्डन नहीं किया। अतः अभिलेख के आधार पर ही प्रतिवेदन अंकित किया जा रहा है।

आरोपी श्री रूपेश शर्मा को लोक सूचना अधिकारी (यात्रिकी) का कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपने आदेश दिनांक 26.05.11 द्वारा सौपा। इस कार्य को करने के लिए असर्मथता व्यक्त कर लिखित में लोक सूचना अधिकारी प्रशासन को अस्वीकार कर पूर्णत् लोक सूचना अधिकारी का कार्य करने के लिए आदेश दिया। इस आदेश की भी अवहेलना की तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कारण बताओं सूचना जारी कर इस बिन्दू पर पत्र व्यवहार न करने का आदेश दिया। आरोपी ने कारण बताओं नोटिस का जवाब न देकर अपने आप को विश्वविद्यालय सेवा के लिए अयोग्य करार किया।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप पत्र कं 10 :–

लोक सूचना अधिकारी (यांत्रिकी) के दायित्व का निर्वाह न करके असमर्थता व्यक्त करते हुए दायित्वों से मुक्त होने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को बार–बार पत्र लिख कर आदेशों की अवहेलना की। इससे उसकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित किया।

आरोपी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के आदेश कं/2139/सा.प्र./सू.अधि./10 दिनांक 26.05.2010 द्वारा लोक सूचना अधिकार (यांत्रिकी) नियुक्त किया गया। इस आदेश का पालन न करते हुए दिनांक 31.05.2011 को असमर्थता का पत्र दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने असमर्थता के पत्र को अमान्य मान कर पूर्ववत् दायित्व का निर्वहन करने के लिये आदेश दिया गया। इस

आदेश का पालन न करते हुए दिनांक 28.06.2011 के आदेश को पुनः आवेदन कर पालन न करने सम्बंधी असमर्थता बाबत् आवेदन पत्र दिया। इसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 25.05.2011 का पालन करने के लिये आदेश दिया। आरोपी द्वारा आदेश का पालन में असमर्थता बताते हुए 21.07.2011 को पुनः पत्र लिखा। उसे विश्वविद्यालय ने दिनांक 01.08.2011 को पत्र द्वारा पूर्ववत् आदेश का पालन करने के आदेश दिया गया तथा किसी प्रकार उस विषय में पत्राचार न करने के लिये ही आदेश दिया। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा बार–बार आदेश की अवहेलना करने के लिये कारण बताओ नोटिस पत्र कं/3399/स.प्र./सू.अधि./2011 दिनांक 05.09.2011 को जारी किया गया। इस प्रकार बार–बार आदेशों की अवहेलना कर अनुशासनहीनता दिखाया है।

इस आरोप के सम्बंध में आरोपी कर्मचारी ने खण्डन नहीं किया।

आरोपी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आदेश कमांक 2139/सा.प्र./सू. अधि./2011 दिनांक 26.05.2011 द्वारा लोक सूचना अधिकारी (यांत्रिकी) का कार्य सौंपा। इस आदेश को आरोपी ने पालन करने से इंकार किया। इस पर प्रशासन ने पुनः आदेश देकर दिनांक 26.05.2011 के आदेश का पालन करने निर्देश जारी किया और अनावश्यक पत्राचार न करने हिदायत भी दिया। अपचारी कर्मचारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के सक्त चेतावनी की परवाह न करते हुए, उक्त विषयांतर्गत् पुनः दिनांक 03.08.2011 को पत्र लिखा गया। यह उसकी उद्ण्डता का उदाहरण है इस प्रकार विश्वविद्यालय प्रशासन को अर्थात अपने मालिक के आदेशों की परवाह नहीं करते हुए निर्देशित कर्तव्यों का निर्वाह आरोपी द्वारा नहीं करते हुए अपने अनुशासनहीनता का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्वयं पुष्टि कर अपने आपको विश्वविद्यालय की सेवा के लायक नहीं बनाया है।

यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप पत्र क. 11 :–

स्थानीय न्यायालय के तीन प्रकरणों एवं उच्च न्यायालय के चार प्रकरणों में श्री राजेश केशरवानी अधिवक्ता से प्रभारी अधिकारी की हैसियत से वर्तमान स्थिती से अवगत कराने के आदेश के बावजूद आरोपी ने जानबूझ कर कर्तव्यों की उपेक्षा की है।

आरोपी कर्मचारी को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 1770/विधिक/2011 दिनांक 29.04.2011 द्वारा स्थानीय न्यायालय के प्रकरण अपील अंजली दास विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, श्री मंगल दुबे मेमोरियल विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, समीर दुबे विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तथा उच्च न्यायालय के प्रकरण कं/5846/06 पी.सी.अग्रवाल विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, क्रं/4605/06 श्रीमति भगवती बाई विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्व विधालय, कं/1934/06 ओम प्रकाश अग्रवाल विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं कं/4991/2006 संत कुमार शुक्ला विरूद्ध पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस आदेश की तामीली हो गई है। इन प्रकरणों की वर्तमान स्थिती से अवगत कराने हेतु पत्र कं/1826/विधिक/2011 दिनांक 06.07.2011 द्वारा लिखा गया जिसकी जानकारी आरोपी को थी। इसके बाद पत्र कं/1834/विधिक/2011 दिनांक

21.07.2011 द्वारा स्मरण कराया गया। इस प्रकरण के आदेशों की कार्यवाही में लापरवाही की है।

आरोपी कर्मचारी ने इस आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया। इस प्रकार आरोप आदि एवं दस्तावेजों की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार से आरोपों का खण्डन नहीं किया।

अपचारी कर्मचारी को पेश अभिलेखों से स्पष्ट है कि उसनें न्यायालय के प्रकरणों में प्रतिरक्षण करने से पूर्णतः लापरवाही की है। यदि वह प्रकरणों में विश्वविद्यालय का प्रतिरक्षण करता तो निश्चय ही वह दृढ़तापूर्वक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति से विश्वविद्यालय को अवगत करा सकता था। श्री राजेश पाण्डेय अधिवक्ता के टीप पत्र दिनांक 03.08.2011 से स्पष्ट है कि प्रभारी अधिकारी श्री रूपेश शर्मा को अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरणों के प्रतिरक्षा के सम्बंध में चर्चा नहीं की है। उसने अपने पत्र दिनांक 25.09.2011 में उसके (श्री पाण्डेय) के नाम का उल्लेख गलत एवं आधारहीन किया गया। इस प्रकरण विश्वविद्यालय की तीनों पत्रों के सम्बंध में (वर्तमान स्थिति के सम्बंध) में झूठी जानकारी दिया है। उसके इस कृत्य के विरूद्ध में दंडित प्रकरण भी स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकरण में श्री पाण्डेय अधिवक्ता का सहारा लेकर विश्वविद्यालय को गडढे में डालकर भ्रामक एवं आधारहीन जानकारी दिया है। चूँकि अपचारी का व्यवहार अत्यंत ठगी, धोखाधड़ी पूर्वक पुष्टि होता है और अपचारी ने जानबूझकर विश्वविद्यालय को अर्थात् अपने मालिक को भ्रम में रखा है, जो अपने आपको विश्वविद्यालय की सेवा के लायक नहीं बनाया है।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

आरोप पत्र कमांक 12 :–

यांत्रिकी विभाग के सिविल कार्य से सम्बंधित नस्तियों को वापस लेने के आदेश की अवहेलना कर कदाचरण किया ।

दिनांक 13.02.2009 को लगभग 2:45 बजे कुलसचिव के द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर यांत्रिकी की नस्तियां आरोप पत्रादि तैयार करने हेतु सूची बनाकर प्राप्त करने समक्ष में निर्देश दिया गया था। इस निर्देश का पालन न कर स्थापना शाखा जाने का बहाना बनाकर अन्यंत्र कही चला गया। मोबाईल से सम्पर्क साधने पर मोबाईल से अवगत कराया कि वह ट्रिब्यूनल कोर्ट में है। इस प्रकार समक्ष में दिये गये निर्देश की अवहेलना कर उदण्डता की है ।

अपचारी कर्मचारी ने इस पद के आरोप के सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिया। जबकि उसे आरोपप्रति एवं दस्तावेज प्राप्त हो गया है।

अपचारी कर्मचारी ने आरोप पत्र आदि एवं संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी न तो लिखित में प्रतिवाद किया और न ही अपना कथन दर्ज किया। उस पर आरोपित आरोपादि से स्पष्ट है कि आरोपी को दिनांक 13.02.2009 को कुलसचिव जी द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर यांत्रिकी शाखा की नस्तियां ले जाने का निर्देश दिये जाने के बावजूद बड़ी उदण्डतापूर्वक दिनांक 18.02.2009 को नस्तियां लेने के लिये इन्कार किया।

अतः यह आरोप प्रमाणित है।

मैनें आरोपी श्री रूपेश शर्मा निलंबित उपयंत्री को समक्ष में सुना। उसे प्रत्येक पेशी में अत्यंत उदारता एवं विनम्रता पूर्वक प्रत्येक आरोपों के सम्बंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा तथा अपचारी सेवक को आरोपों के समर्थन में अभियोजन द्वारा अभिलेखों की सूची में उल्लिखित दस्तावेजों का परीक्षण कर बताने को कहा कि क्या इनकी विशुध्दता या प्रमाणिकता में उसे कोई संदेह है . जवाब देना तो दूर अभियोजन साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण हेतु अपना मुँह तक नहीं खोला गया। तथापि अपचारी सेवक ने मेरे एवं अभियोजन गवाहों के समक्ष अति उग्र स्वर में विभागीय जाँच में ऐन केन प्रकारेन बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया गया,बचाव सहायक हेतु नियम 14 (8) के तहत निवेदन लिखित या मौखिक नहीं किया तथा कभी भी आरोपों के सम्बंध में अपना बचाव युक्तियुक्त तरीके से अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद अपचारी ध्दारा अपना बचाव नहीं रखा गया, तथापि उन्हें सभी आरोप पदों में अभियोजन साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने हेतु कहा गया परंतु अपचारी उन्हें प्रदान किये गये सभी अवसरों में हमेशा जांच कार्यवाही को रोके जाने हेतु अनर्गल बहस तीव्र स्वर में किया जाता रहा और इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की आवश्यकता हुई।

आरोपी कर्मचारी पर आरोपित 11 आरोप एवं आरोप कमांक 4 के 14 उप आरोप कुल 25 आरोप दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अभियोजन साक्षियों के परीक्षण द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है।

जाँच प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

04/05/201

(सी. एक्का)
जाँच प्राधिकारी एवं सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर
राज्य प्रशासनिक अधिकारी सेवा छ.ग. रायपुर

~~//~~

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
"स्वर्ण जयन्ती वर्ष"

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail - adm.prsu@yahoo.in

:: नोटिस ::

क्रमांक/ 7605 /सा.प्रशा./2013 रायपुर, दिनांक 7 / 12 /2013

प्रति,

श्री रूपेश शर्मा
उपयंत्री (निलंबित)
यांत्रिकी विभाग,प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **विभागीय जांच में आरोप सिद्ध/प्रमाणित पाये जाने के बावजूद एक अवसर प्रदाय करने बाबत्।**
संदर्भ :- **आपके द्वारा प्रेषित, कारण बताओं नोटिस के उत्तर से संबंधित पत्र दिनांक 01.06.2013**

संदर्भित पत्र के संबंध में विषयांतर्गत लेख है कि आपके विरूद्ध कराई गई विभागीय जांच में आरोपित सभी आरोप सिद्ध पाये गये हैं एवं आपका आचरण एवं व्यवहार एक आदर्श कर्मी हेतु निर्धारित आचरण नियमों के विपरीत पाया गया है, जिसे स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय की मंशा कर्मचारी को प्रताड़ित या दंडित करना नहीं है, बल्कि यथासंभव कर्मचारी के आचरण एवं व्यवहार में सुधार लाना है।

अतः विभागीय जांच से प्राप्त निष्कर्षों को प्रभावशील रखते हुए, नियमानुसार परिनियम 31 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पूर्व आपको अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु एक अवसर प्रदाय किया जा रहा है, बशर्ते कि आप 50/- रू. के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार उल्लेख करते हुए 07 दिनों में यह वचन पत्र लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, ताकि निलंबन वापस करने के संबंध में विचार किया जा सके।

"यदि एक वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन को मेरे आचरण एवं व्यवहार में एक अच्छे कर्मचारी की तरह सुधार परिलक्षित नहीं होगा, तो विभागीय जांच में प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार विश्वविद्यालय मेरे विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत मुझे जो भी दंड दिया जायेगा, वह मुझे निःशर्त स्वीकार होगा।"

अतः 07 दिनों के अंदर उपरोक्तानुसार वचनपत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परिनियम 31 के अतंर्गत कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालयीन प्रशासन स्वतंत्र होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 7606 /सा.प्रशा./2013 रायपुर, दिनांक 7 / 12 /2013

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

7/12/2013

उप कुलसचिव (प्रशा.)

D/ Tirath yadav/ Other docx- 1259

आज दिनांक 13/12/2013 को कार्यालय में एक प्रति प्राप्त किया गया
13/12/2013

प्रति,

कुलसचिव,
पं·रविशंकर शुक्ल वि·वि·
रायपुर (छ०ग०)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 7695/सा·प्रशा·/2013 रायपुर दिनांक 17-12-2013

महोदय,

आपके कार्यालय से एक पत्र/कारण बताओ सूचना क्रमांक 2209/सा·प्रशा·/2013 रायपुर, दिनांक 17-5-2013 प्राप्त हुआ था जिसका विस्तृत प्रत्युत्तर सह-पत्रों सहित कुल 79 पेज मेरे द्वारा आपको दिनांक 01-06-2013 प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु मेरे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर प्राप्ति पश्चात आपके द्वारा ऐसा कोई पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह प्रतीत होता हो कि मेरे द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण/प्रत्युत्तर दिनांक 01-6-2013 के पश्चात आपकी ओर से क्या निष्कर्ष अथवा निर्णय लिया गया है, मैं इस तथ्य से विशिष्ठ रूप से इंकार करता हूँ कि मेरे विरुद्ध आरोपित, आरोप स्वीकार किये जाने योग्य है । आपके पत्र की पैराग्राफ- एक में उद्धृत कथन पूर्णतया मिथ्या है । जहाँ तक विश्वविद्यालय की मंशा का प्रश्न है पूर्व में यह आपके द्वारा बिना जांच के दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकना जो कि समझ से परे है । मेरे द्वारा विश्वविद्यालय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठापूर्वक किया जा रहा है ।

पत्र की पैराग्राफ -दो में एवं तीन में आपके द्वारा जो अपेक्षा की गई है वह पूर्णरूपेण अवैधानिक, असंवैधानिक है, एवं कर्मचारी हेतु बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियम नियंत्रण एवं अपील नियमों के विपरित है ।

भवदीय,

(रूपेश कुमार शर्मा)
उपयंत्री
पं·रविशंकर शुक्ल वि·वि·
रायपुर (छ०ग०)

प्रतिलिपि :-

1· माननीय कुलपति महोदय,
पं·रविशंकर शुक्ल वि·वि· रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

अपील – ज्ञापन

प्रति,

मानननीय अध्यक्ष कार्य परिषद/ कुलपति
पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय
रायपुर (छ.ग.) एवं
माननीय सदस्यगण, कार्य परिषद
पं. रवि शंकर विश्व विद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

रूपेश कुमार शर्मा उम्र 43 वर्ष आत्मज श्री अशोक कुमार शर्मा पूर्व कर्मचारी उप अभियंता सिविल यांत्रिकी विभाग पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर (छ.ग.) निवासी विजय चौक बाजार रोड निर्मल इण्डस्ट्रीज के आगे वसुन्धरा नगर चंगोरा मांठा रायपुर (छ.ग.)

अपीलार्थी

अपील अंतर्गत परिनियम 31 (58)(1) पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर (छ.ग.)

अपीलार्थी की ओर से सविनय निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1/ यह कि, अपीलार्थी पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर (छ.ग.) जिसे आगे संक्षिप्त में सिर्फ विश्व विद्यालय के नाम से संबोधित एवं लिखा जावेगा, के यांत्रिकी विभाग में दिनांक 30/मई/1995 को उप अभियंता सिविल के पद पर नियुक्त किया गया था तथा दिनांक नियुक्ति से निलंबन पूर्व तक अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गये प्रत्येक कार्यों का संपादन अपनी श्रेष्ठ क्षमता के आधार पर किया था, निलंबन के पहले तक चूंकि अपीलार्थी को कभी भी गोपनीय चरित्रावली में किसी भी विपरित प्रवृष्टि अथवा टिप्पणी की सूचना संसूचित नहीं की गयी, इसलिए अपीलार्थी यह मानता है कि इन अवधियों में भी गोपनीय चरित्रावली में उसके विरूद्ध कोई टिप्पणी इंद्राज नहीं है ।

2/ यह कि, अपीलार्थी के सेवा काल के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी किसी भी स्तर की आर्थिक अनियमितता कारित करने अथवा आर्थिक कदाचरण के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ना ही इस बाबत् कभी भी नियोक्ता द्वारा कभी भी अप्रसन्नता जाहीर की गयी है ।

आवक क्र. 5117
दि. 3/2/14
VC 5117
10/2/14

3/ यह कि, उपरोक्त दोनों तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि अपीलार्थी की सेवा निर्बाध रूप से अपने कार्यों को पूर्ण सजगता के साथ एवं बगैर किसी आर्थिक कदाचरण के की जाती रही है ।

4/ यह कि, दिनांक 30/11/2011 को आश्चर्य जनक तरीके से अपीलार्थी को माननीय कुलसचिव द्वारा जारी आदेश निर्वाहित की गयी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा कथित रूप से ''आदेशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही'' की गयी है, जबकि अपीलार्थी की श्रेष्ठ जानकारी में अपीलार्थी द्वारा कभी भी विधिपूर्ण आदेश की अवहेलना नहीं की गयी है एवं ना ही अपीलार्थी को सौंपे गये कार्यों के प्रति अपीलार्थी लापरवाह रहा है ।

5/ यह कि, दिनांक 09/01/2012 को आरोप पत्र अपीलार्थी को जारी किया गया जिसमें कतिपय आरोप अपीलार्थी के प्रति अधिरोपित किये गये अपीलार्थी के प्रति मुख्य रूप से आरोप कमांक 01 से 12 द्वारा विभिन्न आरोप अधिरोपित किया गया कि जिसमें प्रमुखतः यह आरोप है कि अपीलार्थी कथित दिनांक को सील बंद कमरे का ताला खोलकर पंचनामा के समय उपस्थित नहीं हुआ इसी आरोप पत्र में सील बंद यांत्रिकी विभाग से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दुराशय पूर्वक गायब करने अधिरोपित किया गया, यह भी आरोप है कि अपीलार्थी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान हेतु लोकनिर्माण विभाग को असहयोग किया गया है, अपीलार्थी के विरूद्ध जो विभिन्न आरोप अधिरोपित किये गये हैं इन सभी आरोपों के संबंध में अपीलार्थी ने विस्तृत जवाब दिनांक 24/01/2012 को जो लगभग 58 पेज सह पत्रों सहित है प्रस्तुत किया था, अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि अपीलार्थी से संबंधित जॉच कार्यवाही का मूल अभिलेख एवं जवाब दिनांक 24/01/2012 आहुत कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को इस अपील ज्ञापन का एक भाग माना जावे ।

6/ यह कि, नियोक्ता द्वारा जारी आरोप पत्र एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के उपरांत श्रीमान कुल सचिव विश्वविद्यालय द्वारा अपीलार्थी के बगैर सहमति प्राप्त किये एक जॉच अधिकारी श्री सी. एक्का की नियुक्ति दिनांक 14/03/2012 को की गयी ।

7/ यह कि, जॉच अधिकारी तथा अपने नियोक्ता के समक्ष अपीलार्थी ने जॉच के दौरान नैसर्गिक न्याय के मान्य सिद्धांतों एवं विभागीय जॉच में स्वीकृत एवं मान्य प्रक्रिया एवं सिद्धांतों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कई प्रकार की सहायता की मांग की गयी जिसमें प्रमुखतः जॉच की कार्यवाही में अपीलार्थी के बचाव सहायक के रूप में नियुक्ति की अनुमति दिये जाने बाबत् शामिल है ।

8/ यह कि, इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अपीलार्थी के नियोक्ता द्वारा विश्व विद्यालय में कार्यरत् वरिष्ठ कर्मचारी वरिष्ठ प्राध्यापकों के सेवारत् होने के बावजूद मनमर्जी से एक सेवानिवृत्ति अधिकारी को उपकृत किये जाने के उद्देश्य से जॉच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया इससे स्पष्ट है कि नियोक्ता द्वारा प्रारंभ से अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्वाग्रह युक्त होकर सोंचे-समझे तरीके से अवैध एवं अनियमित कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

9/ यह कि, अपीलार्थी अत्यंत खेदपूर्वक माननीय कार्य परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी श्री बी. पी. भंवर सहायक यंत्री के द्वारा किये गये गंभीर आर्थिक अनियमितता से संबंधित कार्यवाहियों के प्रति चूंकि अपीलार्थी एक महत्वपूर्ण साक्षी है तथा विश्वविद्यालय के निर्देश पर ही अपीलार्थी सूचना के अधिकार के अंतर्गत दस्तावेजों को प्राप्त किया था एवं श्री बी. पी. भंवर के आपराधिक कृत्यों से सुसंगत दस्तावेज जो तत्कालिक कुलपति द्वारा एक कर्मचारी की उपस्थिति में उपलब्ध कराये गये थे को विश्व विद्यालय की ओर से अन्वेषण के दौरान विश्व विद्यालय के दो कर्मचारियों की उपस्थिति में पुलिस को जब्त कराया था । राज्य शासन से विश्व विद्यालय को एक भवन निर्माण के कार्य के लिए प्राप्त राशि रूपये एक करोड़ स्वीकृत था, उक्त राशि का उपयोग विभिन्न भवनों के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र से लोहा क्रय करने के लिए किया गया, बिना निविदा के भिलाई इस्पात संयंत्र को छड़ क्रय हेतु लगभग 66,00,000.00 का भुगतान कुल सचिव श्री के. के. चंद्राकर द्वारा किया गया इस प्रकरण में कुछ ऐसा दस्तावेज है जो न सिर्फ कर्मचारी श्री बी. पी. भंवर सहायकयंत्री की आपराधिक संलिप्तता प्रमाणित करती है वरन् भवन निर्माण (लोहे) का यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट (उपयोग प्रमाण–पत्र) जो लगभग एक करोड़ रूपये का है वह प्रमाण पत्र नियोक्ता अर्थात कुल सचिव श्री के. के. चंद्राकर द्वारा ही वर्ष 2006 में जारी किया गया था ।

10/ यह कि, नियोक्ता अर्थात कुल सचिव श्री के. के. चंद्राकर द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पूर्व कथित रूप से उपयोग में आ चुके लोहे से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन करना था, किन्तु खेद जनक तथ्य यह है कि सूचना के अधिकार द्वारा प्राप्त दस्तावेज ही अनियमितता को प्रमाणित करते हैं ।

11/ यह कि, विश्वविद्यालय के उक्त कर्मचारी श्री बी. पी. भंवर सहायकयंत्री सिविल के विरूद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी रायपुर छ.ग. के समक्ष लंबित दांडिक प्रकरण में अपीलार्थी ने दिनांक 21/11/2011 को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा स्टील अथार्टी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय से संबंधित अभिलेखों से प्राप्त हुए थे, को प्रस्तुत किया था यह प्रस्तुतिकरण न्यायालय के समक्ष किये जाने के उपरांत ही दुर्भावना पूर्वक सुनियोजित तरीके से अपीलार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के अभिप्राय तथा दांडिक प्रकरण में विश्व विद्यालय की ओर से अपीलार्थी को निष्कीय करने के उद्देश्य से बगैर किसी समुचित आधार के दिनांक 30/11/2011 को निलंबित किया गया ।

12/ यह कि, अपीलार्थी को जॉच अधिकारी के समक्ष बार–बार निवेदन करने के पश्चात् भी विधि प्रावधानों के अनुसार अधिकार स्वरूप बचाव सहायक रखे जाने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है ।

13/ यह कि, जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के दौरान उपस्थित हुए साक्षियों के प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर भी अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया था, उक्त दोनों कार्यवाही विधि के प्रावधान एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों एवं विभागीय जॉच में स्वीकृत एवं मान्य प्रक्रिया एवं सिद्धांतों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के सर्वथा विपरित है ।

14/ यह कि, जॉच अधिकारी को एक प्रकिया के अनुसार अपने कार्यवाहियों को संपादित करना था जिसे नहीं किया गया है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक जॉच दिनांक को की गयी कार्यवाहियों की प्रति मांगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया ।

15/ यह कि, जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच हेतु स्थापित मानदण्डों एवं सिद्धांतों के विपरित जाकर कार्यवाही की गयी है, किसी भी अनियमितताओं एवं दूषित कार्यवाही के अंतर्गत जांच अधिकारी ने दिनांक 04/04/2013 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ।

16/ यह कि, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कुल सचिव द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 17/05/2013, के संबंध में अपना जवाब अपीलर्थी के द्वारा नियोक्ता के समक्ष 01/06/2013 को 79 पेज सह पत्रों सहित प्रेषित किया गया, कृपया जॉच कार्यवाही का मूल अभिलेख आहुत कर एवं दिनांक 01/06/2013, 79 पेज सह पत्रों सहित आहुत कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को इस अपील ज्ञापन का एक भाग माना जावे ।

17/ यह कि, नियोक्ता के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 01/06/2013 के लगभग 6–माह पश्चात् नियोक्ता द्वारा अपीलार्थी को एक पत्र दिनांक 07/12/2013 का निर्वाहित किया गया इस सूचना पत्र दिनांक 07/12/2013 को अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष विभिन्न आधारों के अंतर्गत चुनौती दी है ।

18/ यह कि, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत इस रिट याचिका की तामिली विश्वविद्यालय की ओर से उच्च न्यायालय में नियुक्त "स्टैंडिग काउन्सिल" को दिनांक 06/01/2014 को निर्वाहित किया गया इस सूचना निर्वाह के दूसरे दिन अर्थात 07/01/2014 को ही नियोक्ता ने अपने ही निर्णयों को उलटते हुए पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवा निवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया गया जिसका निर्वाह अपीलार्थी को दिनांक 17/01/2014 को चस्पा के पद्धति द्वारा हुआ है ।

19/ यह कि, जिस जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी को सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्त किये जाने का निर्णय लिया गया है वह जॉच की कार्यवाही प्रथम दृष्टया आरम्भ से ही विधि के प्रावधानों के विपरित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित तथा विभागीय कार्यवाहियों को संपादित करने हेतु निर्मित दिशा–निर्देशों के विपरित एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के विपरित होने से संपूर्ण जॉच अपास्ती योग्य है बावजूद इन तथ्यों के अपीलार्थी को जो दण्ड स्वरूप अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

20/ यह कि, नियोक्ता को यह देखना तथा मान्य करना था कि प्रश्नाधीन जांच कार्यवाही एवं उसमें दिये गये निष्कर्ष, विधि के प्रावधानों के विपरित है, बावजूद इन तथ्यों के जो प्रश्नाधीन आदेश दिनांकित 07/01/2014 पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

21/ यह कि, नियोक्ता को यह भी देखना था कि अपीलार्थी के दीर्घ सेवा काल के दौरान पूर्व में कभी भी अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनियमितता, कदाचरण की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तथा नियोक्ता को यह भी देखना था कि अपीलार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न तथा प्रत्योत्तर में अपने समर्थन में जो तथ्य समाविष्ट किये गये हैं वे गंभीर आर्थिक, अनियमितता व नियोक्ता से ही संबंधित दस्तावेज को इंगित करता है ।

22/ यह कि, माननीय अध्यक्ष कार्य परिषद एवं सदस्य गणों से यह अपील है कि मेरे दीर्घ सेवाकाल तथा मेरी 43 वर्ष की उम्र को देखते हुए दूषित, अनियमित, असंवैधानिक एवं अवैधानिक जांच कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दुर्भावना पूर्वक नियोक्ता द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07/01/2014 को निरस्त किये जाने की कृपा हो ।

उपरोक्तानुसार आप माननीय महोदय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत है ।

आवेदक / अपीलार्थी

(रूपेश कुमार शर्मा) 03/02/2014
उम्र 43 वर्ष आत्मज श्री अशोक कुमार शर्मा पूर्व
कर्मचारी उप अभियंता सिविल यांत्रिकी विभाग
पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के विभिन्न बिन्दुओं की वस्तुस्थिति के संबंध में कार्यालयीन टीपः

श्री रूपेश शर्मा द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम 31 की कण्डिका 58(1) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

1. **बिन्दु क.1 के संबंध मेंः** अपीलार्थी को कभी भी गोपनीय चरित्रावली में किसी भी विपरीत प्रविष्टि की सूचना संसूचित नहीं की गयी थी। अतः अपीलार्थी यह मानता है कि इस अवधियों में गोपनीय चरित्रावली में इनके विरूद्ध कोई टिप्पणी इंद्राज नहीं है।

   वस्तुस्थितिः

   केवल विपरीत प्रविष्टि अथवा टिप्पणी की सूचना संसूचित नहीं किया जाना एवं गोपनीय चरित्रावली में कोई विपरीत टिप्पणी का न होना ही एक कर्मचारी की कार्यप्रणाली, उसके चरित्र अथवा दोषमुक्त होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जाता है। श्री शर्मा को अनेको बार वि.वि. प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है किन्तु श्री शर्मा द्वारा उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। उनके द्वारा हमेशा प्रशासन के द्वारा प्रदत्त आदेशों की अवहेलना की जाती रही। जिनका विस्तृत विवरण उन्हें प्रदाय किये गये विभिन्न आरोपों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची से स्पष्ट है। यहां तक की श्री शर्मा द्वारा वि.वि. द्वारा प्रेषित आदेशों की प्रतियों को लेने से भी आनाकानी की जाती रही है।

2. **बिन्दु क. 2 के संबंध मेंः** अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी किसी भी स्तर की आर्थिक अनियमितता करने अथवा आर्थिक कदाचरण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही इस बावत् नियोक्ता द्वारा कभी भी अप्रसन्नता जाहिर की गयी है।

   वस्तुस्थितिः

   एक कर्मचारी के लिए निर्धारित आचरण संहिता के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक मात्र आधार आर्थिक अनियमितता का दोषी पाया जाना ही नहीं होता है बल्कि उससे भी गंभीर दोष नियंत्रणकर्ता/ नियोक्ता के द्वारा दिये गए आदेशों की अवहेलना करना माना जाता है।

   श्री शर्मा को पूर्व में प्रशासनिक आदेश की अवहेलना करने के परिणामस्वरूप (कार्यपरिषद की बैठक के दौरान अवैधानिक रूप से भूख हड़ताल पर बैठने एवं प्रदर्शन करने के कारण) उनकी, वि.वि. परिनियम 31 की कण्डिका 57(1)(c) के

प्रावधानानुसार इनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि, आदेश क.3815/सा.प्रशा./11 रायपुर, दिनांक 01.10.2011 के द्वारा संचयी प्रभाव से रोकी गयी थी।

3. **बिन्दु क. 3 के संबंध में:** अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु में स्वयं की सेवा को निर्बाध एवं सजगता रूप से करने संबंधी उल्लेख किया गया है।

वस्तुस्थितिः

प्रत्येक कर्मचारी यह मानता है कि वह अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं सजगता के साथ करता है किन्तु नियंत्रणकर्ता/नियोक्ता द्वारा जब तक उसके द्वारा किये गये कार्य बावत् संतोष व्यक्त नहीं किया जाता है तो ऐसा कहने/मानने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता।

जबकि उसके विरूद्ध विभागीय जॉच में उन पर लगाए गए आरोप सही/सिद्ध प्रमाणित पाया गया था।

4. **बिन्दु क. 4 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा कभी भी विधिपूर्ण आदेश की अवहेलना या कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करने की जानकारी दी गयी है एवं अपने आप को पाक साफ बतलाने का झूठा प्रयास किया गया है।

वस्तुस्थितिः

जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी श्री शर्मा द्वारा अनेकों बार प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए पूर्व में निर्धारित किए गए समय पर उपस्थिति न देकर असहयोग किया गया था। उनके द्वारा आदेशों की अवहेलना की गयी थी साथ ही कई आदेशों को लेने के पूर्व उन पर अनावश्यक एवं औचित्यहीन टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था।

5. **बिन्दु क. 5 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा उन पर लगाए गए समय पर उपस्थित नहीं होने, यांत्रिकी विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को दुराशयपूर्वक गायब करने एवं ठेकेदारों को भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग को असहयोग करने से इस आधार पर इंकार किया है कि उनके द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों पर जवाब दिनांक 24.08.2012 को (58 पेज सह पत्रो सहित) प्रेषित कर दिया गया था।

वस्तुस्थितिः

अपचारी कर्मचारी द्वारा मात्र अपनी सफाई में जवाब प्रेषित करना यह सिद्ध नहीं करता है कि वह दोषी नहीं है। जबकि उनके जवाब से असहमत होकर ही उनके विरूद्ध विभागीय जॉच में विभिन्न आरोपों की जॉच की गयी थी एवं उन पर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध पाए गए थे।

6. **बिन्दु क.6 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि श्रीमान कुलसचिव वि.वि. द्वारा अपीलार्थी के बगैर सहमति प्राप्त किये एक जॉच अधिकारी श्री सी. एक्का की नियुक्ति दिनांक 14.03.2012 को की गयी थी।

वस्तुस्थितिः

अपीलार्थी का यह कथन हास्यास्पद है कि जॉच अधिकारी के नियुक्ति के पूर्व उनसे सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी अर्थात् एक आरोपी से पहले यह पूछा जाना चाहिए कि उसकी जॉच किससे करायी जावे। उसके पसंद के जॉचं अधिकारी से करायी जानी चाहिए।

नियमानुसार कभी भी किसी भी आरोपी पर लगाए गए विभिन्न आरोपों की जॉच नियोक्ता अधिकारी किसी भी अधिकारी से करा सकता है। इसके लिए उसे आरोपी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही आदेश जारी करने के पूर्व उसे बतलाया जाता है।

7. **बिन्दु क. 7 के संबंध में:** इस बिन्दु में आरोपी द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि जॉच की कार्यवाही में अपीलार्थी के बचाव सहायक के रूप में नियुक्ति की अनुमति दिये जाने बावत् उल्लेख किया गया है।

वस्तुस्थितिः

जबकि वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय जॉच के दौरान उनके द्वारा बचाव सहायक की मांग नहीं की गयी बल्कि जॉच अधिकारी द्वारा जब उन्हें एक अंतिम अवसर उन्हे अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया तब भी श्री शर्मा के द्वारा जॉच में असहयोग ही किया गया जिसके कारण जॉच अधिकारी द्वारा उन्हें दिये गये विभिन्न विकल्पों को समाप्त करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जॉच की एक पक्षीय कार्यवाही मजबूर होकर की गयी।

श्री शर्मा द्वारा विभागीय जॉच के दौरान बचाव सहायक की मांग नहीं की गयी थी यदि जॉच में सहयोग किया गया होता तो यथासंभव नियमानुसार उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती थी।

जॉच अधिकारी द्वारा जब उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का अंतिम निर्णय लिया गया एवं एक पक्षीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी तब जॉच में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने के लिए ऐसी मांग रखी गयी थी जिसका कोई औचित्य ही नहीं।

8. **बिन्दु क. 8 के संबंध में:** इसमें अपीलार्थी के द्वारा नियोक्ताधिकारी पर मनमर्जी करने एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों को सेवारत रहने के बावजूद एक सेवानिवृत्त अधिकारी को उपकृत करने के उद्देश्य से जॉच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने को आरोप लगाया गया है।

वस्तुस्थितिः

श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा नियोक्ताधिकारी पर लगाया गया यह आरोप झूठा भ्रामक एवं आधारहीन है। चूँकि यह नियोक्ताधिकारी के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है कि वह न्याय हित में किसे जॉच अधिकारी नियुक्त करे।

9. **बिन्दु क. 9 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा वि.वि. के कर्मचारी बी.पी. भवंर द्वारा किये गये गंभीर आर्थिक अपराधों का उल्लेख किया गया है।

वस्तुस्थितिः

अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से अपने प्रकरण से ध्यान हटाने के लिये अनावश्यक रूप से बी.पी. भंवर द्वारा किये गए आर्थिक अपराध एवं अपराधिक संलिप्तता के प्रकरण का उल्लेख किया गया है।

10. **बिन्दु क. 10 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा नियोक्ता अर्थात् श्री के. के. चन्द्राकर द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व कथित रूप से उपयोग में आ चुके लोहे से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन नहीं किये जाने का उल्लेख किया है।

वस्तुस्थितिः

अपीलार्थी श्री रूपेश शर्मा पर उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना से संबंधित विभिन्न आरोपों की सत्यता ज्ञात करने हेतु विभागीय जॉच की गयी थी। इस बिन्दु का उनकी विभागीय जॉच से कोई वास्ता नहीं है। केवल अपने प्रकरण से ध्यान हटाने हेतु इस बात का उल्लेख किया गया है जो असम्बद्ध है।

11. **बिन्दु क. 11 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी ने पुनः अपनी विभागीय जॉच के मुद्दे से हटकर श्री बी.पी. भंवर के प्रकरण में केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली से प्राप्त किये गए अभिलेखों का उल्लेख किया है एवं बगैर किसी समुचित आधार के उन्हें दिनांक 30.11.2011 को निलंबित किये जाने का उल्लेख किया है।

वस्तुस्थितिः

इस बिन्दु में अपीलार्थी ने पुनः अपनी विभागीय जॉच के मुद्दे से हटकर श्री बी.पी. भंवर के प्रकरण में केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली से प्राप्त किये गए अभिलेखों का

अनावश्यक उल्लेख किया है एवं बगैर किसी समुचित आधार के उन्हें दिनांक 30.11.2011 को निलंबित किये जाने का उल्लेख किया है। ताकि सक्षम अधिकारी मूल विषय से भ्रमित हो सके।

साथ ही अपीलार्थी ने यह झूठा आरोप लगाया है कि बगैर किसी समुचित आधार के उन्हें दिनांक 30.11.2011 को निलंबित किया गया है। जबकि उच्चाधिकारियों आदेशों की अवहेलना करना कर्मचारी हेतु निर्धारित आचरणसंहिता को अतिगंभीरता सें लिया गया है एवं उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है।

12. **बिन्दु क. 12 के संबंध में:** इस बिन्दु में अपीलार्थी ने यह उल्लेख किया है कि उनके बार–बार निवेदन करने के पश्चात् भी उन्हें अधिकार स्वरूप, बचाव सहायक रखने की अनुमति नहीं दी गयी है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जॉच अधिकारी द्वारा अनेकों बार उन्हें यह अवसर दिया गया कि वह विभागीय जॉच में सहयोग करे एवं अपना कथन प्रस्तुत करें किन्तु अपचारी कर्मचारी श्री रूपेश शर्मा इस बात पर अड़े रहे कि मैंने जो–जो पत्र रजिस्ट्रार/जॉच अधिकारी को दिये हैं उन पर कार्यवाही होने के पश्चात् ही वे सहयोग करेंगे।

जॉच अधिकारी द्वारा अंतिम अवसर दिये जाने के बाद भी जब अपचारी कर्मचारी द्वारा जॉच में सहयोग नहीं किया गया एवं विभागीय जॉच में अवरोध उत्पन्न किया गया जिसके कारण उन्होंने विभागीय जॉच की एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया था एवं एक पक्षीय जॉच प्रारंभ हो चुकी थी।

एक पक्षीय विभागीय जॉच का निर्णय होने के पश्चात् श्री रूपेश शर्मा द्वारा बचाव सहायक रखने की अनुमति, अनाधिकृत रूप से की गयी थी। जिसे अब दिया जाना नियमानुसार संभव नहीं था।

यदि प्रारंभ में ही विभागीय जॉच में सहयोग करते हुए नियमानुसार बचाव सहायक रखने की अनुमति मांगी गयी होती तो जॉच अधिकारी द्वारा अवश्य दी गयी होती।

13. **बिन्दु क. 13 के संबंध में:** इस बिन्दु में श्री रूपेश शर्मा द्वारा जॉच अधिकारी पर जॉच के दौरान साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं प्रदाय करने का उल्लेख किया गया है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि श्री रूपेश शर्मा द्वारा विभागीय जॉच के प्रारंभ से ही अनावश्यक आपत्तियॉ लेते हुए विभागीय जॉच में सहयोग नहीं किया जाता

रहा है जिससे क्षुब्ध होकर, मजबुरीवश जॉच अधिकारी को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय पारित करना पड़ा था।

श्री शर्मा द्वारा यह झूठा आरोप जॉच अधिकारी पर लगाया जा रहा है। यदि वे जॉच में सहयोग करते तो निःसंदेह नियमानुसार उन्हें साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया होता किन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया था।

14. **बिन्दु क. 14 के संबंध में:** इस बिन्दु में श्री शर्मा द्वारा जॉच अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रकिया के तहत् उन्हें प्रत्येक जॉच को की गयी कार्यवाही की प्रति मांगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

वस्तुस्थितिः

इस बिन्दु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जब उनके द्वारा जॉच में सहयोग ही नहीं किया गया एवं साक्ष्यों का परीक्षण नहीं किया गया तो प्रत्येक दिनांक को की गयी कार्यवाही की प्रति मांगे जाने एवं उन्हें प्रदाय किये जाने का अधिकार ही नहीं बनता।

जॉच सम्पूर्ण होने के उपरांत उन्हे विस्तृत जॉच रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करते हुए उनसे जवाब की मांग की गयी थी।

15. **बिन्दु क. 15 के संबंध में:** इस बिन्दु में उनके द्वारा जॉच अधिकारी पर विभागीय जॉच हेतु स्थापित मानदण्डों एवं सिद्धांतों के विपरीत जाकर दूषित कार्यवाही करते हुए 04.04.2013 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि जॉच अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही करते हुए उन्हें अनेक अवसर दिये गये थे जब उन्होंने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया तो मजबूर होकर विभागीय जॉच के निर्धारित नियमों के तहत् जॉच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

16. **बिन्दु क. 16 के संबंध में:** इस बिन्दु में उन्होंने कुलसचिव महोदय को दिनांक 01.06.2013 को कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.05.2013 के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने की जानकारी का उल्लेख किया है एवं प्रस्तुत जवाब को इस अपील ज्ञापन का एक भाग माने जाने की जानकारी दी है।

वस्तुस्थितिः

यह सही है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त जवाब प्रस्तुत किया गया था जो कार्यालय में उपलब्ध है एवं उनके इस जवाब से असहमत होकर ही प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी थी।

17. **बिन्दु क. 17 के संबंध में:** इस बिन्दु में उन्होने यह जानकारी दी है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष विभिन्न आधारों के अंतर्गत चुनौती दी है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जानी है।

18. **बिन्दु क. 18 के संबंध में:** इस बिन्दु में श्री शर्मा द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का आदेश दिनांक 17.01.2014 को चस्पा पद्धति द्वारा प्रदाय किया गया है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उन्हें यह पत्र पहले कार्यालय में श्री तीरथ राम यादव द्वारा डाक बुक में चढ़ाकर श्री पन्नालाल के समक्ष दिया गया था किन्तु उन्होंने किसी का फोन आया है कहकर पत्र नहीं लिया और वहीं पत्र को छोड़कर चले गये जिसका प्रमाण कार्यालय में उपलब्ध है।

तत्पश्चात् चस्पा पद्धति से उन्हें अनिवार्य सेवानिव्त्ति आदेश पॉच गवाहों के समक्ष उनके घर पर चस्पा किया गया।

जबकि इसके पूर्व भी पंजीकृत डाक से इस आदेश की प्रति उनके निवास के पते पर प्रेषित की गयी थी, जो तामीली के न होने के कारण वापस सामान्य प्रशासन कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

19. **बिन्दु क. 19 के संबंध में:** इस बिन्दु में श्री शर्मा द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि वि.वि. द्वारा की गयी कार्यवाही प्रथम दृष्टिया अध्ययन से ही, विधि के प्रावधानों के विपरीत, नैसर्गिक न्यायों के सिद्धांतों के विपरीत एवं विभागीय कार्यवाहियों को सम्पादित करने हेतु निर्मित दिशानिर्देशों के विपरीत एवं छ.ग. सिविल सेवा नियम 1922 के विपरीत की गयी कार्यवाही है।

वस्तुस्थितिः

जबकि वस्तुस्थिति यह है कि श्री शर्मा के विरूद्ध प्रारंभ से ही जो भी कार्यवाहीयां की गयी है वह सभी नियमों के अनुसार ही विधिसम्मत् तरीके से की गयी हैं। इनके द्वारा उपरोक्त बिन्दु में लगाया गया आरोप पूर्णतः निराधार एवं झूठा है। साथ ही ज्ञात हो कि उन्हें नैसर्गिक न्याय के तहत् ही विभागीय जॉच में अवसर दिये गये थे जिनका उन्होंने लाभ न उठाते हुए केवल अनावश्यक आरोप लगाते हुए विभागीय जॉच में अवैध तरीके से अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया था। अतः उन्हें दिया गया दण्ड निरस्त करने योग्य नहीं है।

20. **बिन्दु क. 20 के संबंध में:** इस बिन्दु में उन्होंने 07.01.2014 को पारित किये गये आदेश को विधि के प्रावधानों के विपरीत बतलाते हुए निरस्त किये जाने योग्य बतलाया गया है।

वस्तुस्थितिः

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उनके विरूद्ध दिनांक 07.01.2014 को पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश पूर्णतः विधि सम्मत् है एवं निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

21. **बिन्दु क. 21 के संबंध में:** इस बिन्दु में उन्होंने यह उल्लेख किया है अपने दीर्घकालीन सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार के अनियमितता, कदाचरण का कार्य नही किया है और न ही कोई गंभीर आर्थिक अनियमितता दस्तावेजों को इंगित करता है।

वस्तुस्थितिः

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि श्री शर्मा के द्वारा अनेकों बार उच्चाधिकारियों/नियोक्ता द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना की गयी है जहॉ उन्हें उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता था वे वहॉ अनुपस्थित रहते थे। साथ ही श्री शर्मा उच्चाधिकारियों के आदेशों को शर्तों के साथ लेते थे एवं आदेश पर ही अपने मन से नियम विरूद्ध जानकारी का उल्लेख करते थे।

पूर्व में भी प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना एवं कार्यपरिषद की बैठक के दौरान अवैधानिक रूप से भूख हड़ताल में बैठने एवं प्रदर्शन करने का दोषी पाए जाने पर उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से वि.वि. के परिनियम 31 की कण्डिका 57 (1)(c) तहत् रोकी गयी थी। (आदेश की प्रति संलग्न)

22. **बिन्दु क. 22 के संबंध में:** इस बिन्दु में उन्होंने अपनी दीर्घकालीन सेवा का उल्लेख करते हुए और अपनी 43 वर्ष की उम्र का उल्लेख करते हुए दूषित, अनियमित, असंवैधानिक एवं अवैधानिक जॉच कार्यवाही के परिणामस्वरूप दुर्भावना पूर्वक नियोक्ता द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 07.01.2014 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

वस्तुस्थितिः

यहॉ यह विशेष उल्लेखनीय है कि मानवीयता के आधार पर एवं उनके उपर आश्रित परिवार के सदस्यों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियोक्ता द्वारा एक अवसर देते हुए एक वचन पत्र देने का निर्देश दिया गया था किन्तु उनके

द्वारा वचन–पत्र न देते हुए प्रशासन की संवेदना को नियम विरूद्ध असंवैधानिक कार्यवाही कहा गया था।

यहॉ यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इस अपील में भी उनके द्वारा इस बिन्दु में जो उपरोक्त आधारहीन आरोप लगाये गए है। वे बहुत ही अशोभनीय प्रतीत होते हैं एवं अपील में प्रयुक्त की गयी भाषा में ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि वे अपने द्वारा की गयी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अपील के माध्यम से अपने नियोक्ता द्वारा की गयी विधि सम्मत प्रशासकीय कार्यवाही को दुःसाहसपूर्वक गलत साबित करने का अनावश्यक प्रयास कर रहे हैं एवं स्वयं एवं स्वयं द्वारा की गयी कार्यवाही को उचित बतलाने का निर्थक प्रयास कर रहे हैं।

अपील की भाषा भी शालीन एवं अतिविनम्रतापूर्ण होनी चाहिए न की दबावपूर्ण एवं दंभ से परिपूर्ण।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।	
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।	
03	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	**निर्णयानुसार कार्यवाही हो चुकी है।**
04	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 9,24,550.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रुपए 9,24,550.00 (रुपए नौ लाख चौबीस हजार पांच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	**भुगतान हो चुका है।**
05	सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रू. 6,58,660.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तरपुस्तिका का मुद्रण का शेष देयक राशि रुपए 6,58,660.00 (रुपए छह लाख अठावन हजार छह सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	**भुगतान हो चुका है।**
06	विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।	**निविदा जारी हो चुकी है।**
07	वाहन चालकों को मोबाईल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ–2013–02–00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।	वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश कमांक 275/एफ–2013–02–00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत किया गया।	**आदेश क्र. 1092/सा.प्रशा./2014 दिनांक 12.03.2014 जारी हो चुकी है।**
08	नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. रॉबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु स्वीकृत राशि रू. 208055=00 का सूचना ग्रहण करना।	नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. राबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु प्रस्तावित देय राशि रुपए 208055.00 (रुपए दो लाख आठ हजार पचपन मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	**व्यय लेखा प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
09	विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख–रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश जारी के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय केम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख–रखाव हेतु मेसर्स, Key Computers Nagpur को DPC/CPC की अनुशंसा अनुसार एक वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग, नेटवर्क सही नहीं चलने पर रिकार्ड संधारित करेंगे और उनके द्वारा सूचना देने पर संबंधित संस्थान की राशि में कटौती करके भुगतान की जावेगी। इसकी जानकारी अनुबंध में भी शामिल किया जाय।	**कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार अनुबंध में शामिल कर लिया गया है।**
10	भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला–दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	भिलाई मैत्री महाविद्यालय रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया।	**पत्र क्र. 13565/अका./2014 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा सूचना दे दी गई है।**
	पूरक विषय सूची		
01	विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय के 49वॉ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।	**मुद्रण हेतु प्रक्रिया जारी है।**
02	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**
03	मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000/– (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार) भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।	मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम की प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000.00 (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यिालयों द्वारा पूर्व अग्रिम का हिसाब जमा नहीं किया है, उन से 15 दिवस के अंदर हिसाब जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे। इसी प्रकार जिन शासकीय महाविद्यालयों ने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है, उसके संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखते हुए इसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को दी जावे।	**प्रथम किश्त की राशि रू. 1,21,40,000.00 की भुगतान की जा चुकी है।**
04	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्य डिपाजिट के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने हेतु लोक निर्माण विभाग को कुल लागत राशि का 33% भुगतान किया जावे।	**कार्यवाही की जा चुकी है।**
05	डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन, कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि 7,64,270.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	डॉ. इंदु अनंत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि रुपए 7,64,270.00 (रुपए सात लाख चौसठ हजार दो सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।	**कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रू. 2589627/– के भुगतान करने पर विचार करना।	56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रुपए 25,89,627.00 (रुपए पच्चीस लाख नवासी हजार छह सौ सत्ताईस मात्र) के भुगतान करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**भुगतान हो चुका है।**
07	विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत् पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।	विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर्स की राशि रुपए 26,73,636.00 (रुपए छब्बीस लाख तिहत्तर हजार छह सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।	**भुगतान की जा चुकी है।**
08	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रू. 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक राशि रुपए 76,64,800.00 (रुपए छिहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	**कार्यवाही की जा चुकी है।**
09	कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में विचार करना।	कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के फलस्वरूप इसी निरंतरता में अंतिम रूप से एक वर्ष के लिए धारणाधिकार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।	**आदेश क्र. 1069/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 11.03.2014 जारी की जा चुकी है।**
10	अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार करना।	अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 के अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।	**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**
11	वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त 33 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायी करण के संबंध में विचार करना।	वर्ष 2004–09 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरणों में समस्त पहलुओं पर परीक्षण कर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही किया जावे।	**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**
12	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना" संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।	पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर "स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा योजना संबंधी प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बीमा कंपनियों से benefit के संबंध में जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्यवाही किया जावे।	**निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रिया में है।**
13	के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	के.डी. रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. रेखा जाधव के नाम का अनुमोदन किया गया।	**पत्र क्र. 13525/अका./2014 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा सूचना दे दी गई है।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण	
1.		विश्वविद्यालय परिसर में पुरूष छात्रावास के निर्माण के लिए पावर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना, द्वारा मौखिक सहमति के उपरान्त उन्हें विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र कमांक 148/कु.स./2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 एवं पत्र कमांक 155/कु.स./2014 दिनांक 14 फरवरी, 2014 के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि संबंधित संस्थान ने छात्रावास का नाम "पावर ग्रिड" रखना चाहता है एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में पढ़ने वाल पावर ग्रिड के कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जा रही है।**
2.		वर्ष 2014 के परीक्षा के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	**कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।**
3.		विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से तीन पालियों में 120 केन्द्रों पर संचालित होने की जानकारी दी गई। वार्षिक परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मई तक संपन्न होगी।	**परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है।**
4.		विश्वविद्यालय परिसर में जलस्तर की वृद्धि के लिए तालाब निर्माण किया जावे।	**कार्यवाही प्रक्रिया में है।**
5.		कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ. अमिता सहगल एवं डॉ. सी.एल. पटेल का कार्यपरिषद की ओर से कुलसचिव जी ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद सदस्य डॉ. दीपक कारकून एवं डॉ. अरविंद गिरोलकर को कार्यपरिषद सदस्य के रुप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।	

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित बैठक की पूरक विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।** (पृ.क्र. 01 से 04 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।** (पृ.क्र. 05 से 07 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

03. **कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अन्तर्गत शासी निकाय का गठन किया गया की सूचना ग्रहण करना।** (पृ.क्र. 08 से 09 तक)

टीप : कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा शासी निकाय के गठन के लिए विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 की अनुशंसा को कार्यपरिषद् में दिनांक 17.12.2013 को अनुमोदित कर निर्णय लिया गया कि – **"संबंधित महाविद्यालय के द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया जावे तथा शासी निकाय के गठन नहीं किये जाने पर परिनियम 28(6)(i)(ii) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई।"**

'कार्यपरिषद् के उपरोक्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 13440/अका./2014 दिनांक 19.02.2014 के प्रत्युत्तर में कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने अपने पत्र क्र. क.स्ना.म./2014/241 दिनांक 24.02.2014 एवं पत्र क्र. 733 दिनांक 19.03.2014 के द्वारा शासी निकाय गठन कर लिया है।'

04. **विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रू. 10,22,198/– छ.ग. शासन कोष में जमा करने के संबंध में विचार करना।** (पृ.क्र. — से 10 तक)

टीप : अंकेक्षण शुल्क स्मृति पत्रकी की छायाप्रति संलग्न।

05. **छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q - 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।** (पृ.क्र. 011 से 19 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE- MODROB) के द्वारा RT-PCR एवं HPLC with PDA detector क्रय करने हेतु क्रमशः रू. 14,42,100/– एवं 10,80,000/– के क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृत पर विचार करना। (पृ.क्र. 20 से 21 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

07. विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु सी.एस.ई.बी. रायपुर के मांग पत्र के अनुरूप संलग्न पत्र के अनुसार कुल राशि रू. 20,19,810/– सी.एस.ई.बी. रायपुर को भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना। (पृ.क्र. 22 से – तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 13702 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2014 रायपुर, दिनांक: 25 / 03 /2014

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 22.03..2014 मध्यान्ह 03.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. सी.एल. पटेल	–	सदस्य
3.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
4	प्रो. स्वर्णलता सर्राफ	–	सदस्य
5.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
6.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7.	प्रो. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
8.	प्रो. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई ।

02. **निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	सेंट थामस कालेज, प्लाट नं. /स्ट्रीट नं. –रूआबांधा, ग्राम–रूआबांधा, पो. –सिविक सेंटर, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 490006	बी.एड. (Additional)	100	2014–15	**Inspection Date - 10-03-2014** We inspected St. Thomas College, Ruabandha, Bhilai on 07-03-2014 at 11.00 A.M. The college is already running B.Ed. Course since 2002. Now it has applied fro the addition of 100 seats in B.Ed. Course. Our detailed obsrvation for granting permission of the university regarding the addition of 100 seats in B.Ed. course of the institution is here under :	एन.सी.टी.ई.के के मापदण्ड के अनुसार स्टाफ प्रोफाईल प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय को सूचना दी जाए तथा स्टाफ प्रोफाईल प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर सत्यापित करते हुए एन.सी.टी.ई. को अग्रेषित किया जाए। निरीक्षण समिति की शर्तों की पूर्ति 15 मई तक की जावे। इसी के साथ पूर्व में संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा की गई अनुशंसा में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति 15 मई तक की जावे।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					1. The College has total plot of land for this purpose is 10 acres. 2. The College has constructed additional 6 class rooms, two ig halls, Psychology Laboratory, E.T. Laboratory, Craft room, Music room, Common rooms fro boys and girls, Staff rooms and H.O.D.'s chamber as per NCTE norms. The laboratories, Craft room and Music room are well equipped and furnished. The carpet area of the new construction is 550 Sq.Meter (5918 Sq.ft.) 3. Separate toiles for boys, girls and staff have been made available. 4. The facility of safe drinking water is available. 5. Additional 3 thousand books along with half a dozen periodicals and journals have been made available for the students. 6. The arrangment of indoor and outdoor games and sports for students is also found satisfactory. 7. In all eight teachers were physically present in the college. They have shown their willingness to serve the college if selected. On the strenght of the above observation we are of the opinion that the institution is eligible for the addition 100 more seats in B.Ed. Course.	

03. शासकीय जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर स्वशासी महाविद्यालय के स्वायतत्ता की निरंतरता (5 वर्ष के लिए) प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भेजने की अनुशंसा की गई।

04. श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, चम्पारण रोड, अभनपुर, नया रायपुर को सत्र 2014–15 से बी.एड्–100 सीट के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, चम्पारण रोड, अभनपुर, नया रायपुर (छ.ग.) को सत्र 2014–15 से बी.एड् 100 सीट प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के Recognisation Order WRC/APP1851/201st/ B.Ed/2014/115760 Date 22-02-2014 के आधार पर बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(i) रावतपुरा सरकार संस्थान द्वारा बी.एड्. पाठ्यक्रमों के लिए संचालित 04 महाविद्यालयों– (1) श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला–दुर्ग, (2) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला–दुर्ग, (3) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेड़ा, अभनपुर, जिला–रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.–129, ग्राम–धनेली, पो.–माना कैम्प, रायपुर का एन.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में परीक्षण, निरीक्षण समिति भेजकर करा ली जावे।

(ii) परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 15 मई 2014 तक किया जावे।

05. महात्मा गांधी महाविद्यालय, स्टेशन रोड, रायपुर डी.सी.ए. की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय से प्राप्त उत्तर, टीप सहित आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जाए।

06. विश्वविद्यालय से संबंद्धित महाविद्यालयों में शिक्षा एवं परीक्षा की गुणवत्ता संबंधी सुझाव पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा एवं परीक्षा की गुणवत्ता संबंधी सुझाव में से कुछ बिंदूओं पर कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। अन्य बिंदूओं पर क्रमशः अमल करने के संबंध में संकायाध्यक्षों की समिति गठित कर उनकी अनुशंसा के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावे।

07. नए महाविद्यालय एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम/विषय/सीट वृद्धि के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करना।

निर्णय : नये महाविद्यालय के लिए शासन से आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। नवीन विषय/सीट वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत किया जाए।

08. क्रेडिट बेस संशोधित विनियम 149 पर विचार करना।

निर्णय : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली के लिए निर्मित विनियम 149 में संशाधित करने संबंधी प्रस्ताव मान्य करते हुए अनुशंसा की जाती है।

09. शिक्षा में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रमों के लिए सहायक प्राध्यापकों की चयन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र का अनुमोदन किया गया।

10. (1) Regulation .... Management of the Provident fund.

(2) Regulation .... Management of the Teachers Benevolent Fund.

(3) Regulation .... Management of the Kulapati Sahayata Nidhi.

के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : प्रस्तावित विनियम को मान्य करते हुए अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01 : विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा संस्थान में एम.ए. शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र.13703/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014 रायपुर, दिनांक25/03/2014

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-17/2013/38-1 दिनांक 30.09.2013 के द्वारा श्रीमती नीता बाजपेयी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा को कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर इस विश्वविद्यालय में पदस्थ किया गया है।

छ.ग. शासन के उपरोक्त आदेश के परिपालन में श्रीमती नीता बाजपेयी ने इस विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर दिनांक 25.11.2013 को पदभार ग्रहण किए हैं।

श्रीमती नीता बाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर की गई कार्यभार ग्रहण कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

छत्तीसगढ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक /09/2013

क्रमांक एफ 1–17/2013/38–1 :: डॉ. सुभाष चन्द्राकर, वरिष्ठ व्याख्याता, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर को कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पद पर आदेश क्रमांक 11385/एफ 1–43/2010/38–1, दिनांक 08.10.2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था। इनका कार्यकाल दिनांक 13.10.2013 को समाप्त हो रहा है।

2/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा, श्रीमती नीता वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा, छ.ग. को डॉ. सुभाष चन्द्राकर की प्रतिनियुक्ति समाप्ति की तिथि दिनांक 13.10.2013 के पश्चात् से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष के लिये कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है।

(समन्वय में अनुमोदन प्राप्त)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Sd/-

(एस0के0 चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठां.क्र.एफ 1–17/2013/38–1 नया रायपुर, दिनांक 30/09/2013

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर, छ.ग.।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.।
5. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ।

7. कलेक्टर, जिला – रायपुर, छ.ग.।
8. प्राचार्य, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।
9. प्राचार्य, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, छ.ग.।
10. राज्य संपदा अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना, मंत्रालय, नया रायपुर।
11. जिला कोषालय अधिकारी, जिला – रायपुर, छ.ग.।
12. श्रीमती नीता वाजपेयी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, छ.ग.।
13. डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आदेश फोल्डर।

30/9/13

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(7)

प्रति,

कुल सचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर कार्यभार ग्रहण सूचना।

सन्दर्भ:- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-17/2013/38-1 दिनांक 30.09.2013.

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में मैं आज दिनांक 25.11.2013 को पूर्वान्ह् में कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूं।

दिनांक - 25.11.2013

भवदीया

25.11.13

(श्रीमती नीता वाजपेयी)
कार्यक्रम समन्वयक,रा.से.यो.,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(8) (16)

कार्यालय प्राचार्य

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाईनगर (छ0ग0)

क्रं0क0स्ना0म0/2014/241 दिनांक-24.02.2014

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

विषय परिनियम–28 के अंतर्गत शासी निकाय के गठन विषयक ।
संदर्भ आपका पत्र क्रमांक 13440/अका./2014 रायपुर दिनांक 19/02/2014
महोदय,

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे द्वारा आपको प्रेषित पत्र दिनांक 27/01/2014 के विचार उपरांत भी आपके द्वारा परिनियम–28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन दिनांक 26/02/2014 के पूर्व करने अथवा कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार 6(i) एवं (ii) स्वयं प्रभावशील माने जाने की सूचना के तहत हम सविरोध (Under protest) परिनियम–28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन दिनांक 26/02/2014 के पूर्व करने हेतु प्रयासरत है । परन्तु दानदाता एवं शिक्षक प्रतिनिधि के चयन हेतु कम से कम 20 दिन समय की आवश्यकता है, अतः कृपया उपरोक्त समयावधि प्रदान करने की कृपा करें ।

यह भी गौरतलब है विश्वविद्यालय ने पत्र क्रमांक 261/अका. 89/दिनांक 06/02/1989 के अनुसार महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय घोषित किया गया है । इस पत्र का भी अवलोकन करने की कृपा करेंगे, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

अध्यक्ष प्रशासनिक समिति द्वारा अनुमोदित ।

सधन्यवाद

भवदीय

(एल.आर.वर्मा)
प्राचार्य
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भिलाई नगर (छ.ग.)

(9) (A)

कार्यालय प्राचार्य
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर (छ.ग.)

क्रं.क.स्ना.म./2014/733 दिनांक–19. 3.2014

प्रति,

कुलसचिव
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय– परिनियम 28 के अन्तर्गत शासी निकाय का गठन ।
संदर्भ– आपका पत्र क्रं. 13440/अका./2014, दिनांक 19/2/2014

महोदय

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में आपके निर्देशानुसार परिनियम 28 के अन्तर्गत शासी निकाय का गठन किया गया है जो निम्नानुसार है :–

A	अध्यक्ष	श्री आर.पी. मिश्रा
B	प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त दो प्रतिनिधि	1. श्री राधेलाल साह
		2. श्री टी.एस. चौहान
C	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अधिसूचना – 13089 9.1.2014	1. डॉ. ए.के. पति बायोसाइंस अध्ययन शाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
		2. प्रो. आर.एन. सिंह प्राचार्य शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनॉदगांव
D	एक दानदाता प्रतिनिधि	श्री दानमल पोरवाल
E	शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	डॉ. दीपक कारकून प्राचार्य शासकीय वी. वाय. तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
F	दो शिक्षक प्रतिनिधि	1. डॉ. एस.एन. द्विवेदी 2. डॉ. आर.पी. परिहार

सधन्यवाद

भवदीय

(एल.आर. वर्मा)
प्राचार्य
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भिलाई नगर (छ.ग.)

My doc>uni-2

(10)

अंकेक्षण शुल्क स्मृति पत्रक

1. निकाय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

2. अर्थवर्ष : 2009-10

3. संपरीक्षा वर्ष की वास्तविक आय का विवरण

क्र.	विवरण	वास्तविक आय
1.	बजट में दर्शित वास्तविक आय	28,86,84,000=00
2.	सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज (रोकड़ पंजी परीक्षा मद, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य मद में दर्शित)	2,10,72,925=00
	कुल	30,97,56,925=00

1. अंकेक्षण शुल्क दर वास्तविक आय पर 0.33 प्रतिशत

2. भारित अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 10,22,198=00

   अक्षरी रु. दस लाख बाईस हजार एक सौा अठानबे रुपये मात्र

3. निर्धारित लेखा शीर्ष :-

   0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

   060 अन्य सेवाएँ

   110 सरकारी लेखा परीक्षा फीस, स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क

वित्त नियंत्रक
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(के.के. निगम)
ज्येष्ठ संपरीक्षक
स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

क्र./निगम/अ.शु./2013-14/316,317,318,319,320 रायपुर, दिनांक : 22/03/2014

प्रतिलिपि :

1. माननीय कुलपति जी/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर निवेदन है कि अंकेक्षण शुल्क राशि रु. 10,22,198=00 (अक्षरी रु. दस लाख बाईस हजार एक सौ अठानबे) मात्र तत्काल शासन शीर्ष में जमा कर चालान की मूल प्रति से उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को अवगत करावें।
2. उपसंचालक/श्री एस.एस. खंगन जी, सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के.के. निगम)
ज्येष्ठ संपरीक्षक
स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3-13/2007/38-2 दिनांक 03.03.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित शोध पीठों (पं. सुन्दर लाल शर्मा शोध पीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ एवं पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ) को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी में सम्बद्ध किया गया है।

डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र, अध्यक्ष, छ.ग. साहित्य अकादमी ने पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किये है कि उन्हें एवं अकादमी में संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का वेतन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जावे तथा पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ के लिये क्रय किये गये बोलेरो को भी उन्हें वापस किया जाय।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छ.ग. साहित्य अकादमी का गठन करते हुये सभी शोध पीठों **(पं. सुन्दर लाल शर्मा शोध पीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ एवं पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ)** को शामिल किया गया है तथा डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अतः अब पं. सुन्दर लाल शर्मा शोध पीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोध पीठ एवं पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ विश्वविद्यालय के अधीनस्थ नही है, **इसलिये निम्नानुसार बिन्दु कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुतः-**

1. छ.ग. साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एवं संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के वेतन छ.ग. साहित्य अकादमी/ छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान के संबंध में।
2. पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ हेतु पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि यदि शेष हो तो वित्त विभाग से जानकारी प्राप्त कर छ.ग. साहित्य अकादमी/छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर को वापस करने के संबंध में।
3. पं. लखन लाल मिश्र शोध पीठ हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में क्रय की गई बोलेरो वाहन छ.ग. साहित्य अकादमी को वापस किये जाने के संबंध में।
4. छ.ग. शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत सेटअप में पं. सुन्दर लाल शर्मा शोध पीठ के लिए स्वीकृत 01 प्रोफेसर के पद को छ.ग. साहित्य अकादमी को हस्तांतरण के संबंध में।

श्री रूपचंद
12/10/07

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
/ आदेश /

रायपुर, दिनांक 12-10-07

क्रमांक-एफ 3-2007/38 :: राज्य शासन, साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, छत्तीसगढ़ की लोक भाषाओं एवं बोलियों के साहित्यिक सृजन को प्रोत्साहित करने तथा साहित्यिक परिवेश को विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी की स्थापना करता है। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रागंण में स्थापित होगी।

2/ राज्य शासन द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर प्रांगण में पूर्व से स्थापित पं. सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ, पं. लखनलाल मिश्रा शोधपीठ, तीनों छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से सम्बद्ध होंगे।

3/ अकादमी के कार्यक्षेत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.डी.पी. राव)
सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 12-10-2007

पृ.क्रमांक-एफ 3-13/2007/38
प्रतिलिपि:

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. मान. मुख्यमंत्रीजी के सचिव, छ.ग.शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय।
3. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,।
4. मुख्य सचिव महोदय के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय।
5. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय।
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
8. अध्यक्ष, पं. सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ/पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ/पं. लखनलाल मिश्रा शोधपीठ, रायपुर।
9. कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

13

//आदेश//

रायपुर, दिनांक /03/2014

क्रमांक एफ 3–13/2007/38–2 :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3/2007/38, दिनांक 12.10.2007 द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर प्रांगण में पूर्व से स्थापित पंडित सुंदर लाल शर्मा शोधपीठ, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी शोधपीठ एवं पंडित लखन लाल मिश्र शोधपीठ, तीनों को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से सम्बद्ध किया गया है।

2/– राज्य शासन एतद् द्वारा आचार्य, डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र को, पंडित लखन लाल मिश्र सृजन पीठ में अध्यक्ष पद पर, अस्थाई रूप से, नियुक्त करता है। श्री मिश्र उक्त कार्य के साथ–साथ छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी में आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते रहेंगे।

3/– सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी।

(समन्वय में अनुमोदन प्राप्त)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 03/03/2014

पृ. क्रमांक एफ 3–13/2007/38–2
प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. माननीय मुख्यमंत्री जी, के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
04. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
06. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
07. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0),
08. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0),
09. आचार्य रमेन्द्र नाथ मिश्र, अध्यक्ष पं. लखन लाल मिश्र सृजन पीठ, रघुकुल दीपालय, बेनामाता मार्ग, व.आ.स.–1 घर–, सड़क–1, वृत्त–1 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर 492010
10. कुलसचिव, पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ0ग0),
11. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
12. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12. आदेश फोल्डर।

3/3/14

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

GS

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

"स्वर्ण जयन्ती वर्ष"

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

14

- : : आदेश : : -

क्रमांक/ २१९२ /सा.प्रशा./2013 रायपुर, दिनांक 16 / 05 /2013

विश्वविद्यालय में स्थापित पं. सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ एवं पं. लखनलाल मिश्र शोधपीठ का प्रभार तत्काल प्रभाव से डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रदाय किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ २१९३ /सा.प्रशा./2013 रायपुर, दिनांक 16 / 05 /2013

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समस्त अध्यक्ष/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
3. वित्त नियंत्रक, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

16/5/13

उप कुलसचिव (प्रशा.)

D:\Tirth Yadav\RTI.docx

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

//अधिसूचना//

क्रमांक/ 1122 /स्था./सा.प्रशा./2014 रायपुर, दिनांक 13/03/2014

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3-13/2007 /38-2 दिनांक 03.03.2014 के परिपालन में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने पं. लखन लाल मिश्र सृजन पीठ में अध्यक्ष के पद पर दिनांक 03.03.2014 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 1123 /स्था./सा.प्रशा./2014 रायपुर, दिनांक 13 /03/2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
6. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर,
8. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
9. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
10. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर (छ.ग.),
11. डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, अध्यक्ष, पंडित लखन लाल मिश्र सृजन पीठ,
12. डॉ. व्यास नारायण दुबे, प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला को इस निर्देश के साथ कि पं. लखन लाल मिश्र सृजन पीठ, पं. सुन्दर लाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ का प्रभार डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र को सौंपे।
13. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
14. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

13/3/14

उप कुलसचिव (प्रशा.)

F:/SahuSir/Letter/383

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 03/03/2014

क्रमांक एफ 3–13/2007/38–2 :: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3–49/2005/उ.शि./38, दिनांक 24.09.2005 द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत पंडित लखन लाल मिश्र सृजन पीठ हेतु अध्यक्ष – 1, अनुसंधान अधिकारी – 1 तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर – 1 कुल 03 पदों का सृजन किया गया था।

2/– विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3–2007/38, दिनांक 12.10.2007 के अनुसार पंडित लखन लाल मिश्र सृजन पीठ को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से सम्बद्ध किया गया है तथा पूर्व में सृजित किए गए पदों का वेतन/वेतनमान निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है :–

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
01.	अध्यक्ष	01	रू.75000/– प्रतिमाह निश्चित वेतन	
02.	अनुसंधान अधिकारी	01	रू. 15600–39100	5400
03.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	रू. 5200–20200	2200
	योग	03		

3/– यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 468/2013–38–00141/वित्त विभाग/ब–3/2013, दिनांक 03.10.2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/3/14

(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 3–13/2007/38–2
रायपुर, दिनांक 03/03/2014

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.),
02. माननीय मुख्यमंत्री जी, के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
04. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग.शासन, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
05. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
06. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
07. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ0ग0),
08. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0),
09. आचार्य रमेन्द्र नाथ मिश्र, अध्यक्ष पं. लखन लाल मिश्र सृजन पीठ, रघुकुल दीपालय, बेनामाता मार्ग, व.आ.स.–1 घर–, सड़क–1, वृत्त–1 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर 492010
10. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
11. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12. आदेश फोल्डर।

3/3/14

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र
(पत्रोपाधि - ध्वनि विज्ञान एवं भारतीय भाषाएँ)
एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्
अध्यक्ष - बख्शी सृजन पीठ, भिलाई-9
पूर्व का. अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
सम्बद्ध : सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ,
पं. लखनलाल मिश्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शोधपीठ
छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर - 492 010 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : 0771-2262636
मोबा. : 98271-79479

17

क्रमांक : ....-1-05 दिनांक : 19-03-2014

प्रति,

कुल सचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़

महोदय,

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक (आदेश) एफ 3-13/2007/38-2 विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-49/2005/उ० शि० /38 दिनांक 24.09.2005 द्वारा अध्यक्ष हेतु निर्धारित 75000.00 रु० प्रतिमाह निश्चित वेतन (मार्च 2014) का पं० लखन लाल मिश्र शोधपीठ रविशंकर शुक्ल विश्व-विद्यालय के मद से प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
रमेन्द्र नाथ मिश्र

1752
21-3-14

"रघुकुल दीपालय-1", बेनामाता मार्ग-1, वरिष्ठ आ.स. घर-1, सड़क-1, वृत्त-1, वलय पथ-1, छत्तीसगढ़ महतारी चौक,
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर 492 010, छत्तीसगढ़, दूरभाष : 0771-2262636

आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र

(पत्रोपाधि - ध्वनि विज्ञान एवं भारतीय भाषाएँ)
एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्

अध्यक्ष - बख्शी सृजन पीठ, भिलाई-9
पूर्व का. अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
सम्बद्ध : सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ,
पं. लखनलाल मिश्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शोधपीठ
छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर - 492 010 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 0771-2262636
मोबा. : 98271-79479

18

क्रमांक : 06 दिनांक : 19.03.2014

प्रति,
कुल सचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़

महोदय,

'उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार (क्रं० एफ 3-13/2007/38-2 :: विभागीय आदेश क्र० एफ 3/2007/38, दिनांक 12.10.2007) मैंने पं० लखनलाल मिश्र शोधपीठ' के अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण कर लिया है।

अत: आपसे निवेदन है कि शोधपीठ के वाहन को वापस मुझे प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि शोधपीठ एवं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन में सुविधा हो सके।

सधन्यवाद,

भवदीय
(हस्ताक्षर)
रमेन्द्रनाथ मिश्र

R.1753
21-3-14

"रघुकुल दीपालय-1", बेनामाता मार्ग-1, वरिष्ठ आ.स. घर-1, सड़क-1, वृत्त-1, वलय पथ-1, छत्तीसगढ़ महतारी चौक,
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर 492 010, छत्तीसगढ़, दूरभाष : 0771-2262636

आचार्य रमेन्द्रनाथ मिश्र
(पत्रोपाधि - ध्वनि विज्ञान एवं भारतीय भाषाएँ)
एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट्

अध्यक्ष - बख्शी सृजन पीठ, भिलाई-9
पूर्व का. अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, रायपुर

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी
सम्बद्ध : सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ,
पं. लखनलाल मिश्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शोधपीठ
छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर - 492 010 (छत्तीसगढ़)
दूरभाष : 0771-2262636
मोबा. : 98271-79479

(10)

क्रमांक : 09 दिनांक 21.3.2014

प्रति,
कुल सचिव
पं० रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय
रायपुर

महोदय,

पं० रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय के अन्तर्गत संचालित तीनो शोध पीठों को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से संबद्ध कर दिया गया है, जिसके कार्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु श्री आर० एस० ठाकुर कार्यरत हैं, जिनको संविदा के रूप में लिपिक कार्य का भत्ता दिया जाना है।

अतः शोधपीठ के मद से मार्च 2014 से उन्हे भुगतान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

भवदीय

(20)

संक्षेपिका

विषयः– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा प्रदत्त परियोजना Modernization & Removal of Obsolescence (MODROB) के अंतर्गत प्राप्त RT-PCR के क्रय बाबत्।

विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान के सह प्राध्यापक डॉ. दिपेन्द्र सिंह को AICTE द्वारा पत्र क्र. 9–210/RIFD/MODROB/Policy-1/2013-14 दिनांक 30/07/2013 MODROB परियोजना प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना में PCR(Stephone Plus 96 well RT) तथा GEL Documentation System उपकरण क्रय हेतु 18,00,000=00 (अठारह लाख रूपये) का प्रावधान किया गया है।

चिन्हित उपकरण PCR(Stephone Plus 96 well RT) Invitrogen Bioservices India Pvt.ltd, first technology Place 3 EPIP, Second Floor, White field Banglore 560066 India के क्रय की प्रक्रिया विश्वविद्यालय विनियम के अनुरूप की गई है। विभागीय क्रय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त उपकरण की लागत रू. 14,42,100=00 (चौदह लाख बयालिस हजार एक सौ रूपये) है।

प्रकरण कार्य परिषद के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

(21)

संक्षेपिका

विषयः– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा प्रदत्त परियोजना Modernization & Removal of Obsolescence (MODROB) के अंतर्गत प्राप्त HPLC with PDA detector के क्रय बाबत्।

विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान के प्राध्यापक डॉ. स्वर्णलता सराफ को AICTE द्वारा पत्र क्र. 9–209/RIFD/MODROB/Policy-1/2013-14 दिनांक 30/07/2013 MODROB परियोजना प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना में HPLC with PDA detector के क्रय हेतु 8,50,000=00 (आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) (Including non-requrring & requrring expenditure) का प्रावधान किया गया है।

चिन्हित उपकरण HPLC with PDA detector निर्माता कं. (Shimadgu prominence Binary gradient HPCL System) distributor (Spincotech Prt. Ltd, No 2 Hindi Prachar Sabha Street, T.Nagar Chennai 600017, Authorised by निर्माता कं.) के क्रय प्रक्रिया विश्वविद्यालय विनियम के अनुरूप की गई है। विभागीय क्रय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त उपकरण की लागत रू. 10,80,000=00 (दस लाख अस्सी हजार रूपये) है। जिसमें से 8.50 (लाख) रूपये उक्त प्रोजेक्ट मद से तथा शेष राशि 2.30 (लाख) रूपये विभागीय उपकरण मद से दिया जावेगा।

प्रकरण कार्य परिषद के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

22

यांत्रिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
"स्वर्ण जयन्ती वर्ष"

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

विश्वविद्यालय के भवनों का विद्युत भार बढ़ाये जाने वाले भवनो का नाम, सर्विस क्र0–, संयोजित भार, प्रस्तावित भार, सहित देय राशि की जानकारी

क्र.	भवन का नाम	सर्विस क्र.	संयोजित भार (वॉट में)	वर्तमान में भवन का विद्युत भार मात्रा अनुसार (वॉट में)	अंतर /प्रस्तावित कुल भार सहित (किलो वॉट) में	विद्युत मण्डल को देय राशि रूपये
1	प्रशासनिक भवन (पावर)	406135	5960.0	63350.0	57.39	144695.00
2	प्रशासनिक भवन (लाईट)	404298	1000.0	69950.0	68.95	245950.00
3	गेस्ट हाऊस	405439	7000.0	51860.0	44.86	45396.00
4	एम. बी. ए. भवन	773578	12000.0	51735.0	39.735	70178.00
5	नया भूगोल भवन	606211	14000.0	33380.0	19.38	35853.00
6	लाईब्रेरी भवन (पावर)	406153	3500.0	35000.0	31.50	36165.00
7	लाईब्रेरी भवन (लाईट)	402164	2240.0	24000.0	21.76	182997.00
8	नया कम्प्यूटर भवन सर्वर रूम	406285	13200.0	44990.0	31.79	31396.00
9	कम्प्यूटर भवन	773349	7000.0	26000.0	19.00	19396.00
10	इलेक्ट्रानिक्स भवन	771282	2250.0	24000.0	21.75	56587.00
11	विज्ञान भवन बैंक के सामने	404300	1000.0	69800.0	68.80	107803.00
12	विज्ञान भवन (पावर)	406134	44984.0	71900.0	26.916	40712.00
13	फार्मेसी भवन (ट्रासफारमर/लोड)	773533	15600.0	74990.0	59.39	785493.00
14	कला भवन (भू–तल)	402163	2230.0	129210.0	65.00	149673.00
15	कला भवन (प्रथम तल) – नया मीटर लगाने हेतु साथ में जमा किये गये विद्युत शुल्क				32.105	33761.00
16	कला भवन (द्वितीय तल) – नया मीटर लगाने हेतु साथ में जमा किये गये विद्युत शुल्क				32.105	33761.00
	योग					20,19,816.

(कुल रूपये बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सोलह)

24/3/14
उपयंत्री (विद्युत)
यांत्रिकी विभाग

24/3/14
प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग
पं.र.शं.शु.वि.वि., रायपुर(छ.ग)

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद में रखने विषयक

01. विषय :– विश्वविद्यालय के कला भवन, लाइब्रेरी भवन एवं गेस्ट हाऊस में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण सम्बन्धित भवनों के लिए नए ट्रांसफारमर 200K.V.A. क्षमता का संस्थापन छ0ग0रा0वि0वि0 कंपनी मर्यादित डी0 डी0 नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया हैं । जिसका भुगतान विश्वविद्यालय के धनादेश क्र0 011292, दिनांक 02 जनवरी 2014 राशि रूपये 6,02,549/– (रूपये छः लाख दो हजार पांच सौ उन्चास) मात्र की, कार्यपरिषद के अनुमोदन के प्रत्याशा में भुगतान किया गया हैं ।

अतः उल्लेखित राशि की भुगतान का विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं ।

02. विषय :–विश्वविद्यालय के फारमेसी संस्थान, एमबीए भवन, विज्ञान भवन एवं कम्प्युटर विज्ञान भवन में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण सम्बन्धित भवनों के लिए (03) नग नए ट्रांसफारमर 63K.V.A., 100K.V.A., 100K.V.A. क्षमताओं का संस्थापन छ0ग0 रा0वि0वि0 कंपनी मर्यादित, डी0 डी0 नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया हैं । जिसकी कुल राशि रू0 7,85,493/– (रूपये सात लाख पंच्यासी हजार चार सौ तिरनवे) मात्र की भुगतान किया जाना प्रस्तावित हैं ।

अतः उल्लेखित राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं ।

Revised -

Regulation No. 149

(E.C. Under 23-04-13)

[Inclusion of Grade and Credit points (CGPA) in mark sheet of the students of PG courses running in the UTD under the Ordinance 170]

1. (a) The regulation specifies the method of inclusion of grade and credit points in the mark sheet of the students pursuing PG courses in the UTD under the provision of the Ordinance 170.
   (b) The provision of regulation 170 should be followed prior to application of regulation 149. Likewise, the grace mark, if eligible, will be awarded prior to the application of credit points and "description" modified manually.

2. A student has to earn minimum number of prescribed credits in each Semester in their respective subject and a total of 80 credits for the entire course of study as specified in the syllabus.

3. A student shall be awarded Masters Degree who has obtained at least 4 Grade Point in a Course independently in theory and practical/ lab course and minimum of 4.0 Semester Grade Point Average (SGPA) in each Semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be calculated based upon SGPA of all four semesters.

4. The student shall be declared successful and will be awarded CGPA/ Division through conversion of Percentage of Marks to Grade Point in 10 Point Scale in the following manner:

Percentage of Marks	Grade Point	Description
90 and above	10	First/ O
80-89	9	First/ A
70-79	8	First/ B
60-69	7	First/ C
48-59	6	Second/ D
36-47	5	Third/ E
20-35	4	Third/F
Below 20	-	Dropped/ Grace*/ G

*If eligible; 1 grace mark could be given but it will not be added to the total. However, the candidate be elevated to the category of grade point 4.

5. Calculation of SGPA:

$$\sum \frac{\text{(Credit of the Course x Grade Point)}}{\text{Total Credits in the Semester}}$$

6. Calculation of CGPA:

$$\sum \frac{\text{Credit Point of all previous and current Semesters}}{\text{Credits of all previous and current Semesters}}$$

7. A student failing to appear or securing less than 4.0 SGPA in any semester examination shall be allowed to pursue the courses for the next following semester. Such students shall have failed or failed in aggregate (with ATKT) or ATKT status in I, II, III or IV semesters and their scheme of examination shall be as follows:

   (i) A student failing to qualify the examinations of any semester shall be permitted to appear in the ATKT/ reexamination along with the following semester examination.
   (ii) The provision of revaluation and re-totaling will not be available.

19.3.14

8. The matters not covered in this regulation shall be governed by the respective provisions of the University Act/ Statute/ Ordinances/ regulations.

19/3/14

Regulation No. XXX

(Management of the Provident Fund u/s 40 (1) (c) of the Chhattisgarh Vishwavidhyalaya Adhiniyam 1973 and u/s 4(i) of the Statute-26)

1. **Objective:** To ensure proper management of the Provident Fund of the employees of the Pandit Ravishankar Shukla University (hereafter, PRSU) in order to provide the maximum benefit in terms of the interest rate at par with the provisions of the Government of Chhattisgarh.
2. **Scope:** The scope of this regulation shall be limited to the employee of the PRSU.
3. **Subscriber:** Unless otherwise specifically mentioned, the subscriber means university employee in the subsequent sections.
4. The total monthly provident fund (PF) amount deducted (as per the State Government rule) from the salary of all subscribers shall be kept in a single termed deposit account (TDR) on the 10th day of each month for a year in a Nationalized Bank with the title **Provident Fund.** This implies that there will be 12 such TDRs in a year.
5. The interest earned on maturity of each TDR will be added to the principal amount and a new TDR account will be opened on the 10th day of each month. This procedure will be repeated every month in the form of a cycle.
6. A '**PF Investment Advisory Committee**' will be constituted to oversee the investment plans and issues pertaining to PF. The committee will consist of the following members:
    a) The Kulapati – Chairman
    b) The Registrar – Member Secretary
    c) The Finance Controller – Member
    d) A representative among the teachers of the University to be nominated by the Kulapati – Member
    e) An outside expert on finance to be nominated by the Kulapati – Member
7. The TDR accounts mentioned in the Sections 4, 5 & 6 shall be exclusively operated by the Registrar only.
8. Every subscriber shall be provided with the statement of Provident Fund account duly prepared by the Salary Cell of the Finance section at the end of each financial year, i.e., on 1st April. Further, the statement of the subscriber's provident fund will be given for any length of time as per the demand of the subscriber.
9. The Provident Fund statement mentioned in Section 7, shall include PF amount earned till the last year, in the current year, the rate of interest earned, the advances taken and the schedule & amount of return of advances (if any).

10/2

Regulation No. XXX

(Management of the Teachers Benevolent Fund u/s 40(1) (c) of the Chhattisgarh Vishwavidhyalaya Adhiniyam 1973 and Ordinance-41)

1. **Objective:** To ensure proper management of the Teachers Benevolent Fund (TBF) in order to render financial assistance to financially hard-pressed teachers of the Pandit Ravishankar Shukla University (hereafter, PRSU) and members of their family.
2. **Scope:** The coverage of this regulation shall be limited to the University teachers and the teachers working in Colleges affiliated to the PRSU.
3. **Subscriber:** Unless otherwise specifically mentioned, the 'subscriber' means a teacher of the University Teaching Departments (UTD) or a teacher of any College affiliated to the PRSU.
4. **Teachers Benevolent Fund:** The total amount of money deducted at source from the remuneration payable to every Examiner/ Moderator/ Tabulator/ Collator/ Coordinator/ any Person appointed by the PRSU shall be called TBF amount and shall be kept in a single fixed deposit account (TDR) with the title, **"Teachers Benevolent Fund"** for an year in a Nationalized Bank. The tenure of the TDR will be extended further after its maturity and after adding the interest earned in the previous year to the principal amount. This process will be repeated in a cyclical manner.
5. Each year, in July and December a notification shall be made by the Finance Section of University inviting application from the subscriber seeking financial assistance from TBF mentioning the last date of submission of the application. Such notification shall be duly sent to each College and uploaded in the University website along with the format of the application.
6. Every year, after receiving applications (refer Section-5, above), the Registrar will convene the meeting of the Committee, constituted as per provisions mentioned u/s 4 of the Ordinance-41, within a week from the last date of submission of application (refer Section-5, above). The Committee shall investigate the merit of the application case by case and sanction the amount to the subscriber as per the provisions u/s 5, 6, and 7 of the Ordinance 41.
7. The account mentioned in the Section-4 (above) shall be exclusively operated by the Registrar only.

Regulation No. XXX

(Management of the Kulapati Sahayata Nidhi u/s 40(1) (c) of the Chhattisgarh Vishwavidhyalaya Adhiniyam 1973)

1. **Objective:** To create and ensure proper management of the "*Kulapati Sahayata Nidhi*" in order to render financial assistance to needy Employee/Student of the Pt. Ravishankar Shukla University (hereafter, PRSU), Raipur, Chhattisgarh, in the event of death/ accident/ serious disease.
2. **Scope:** The scope of this regulation shall be limited to Employee/Student of the PRSU.
3. **Subscriber:** Unless otherwise specifically mentioned, the subscriber means an Employee/ Student of the PRSU in the subsequent sections.
4. **Kulapati Sahayata Nidhi:** The "Kulapati Sahayata Nidhi" shall accumulate (a) amount collected from each examinee @ INR 10.00 appearing at each examination of the PRSU as contribution, and (b) any amount/ grant received from any other source for the purpose mentioned in Section-1 above.
5. The accumulated fund/amount collected as defined in Section-4 above, shall be kept in a fixed deposit account, titled "Kulapati Sahayata Nidhi," in any Nationalized Bank to be operated by the Registrar.
6. A management committee shall be constituted consisting of the following members:
    a) The Kulapati – Chairman
    b) The Registrar – Member Secretary
    c) The Finance Controller – Member
    d) A representative among the teachers of the University nominated by the Kulapati – Member
7. The tenure of the Committee constituted as per provision mentioned in Section-6 above shall be of three years.
8. The Committee so constituted shall meet as and when required and will consider merit of such case/s kept before it. The committee will have the power to recommend sanction of an amount to the maximum of INR 25000.00 or part thereof. The sanctioned amount shall be debited from the account of the "Kulapati Sahayata Nidhi."
9. In the case of exigency, the Kulapati may directly grant such amount to any subscriber. Such action will be reported only to the Committee in its next meeting.
10. ~~In any case the assistance from Kulapati Sahayata Nidhi will be given only to such subscriber,~~ who is unable to obtain such assistance from any other source.

NEED OF M.A.IN EDUCATION

Education as an area of liberal studies (whether as a unitary discipline or an inter-disciplinary field) has not been taken seriously in the country and the development of fraternal areas of enquiry like sociology of education, psychology of education and history of education are totally dominated by the respective parent disciplines; the educational content in them is more like an addendum. **Philosophy of education is almost non-existent in the country.** The disciplinary turf wars of these parent disciplines often spill over in the educational degree programmes. Educational research is another neglected area left open to application of psychological theories in the pedagogical area and economists to guide the policies.

M.A. in Education is more theory based and students acquire deeper knowledge of philosophy , Psychology and History of education. Whereas M.Ed is primarily designed as teacher educator training program which has practical and field based knowledge. The course will produce critically reflective teachers.

The course in M.A. in education being deeper in theories and philosophy of education helps to develop the capacity to frame curriculum, train teachers, conduct evidence based research to influence education policies, strengthen the pedagogy of discipline based teaching at various level of education ,administer educational institution and provide leadership in achieving educational goals. The M.A. (Education) program will address all issues in terms of academic capability, practical ability for action, sound social concerns and development of personal strength of character.

The requirement for taking admission in M.A. in Education the candidate is to possess a graduate degree in any discipline whereas to seek admission in M.Ed course the student need to be a graduate as well as a degree of bachelor of education.

M.A.education is an eligibility criteria according to the NCTE norms for the post of B.Ed lecturer mentioned in appendix 4 &5.In addition to it students will be able to appear in the competitive exams like NET,SET etc.with education as elective subject.

The course will bring diverse career choices to students in government and non government organizations.

<u>According to NCTE norms</u>

Eligibility For B.Ed Lecturer

(a) Foundation Courses One

(i) Master's Degree in science/humanities/arts with fifty percent marks

(ii) M.Ed. with at least fifty five percent marks or its equivalent grade and

(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

OR

(i) M.A. in Education with fifty five percent marks or its equivalent grade

(ii) B.Ed. with at least fifty five percent marks and

(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

(b) Methodology Courses Six

(i) Master's degree in a school subject with fifty percent marks

(ii) M.Ed. degree with at least fifty five percent marks or its equivalent grade and

(iii) Any other stipulation prescribed by the UGC / affiliating body / State Govt. from time to time for the positions of principal and lecturers shall be mandatory

(c) Lecturers in Art Education - One

(Part Time)

(Fine Arts / Performing Art)

Master's degree in Fine Arts / Music fifty five percent marks.

Eligibility For M.Ed.Faculty

Professor / Head

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed. each with a minimum of fifty five percent marks

OR

M.A. (Education) with fifty five percent marks and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks

(ii) Ph.D. in Education and

(iii) At least twelve years of teaching experience in University department of education or College of Education of which a minimum of five years at the M.Ed. level with published work in the area of his specialization.

Note: - In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/HOD/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/HOD/Reader in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete sixty five years of age.

Reader / Associate Professor

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed.

each with a minimum of fifty five percent marks or its equivalent grade
OR
M.A. (Education) and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks
(ii) Ph.D. in Education and
(iii) At least eight years of teaching experience in University department of education or College of Education of which a minimum of three years at the M.Ed. level and published work in his area of specialization.

Lecturer / Assistant Professor

(i) Master's Degree in Arts/ Humanities/ Sciences/Commerce and M.Ed. each with a minimum of fifty five percent marks or its equivalent grade.
OR
M.A. (Education) and B.Ed each with a minimum of fifty five percent marks and
(ii) Any other stipulation prescribed by the UGC / Affiliating Body / State Govt from time to time for the positions of Principal and Lecturers shall be mandatory.
Note: - It is desirable that one faculty member possesses Master's Degree in Psychology and another member in Philosophy/Sociology besides M.Ed.

IAO
INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATION

GES
Global Education Support Forum for Working Adults

International Accreditation Organization

INVOICE # 116962
MARCH 21, 2014

Pt. Ravishankar Shukla University
Atanu Kumar Pati
India
[Phone] +91 - 9826654829

CONTACT PERSON	SERVICES	PAYMENT TERMS	DUE DATE
Rodrick Stephen	Accreditation	Due on receipt	March 27th 2014

QTY	DESCRIPTION		TOTAL
1.	Educational quality assurance and accreditation services till 2017.		USD $4000
		SUBTOTAL	USD $4000
		SALES TAX	-
		TOTAL	USD $4000

INTERNATIONAL ACCREDITATION ORGANIZATION IAO

Aaron Jacobs

PAYMENT INFORMATION

Beneficiary Name: GESFWA Ltd.
Address: Konstantinou Christofidi No1 Street, Sophora Court, Suite No 001, Larnaca 6021 Cyprus
Beneficiary Account: 1322028581019118
Bank: USB Bank Plc
Bank Address: 83 DHIGENI AKRITA AVENUE 1070 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS
Swift Code: UNVKCY2N
IBAN: CY63011000121322028581019118

Pleas e Note: You need to provide you're complete Physical address in the field of 50k in wire/transfer form as the sender of the remittance.

Passed ₹ 2,50,000/-

नस्ती क्रमांक .... पृष्ठ क्रमांक .... शाखा का नाम–

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री Prof. A.K. Pati

प्रभारी लिपिक का नाम ....

विषय ....

Mar 18, 2014

REPORT from IAO

International Accreditation Organization (IAO)

Greetings from IAO,

In reference to your prestigious institutes' recent evaluation with IAO, we would like to congratulate you on successful completion of the accreditation process based on the on-site inspection visit carried out recently by our appointed chapter members, Dr. Ashok Kumar and Dr. Satish Kumar Soni.
Some of the key information derived from the visit notes and report submitted by Dr's Ashok Kumar and Soni helped us determine the following information regarding your institute:

- The University is one of the most prestigious establishments in the Indian education sector, with continued operations since 1964. More than 50 years till date.
- The University's quality of education speaks for itself, and it offers Undergrad, Post-grad as well as PhD and Research programs.
- Besides the above, the current Chief Minister of the country and various other members of his council are notable alumni's of this prestigious University.
- At present, 71 percent of faculty is pursuing scholarship and 95 percent pursuing professional research.
- The University has clearly defined Vision and Mission statements, both of which were shared with the chapter member.
- The listing and qualifications of the faculties were also provided to IAO
- The University campus includes all the necessary amenities, and is well stocked in current-up-to-date hardware and features.
- The University has seven major program "types", prominently featuring the 29 PG programs and 24 UG among other types.
- The University possesses all the needed accreditations and approvals to highlight its status as a prominent establishment.

The above, including the multiple other recommendations and approvals the institute possesses, adds that much more positive aspects to the institutes profile, which helps with our evaluation.

Continued

Furthermore, the chapter members highlighted a few points where they believed the University can excel even more, some of their points include, but are not limited to the following:

- Although the university is properly following UGC norms and rules in administration but they need to formulate a clear Ethical Norms and Code of conduct for its employees to transfer the same to the scholars in due course time.
- Although all the departments are following Students' feedback system formulated by the University management, but the system needs substantial improvement for orienting/ training faculty and taking remedial measures to shift focus from managing Depts & teaching styles to improve efficiency and effectiveness of learning.
- Encourage interdepartmental seminars to improve interdisciplinary interactions/partnership in teaching, research project work and acquiring patents. This activity alone is capable of developing more novel innovations and processes and products for the benefits of the country and globe.
- Deficient hygiene & housekeeping in some departments. Some places need minor civil refurbishment and replacement of non-functional structures and fixtures.

The end result of all the above research, assessment and remarks from the inspector led IAO's management coming to the conclusion that The PANDIT RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY qualifies for IAO's prestigious accreditation with above-satisfactory results. This will result in IAO formally recognizing the institute as an accredited organization.

IAO is offering 3 different statuses. The PANDIT RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY either you can go for 3, 5 or 10 years accreditation.

50% Discount offered after negotiations (Actual rate is $8000 is 3 Year accreditation)
$4000 is 3 Year accreditation.

Continued ...

पूर्व पृष्ठ से आगे -

पृष्ठ क्रमांक —3—   फाइल क्रमांक

3 Year
One Update on every Social Media Channel
IAO Seal and Certificate
Preferred Listing on IAO website
One IAO blog Entry
One News Release in the IAO Newsletter

From: International Accreditation Organization
Sent: 21-03-2014 20:56
To: akpati19@gmail.com
Subject: RE: Re: Re: Full Accreditation - The PANDIT RAVISHANKAR SHUKLAUNIVERSITY

Dear Mr. Atanu Kumar Pati,

As per your request we have spoke to the management once again and they have approved **$4000 USD for 3 years accreditation**. But as I mentioned earlier in my email that this discount has a deadline, Ergo we will require the **scanned copy of the transaction receipt by 27th March 2014.**

IAO Invoice: http://v2.iao.org//Documents/2011-02-13009/Attachment/hndpk3pa.g14.pdf

936
2-3-14

The IAO's report may please be brought to the kind notice of the EC on March 25, 2014.

Administrative sanction for payment of USD 4000 (INVOICE attached) to the IAO may please be accorded and necessary order may please be passed to the Finance Section for processing the transaction before 27th March 2014.

Submitted for necessary action, please,

78 IQAC
22/3/14

Director, IQAC

Registrar

Atanu Kumar Pati
21/3/14

24/3/14

EC

नस्ती क्रमांक............पृष्ठ क्रमांक............शाखा का नाम- IQAC

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री डॉ० .... पति

प्रभारी लिपिक का नाम ....

विषय - IAO

Accreditation Fees

कार्यपरिषद के ~~आवश्यक~~ स्वीकृति उपरांत IAO को $ 4000=00 वायर ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाना है जिसमें आज के तिथि में लगभग @61 = Rs. 244000=00 + Bank charges. Total Rs. 2,50,000=00 (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र SBI SMERaipur के नाम भुगतान स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

Director (IQAC)

Alam Kumar Pati
26/3/14

Registrar

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25/03/14 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए रु. 250000=00 (दो लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है। कार्यपरिषद की स्वीकृति के उपरांत भुगतान हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

26/3/14

V.C.

26/3/14

कुलपति सचिवालय आवक क्र. 2861 दि. 26/3/14 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

F.C.

अंतिम चेक रु 2,50,000/- पारित प्रस्तुत

26/3/14

2013-14 XII Plan

26/3

F.C.

26/3

205/12 26 MAR 2014

Paid vide Cheque No ....

नस्ती क्रमांक .... पृष्ठ क्रमांक .... शाखा का नाम–

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री ....

प्रभारी लिपिक का नाम श्री ....

विषय ....

Forein exchange for Remittances हेतु application for हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

26/05/14

Registrar

6

नस्ती क्रमांक — — — — — — पृष्ठ क्रमांक — — 1 — — — शाखा का नाम–

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री – Prof. A.K. Pati — —

प्रभारी लिपिक का नाम — — — — — — — — — — — —

विषय —

E.C. 2

Golden Jubilee Year

50

1964 – 2014

www.prsu.ac.in

Interpretation of the Golden Jubilee Logo

"It is time to unveil - to reveal - to spread out the wings of passion and fly towards further glory but still remembering the glorious 50 years of the past wearing the royal maroon robe (the ribbon)"

Creator

Mr. Mehtab Ahluwalia, International Management Institute (IMI), New Delhi

Proposal from IQAC

1. **The IQAC proposes that the Creator of the Golden Jubilee Logo Mr. Mehtab Ahluwalia may please be awarded with an honorarium of Rs. 11000 (Rupees Eleven Thousand Only) from the budget earmarked for the golden jubilee celebration.**

2. **It is further proposed that Mr. Mehtab Ahluwalia may be invited to attend the 1 May 2014 – the Golden Jubilee Celebration Day.**

Submitted for necessary action,

Director, IQAC

Registrar

Atanu Kumar Pati
24/3/14

24/3/14

E.C.

IQAC
24/3/14

— 1 —

नस्ती क्रमांक .... पृष्ठ क्रमांक .... शाखा का नाम–

प्रभारी अधिकारी का नाम श्री Prof. A.K. Pati

प्रभारी लिपिक का नाम ....

विषय ....

EC 34

Subject - Proposal for Conducting Energy Audit, Water & Carbon Footprint Assessment of the Campus

The NAAC will visit our campus in November-December 2015 (probable time). This visit will grant accreditation to our University for our entry into the 3rd Cycle. Our University is the only University in Chhattisgarh that is subjecting itself to NAAC accreditation regularly and also is the only University which is going to complete its 2nd Cycle late next year (2015).

With this background the IQAC proposes that the PRSU should conduct the following activities much before the NAAC visits our campus:

(a) Energy Audit	Energy Conservation & Energy Efficiency is one of the major issues faced by major Institutions/ Industries during today's competitive Environment. Cost reduction is the need of the hour. **The proposed Energy Audit will help the University in reducing the cost on energy utilization.**
(b) Water Footprint Assessment	Water Footprint Assessment (WFA) is a structured process for quantifying and mapping the water footprint, assessing the sustainability of the water footprint and identifying strategic actions to reduce the water footprint and improve its sustainability. **The proposed exercise will reduce the water footprint and improve its sustainability.**
(c) Carbon Footprint Assessment	An individual's, Nation's, or organization's carbon footprint can be measured by undertaking a GHG emissions assessment or other calculative activities denoted as carbon accounting. Once the size of a carbon footprint is known, a strategy can be devised to reduce it, e.g. by technological developments, better process and product management, changed Green Public or Private Procurement (GPP), carbon capture, consumption strategies, carbon offsetting and others. **The carbon neutrality status of the University could be validated.**

These proposals may please be brought to the notice of the EC to be held on March 25, 2014.

Administrative sanction may please be accorded to carry out some or all of the proposed activities.

Submitted for necessary action,

2935
22.3.14

9/IQAC
22/3/14

Director, IQAC

Registrar

Atanu Kumar Pati
21/3/14

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 01 /अका./का.प./2014 रायपुर, दिनाँक : 31/3/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2014 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल	–	सदस्य
3.	प्रो. सी. एल. पटेल	–	सदस्य
4.	प्रो. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
5.	प्रो. बी. के. शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
7.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
8.	डॉ. एम. आई. मेमन	–	सदस्य
9.	श्री एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
10.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
11.	डॉ. दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
12.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

–: कार्यवृत्त :–

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण – श्री ललित सुरजन, डॉ. दिनेश मारोठिया, एवं प्रो. रोहिणी प्रसाद का कुलसिचव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद् सदस्य प्रो. ए. के. गुप्ता को कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु धन्यवाद दिया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई ।

विषय कमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

निर्णय :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.02.2014 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :–

1. **विगत 03 वर्षों में कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी आगामी बैठक में आयोजित किया जावे।**

विषय कमांक–3

वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

वित्तीय सत्र 2012–13 का वास्तविक आय–व्यय पत्रक, सत्र 2013–14 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं सत्र 2014–15 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का निम्नानुसार बिंदुओं का समावेश के साथ अनुमोदन किया गया :–

1. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 4 में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 1258.92 लाख के स्थान पर रूपए 1947.11 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
2. बजट प्रस्तावना पेज क्रं. – 3–D1 Examination Centre कॉलम – 8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 20.00 लाख के स्थान पर रूपए 10.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
3. बजट प्रस्तावना पेज क्रं.– 36 Grant from other Resources के 2a कॉलम –8 BE में त्रुटिवश उल्लेखित राशि रूपए 60.00 लाख के स्थान पर 6.00 लाख प्रतिस्थापित किया जावें।
4. विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप स्थापित किया जावे। इस हेतु रूपए 20,00,000/– (बीस लाख रूपए मात्र) बजट में प्रावधान किया जावें।
5. स्वर्ण जयंती व्याख्यान प्रतिवर्ष आयोजित किया जावे जिसके लिए बजट में रूपए 5,00,000/– (पांच लाख रूपए मात्र) का प्रावधान किया जावें।
6. अगले बजट में Capital Assets को चिन्हित करते हुए यथास्थान पर उल्लेखित किया जावें।
7. प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा प्रायोगिक उपकरणों एवं स्थायी एसेट्स हेतु रजिस्टर बनायी जावें जिसकी एक प्रति कुलसचिव कार्यालय में भी रिकार्ड हेतु भेंजी जावें।

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–5

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

भौतिकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–6

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय :

जैविकी अध्ययनशाला में उपलब्ध सामाग्रियों का अपलेखन करने के संबंध में विभागीय/केन्द्रीय अपलेखन समिति के द्वारा अपलेखन हेतु की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–7

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन, भिलाई में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, संबंधी बंद लिफाफा खोला गया। चयनित उम्मीद्वार का बायो–डाटा उपलब्ध नहीं था अतः बायोडाटा मंगाकर पुनः प्रस्तुत किया जावें।

विषय कमांक–8

तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर, भिलाई के परीक्षा केन्द्र के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में मानसेवी सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, भिलाई लोकल सेंटर, इंजीनियर्स भवन, इंदिरा पैलेस, सिविक सेंटर, भिलाई के द्वारा तक्षशिला महाविद्यालय, सिविक सेंटर भिलाई के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 07.03.2014 पर तक्षशिला महाविद्यालय का सत्र 2013–14 में घोषित परीक्षा केन्द्र निरस्त करते हुए, महाविद्यालय से सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र सांई महाविद्यालय, सेक्टर–6 भिलाई, जिला–दुर्ग किये जाने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त पाठ्यकमों में सत्र 2014–15 के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जावे तथा तक्षशिला महाविद्यालय को नोटिस दिया जाए कि क्यों न उनकी संबद्धता समाप्त की जावे।

विषय कमांक–9

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

वार्षिक परीक्षा 2014 में लिखित उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु 08 – नोडल केन्द्रों को प्रदान किये गये अग्रिम राशि रूपए 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपए मात्र) का सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया ।

विषय कमांक–10

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालयीन टीप पर विचार करना।

निर्णय :

श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में जॉच अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के प्रत्येक बिंदुओं का विश्वविद्यालय परिनियम–31 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक सलाह प्राप्त की जावें।

–:पूरक विषय सूची :–

विषय कमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गयाः–

1. **पी. एफ. के संचालन के लिए प्रस्तावित विनियम विषय–विशेषज्ञों से परीक्षण करा लिया जावें विषय–विशेषज्ञों के अभिमत के अनुसार अनुमोदन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया है।**
2. **सत्र 2013–14 में निरीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित शर्तो की पूर्ति के साथ संबद्धता प्रदान किये गये महाविद्यालय के द्वारा शर्तों के पूर्ति के संबंध में, की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जावे।**

विषय कमांक–2

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

श्रीमती नीता वाजपेयी, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पदभार ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–3

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर में परिनियम 28 के अंतर्गत शासी निकाय का गठन किये जाने की सूचना ग्रहण की गई।

विषय कमांक–4

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में अर्थवर्ष 2009–10 भारित अंकेक्षण शुल्क रूपए 10,22,198/– (दस लाख बाईस हजार एक सौ अन्ठानबे रूपए मात्र) छत्तीसगढ़ शासन कोष में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–5

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q – 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 3–13/2007/38 दिनांक 12.10.2007, एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 एवं एफ 3–13/2007/38–2 दिनांक 03.03.2014 के संदर्भ में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र. Q – 1–5, क्र. 06 दिनांक 19.03.2014 एवं पत्र क्र. 09 दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य अकादमी से संबंधित सभी कार्यवाही हिन्दी साहित्य अकादमी के द्वारा ही किया जावे तथा उनके द्वारा वेतन भत्ते, नियुक्ति एवं अन्य सभी के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश सीधे उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त कर सकते है।

विषय कमांक–6

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा RT-PCR एवं HPCL with PDA detector क्रय करने हेतु क्रमशः रूपए 14,42,100/– एवं 10,80,800/– के क्रय करने की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :

फार्मेसी विभाग से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE-MODROB) के द्वारा प्राप्त परियोजना अनुदान के अंतर्गत RT-PCR एवं HPCL with PDA detector उपकरण क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुमानित लागत क्रमशः रूपए 14,42,100/– (चौदह लाख ब्यालीस हजार एक सौ रूपए मात्र) एवं 10,80,800/– (दस लाख अस्सी हजार आठ सौ रूपए मात्र) पर में नियमानुसार क्रय की कार्यवाही करने के पश्चात् क्रय के लिए प्रशासनिक एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक–7

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु सी. एस. ई. बी. रायपुर के मांग पत्र के अनुरूप संलग्न पत्र के अनुसार कुल राशि रूपए 20,19,810/– सी. एस. ई. बी. रायपुर को भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में विद्युत भार बढ़ाये जाने हेतु छ. ग. रा. वि. वि. मर्यादित डी. डी. नगर जोन डंगनिया, रायपुर के अनुरूप कुल राशि रूपए 20,19,816/– (बीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सोलह रूपए मात्र) भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

–:अध्यक्ष की अनुमति से :–

1.1 **विश्वविद्यालय की कला भवन, लायब्रेरी भवन एवं गेस्ट हॉउस में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवन के लिए नए ट्रांसफार्मर 200 के. वी. ए. क्षमता का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर के द्वारा मांग की गई राशि रूपए 6,02,549/– (छः लाख दो हजार पांच सौ उन्चास रूपए मात्र) का भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

1.2 **विश्वविद्यालय के फार्मेसी संस्थान, एम. बी. ए. भवन, विज्ञान भवन एवं कम्प्यूटर विज्ञान भवन में विद्युत भार बढ़ जाने के कारण संबंधित भवनों के लिए (03) नए नए ट्रांसफारमर कमशः 63 के. वी. ए., 100 के. वी. ए. एवं 100 के. वी. ए., क्षमताओं का संस्थापन छ. ग. रा. वि. वि. कंपनी मर्यादित डी. डी. नगर जोन, डंगनिया, रायपुर द्वारा किया गया है जिसके लिए उनके द्वारा मांग की गई राशि रूपए 7,85,493/– (सात लाख पच्चयासी हजार चार सौ तिरानबे रूपए मात्र) भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

2. **IQAC के द्वारा IAO को उनके मांग के अनुसार 3 वर्ष अवधि के लिए प्रस्तावित एक्रीडेसन शुल्क राशि रूपए 2,50,000/– (दो लाख पच्चास हजार रूपए मात्र- $ 4000) का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति दी गई।**

3. **स्वर्ण जयंती वर्ष के लिए श्री मेहताब अहलूवालिया द्वारा तैयार किये गये Logo, स्थापना दिवस 1 मई 2013 को आयोजित कार्यक्रम में स्वीकार करते हुए प्रथम प्रसारण किया गया। श्री मेहताब अहलूवालिया को प्रमाण पत्र के साथ रूपए 11,000/– (ग्यारह हजार रूपए मात्र) मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. **संचालक IQAC द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अंकेक्षण, वाटर फूटप्रिंट एवं कार्बन फूटप्रिंट एसेसमेंट संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

:– अन्य निर्णय :–

1. स्थापना दिवस 01 मई 2014 को श्री श्रीकुमार बेनर्जी, पूर्व अध्यक्ष **B.A.R.C** के द्वारा मुख्य अतिथि के लिए सहमति प्रदान करने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
2. यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत–समारोह के लिए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुरूप 20 वाँ दीक्षांत–समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति, भारत गणराज्य को ही आमंत्रित किया जाना है। वैसे भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन माननीय राष्ट्रपति महोदय की ही उपस्थिति में उनकी सहमति की प्रतीक्षा में लंबित है। अतः उनकी सुविधानुसार तिथि पर जून–जुलाई–अगस्त, 2014 को किसी भी तिथि में उनकी सहमति पर निर्धारित किया जावे।
3. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरण विद एवं जल संरक्षण विद श्री अनुपम मिश्र को पं. रविशंकर शुक्ल व्याख्यान में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया ।
4. श्री भरत झुनझुनवाला अर्थशास्त्री एवं स्वतंत्र स्तंभकार एवं परामर्श दाता को स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. कमांक 02 /अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक 31/3/2014

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव